इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी 2020—फाल्गुन 9, शक 1941

भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)
प्रारूप नियम

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिटटन मार्केट, ई—अरेरा कालोनी,

भेपाल, 462016

भोपाल, दिनांक 20 फरवरी, 2020

कमांक— 300/मप्रविनिआ/2020. विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181(2)(यघ) के साथ पठित धारा 61 तथा इस संबंध में प्रदत्त अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, एतदद्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2020 {आरजी—26(IV), वर्ष 2020}

प्रस्तावना

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक इन विनियमों का पुनरीक्षण (आरजी 26 (तीन)) वर्ष 2015 अधिसूचित किया। अब आयोग ने केन्द्रीय विद्युत् नियामक आयोग द्वारा नियंत्रण अवधि के अनुरूप पांच वर्षो की नियंत्रण अवधि हेतु सिद्धांतो तथा क्रिया विधि को विनिर्दिष्ट करने का विनिश्चय किया है। अतएव वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2023–24 तक आगामी पांच वर्षो की नियंत्रण अवधि के लिए उत्पादन टेरिफ के अवधारण के लिए यह आवश्यक है कि इन विनियमों को बनाया जाए।

अध्याय – 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :

1.1 इन विनियमों का संक्षिप्त नाम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2020 {आरजी–26(IV), वर्ष 2020}"** है।

1.2 इनका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिये होगा।

1.3 ये विनियम दिनांक 01.04.2019 से प्रभावशील होंगे तथा जब तक आयोग द्वारा इनकी पूर्व में किसी प्रकार की समीक्षा न की जाए अथवा समयावधि का विस्तार न किया जाए, ये विनियम इनके प्रवृत्त होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि अर्थात् दिनांक 31.3. 2024 तक प्रभावशील रहेंगे :

परन्तु जहां किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र अथवा उसकी किसी इकाई को इन विनियमों के प्रवृत्त होने की दिनांक से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित कर दिया गया हो तथा जिसकी विद्युत–दर (टैरिफ) उक्त तारीख तक आयोग द्वारा अन्तिम रूप से अवधारित न की गयी हो, ऐसे विद्युत उत्पादन केन्द्र अथवा उसकी किसी इकाई के प्रकरण में, जैसा कि लागू हो, विद्युत–दर (टैरिफ) का अवधारण दिनांक 31.03.2019 को समाप्त होने वाली अवधि तक,

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2015 एवं समय–समय पर जारी किये गये उनके संशोधनों के अनुसार ही अवधारित किया जाएगा।

2. **विस्तार तथा लागू की जाने की सीमा :**

2.1 ये विनियम विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 सहपठित धारा 86 के अन्तर्गत किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत के वितरण हेतु किसी विद्युत उत्पादक केन्द्र या उसकी किसी इकाई के संबंध में (नवीकरणीय ऊर्जा आधारित स्त्रोतों को छोड़कर) उत्पादन टैरिफ अवधारण के समस्त प्रकरणों पर लागू होंगे परंतु ऐसे विद्युत उत्पादक केन्द्रों हेतु लागू न होंगे जहां विद्युत–दर (टैरिफ) केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप प्रतिस्पर्धात्मक बोली की प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त की गई हो जैसा कि आयोग द्वारा इन्हें विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के उपबन्धों के अन्तर्गत अपनाया गया हो।

परन्तु यह कि कोई विद्युत उत्पादन केन्द्र जिस हेतु हितग्राहियों को विद्युत प्रदाय के लिये अनुबन्ध(ों) का निष्पादन 05.01.2011 को अथवा उसके पूर्व किया गया हो तथा कथित विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु वित्तीय समापन दिनांक 31.03.2019 तक प्राप्त न किया गया हो वहां ऐसी परियोजनाओं के लिये विद्युत–दर के अवधारण की पात्रता नहीं होगी जब तक हितग्राहियों की नवीन सहमति प्राप्त की जाकर प्रस्तुत न कर दी गई हो।

3. **परिभाषाएं :**

3.1 इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो –

(1) **'अधिनियम'** से अभिप्रेत है, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 वर्ष 2003) ;

(2) **'अतिरिक्त पूंजीगत व्यय'** से अभिप्रेत है किया गया पूंजीगत व्यय, अथवा जिसे इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन तारीख के बाद किया जाना प्रक्षेपित किया गया हो ;

(3) **'अतिरिक्त पूंजीकरण'** से अभिप्रेत है आयोग द्वारा इन विनियमों के अनुसार युक्तियुक्त परीक्षण के उपरान्त स्वीकार किया गया अतिरिक्त पूंजीगत व्यय ;

(4) **'स्वीकृत पूंजीगत लागत'** से अभिप्रेत है पूंजीगत लागत जिसे आयोग द्वारा सुसंबद्ध विद्युत–दर (टैरिफ) विनियमों के अनुसार विधिवत युक्तियुक्त परीक्षण के उपरान्त

विद्युत–दर के माध्यम से सेवा–प्रदाय (सर्विसिंग) हेतु अनुज्ञेय किया गया हो ;

(5) **'सहायक ऊर्जा खपत'** से किसी अवधि के सन्दर्भ में अभिप्रेत है विद्युत उत्पादन केन्द्र के सहायक उपकरण जैसे कि विद्युत उत्पादन केन्द्र के परिचालन संयंत्र तथा मशीनरी, स्विचयार्ड को शामिल करते हुए, के प्रयोजन हेतु खपत की गई ऊर्जा की मात्रा एवं विद्युत उत्पादन केन्द्र के अंतर्गत ट्रांसफार्मर हानियां जिन्हें विद्युत उत्पादन केन्द्र की समस्त इकाईयों द्वारा उत्पादन केन्द्र के छोर (टर्मिनल) पर सकल उत्पादित ऊर्जा के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाएगा :

परन्तु सहायक ऊर्जा खपत में विद्युत उत्पादन केन्द्र से संबद्ध आवासीय परिसर तथा अन्य सुविधाओं हेतु खपत की गई ऊर्जा तथा विद्युत उत्पादन केन्द्र के निर्माण कार्यों पर खपत की गई ऊर्जा को शामिल नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह भी कि पुनरीक्षित उत्सर्जन मानकों के अनुपालन हेतु सहायक ऊर्जा खपत हेतु मलजल उपचार संयंत्र (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) तथा बाह्य कोयला हथालन संयंत्र (जेटी तथा संबद्ध अधोसंरचना) हेतु पृथक से विचार किया जाएगा ;

(6) **'अंकेक्षक'** से अभिप्रेत है कम्पनी अधिनियम, 1956 (क्रं 1, वर्ष 1956) की धारा 224, 233ख तथा 619, जैसा कि इसे समय–समय पर संशोधित किया गया हो अथवा कम्पनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18, वर्ष 2013) के उपबंधों अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी प्रभावशील विधि के अन्तर्गत विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया कोई अंकेक्षक/लेखा परीक्षक ;

(7) **'बैंक–दर'** से अभिप्रेत है भारतीय स्टेट बैंक द्वारा समय–समय पर जारी एकल वर्षीय ऋण प्रदाय दर की उपान्तिक लागत (मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट–एमसीएलआर) तथा 350 आधार बिन्दुओं का योग ;

(8) **'हितग्राही'** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 86 की उपधारा 1 के खण्ड (क) तथा (ख) के अन्तर्गत किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र के संबंध में एक विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी जो ऐसे किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र द्वारा उत्पादित विद्युत का क्रय किसी विद्युत क्रय अनुबंध के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से या फिर किसी व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी के माध्यम से क्षमता प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों के भुगतान द्वारा कर रहा हो :

परन्तु जहां वितरण अनुज्ञप्तिधारी विद्युत की अधिप्राप्ति किसी व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी के माध्यम से कर रहा हो, वहां यह व्यवस्था सहयोजित विद्युत

क्रय अनुबंध तथा विद्युत विक्रय अनुबंध के माध्यम से की जानी चाहिए :
परंतु आगे यह भी कि हितग्राही में कोई ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित होगा जिसे मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किसी राज्यान्तरिक विद्युत उत्पादन केन्द्र को विद्युत उत्पादन क्षमता आवंटित की गई हो ;

(9) **'सम्मिश्रण (ब्लैंडिंग)'** से अभिप्रेत है घरेलू कोयले का आयातित अथवा ई–नीलामी कोयले से सम्मिश्रण ;

(10) **'पूंजीगत लागत'** से अभिप्रेत है पूंजीगत लागत जैसा कि इसे इन विनियमों के विनियम 21 द्वारा अवधारित किया हो ;

(11) **'कानून में परिवर्तन'** से अभिप्रेत निम्न में से किसी भी घटना का होना :

(एक) किसी नवीन भारतीय कानून का अधिनियमन, इसको प्रभावशील किया जाना या प्रवर्तित किया जाना, अथवा

(दो) किसी विद्यमान भारतीय कानून को अपनाना, उसमें संशोधन करना, संपरिवर्तन करना, निरस्त करना या उसे पुनः अधिनियमित करना, अथवा

(तीन) किसी ऐसे सक्षम न्यायालय, न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल), अथवा भारतीय सरकार के किसी माध्यम द्वारा जिसे ऐसी व्याख्या हेतु कानून के अन्तर्गत प्राधिकार प्राप्त हो, किसी भारतीय कानून के निर्वचन या अनुप्रयोग में परिवर्तन करना, अथवा

(चार) किसी सक्षम वैधानिक प्राधिकारी द्वारा किसी परियोजना हेतु किसी सम्मति या स्वीकृति या अनुमोदन या उपलब्ध अथवा प्राप्त की गई अनुज्ञप्ति के बारे में किसी शर्त या समझौते में परिवर्तन करना, अथवा

(पांच) इन विनियमों के अधीन विनियमित विद्युत उत्पादन केन्द्र से संबंधित, भारत सरकार तथा किसी अन्य सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न सरकार के मध्य किसी द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय अनुबंध/संधि का लागू होना या उसमें कोई परिवर्तन ;

(12) **'आयोग'** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग जैसा कि इसे अधिनियम की धारा 82 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किया है ;

(13) **'प्रतिस्पर्धी बोली'** से अभिप्रेत है उपकरणों की अधिप्राप्ति, सेवाओं तथा कार्यों के निष्पादन हेतु पारदर्शी प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत परियोजना विकासक द्वारा खुले विज्ञापन के माध्यम से परियोजना हेतु उपकरण का विस्तार क्षेत्र तथा विशिष्टिताओं, सेवाओं तथा वांछित कार्यों बाबत् बोलियां आमंत्रित की जाती हैं तथा प्रस्तावित अनुबंध के निबंधन

तथा शर्तें तथा वे मानदण्ड जिनके द्वारा प्राप्त बोलियों का मूल्यांकन किया जाएगा, शामिल की जाती हैं तथा इस प्रक्रिया में आमंत्रित स्वदेशी प्रतिस्पर्धा बोलियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोलियों को भी सम्मिलित किया जाएगा ;

(14) **'पृथक्कृत तारीख '** अर्थात् 'कट–ऑफ डेट' से अभिप्रेत है परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से छत्तीस माह पश्चात् के कलेण्डर माह की अन्तिम तारीख ;

(15) **'दिवस'** से अभिप्रेत है कलेण्डर दिवस जिसमें 00.00 बजे से प्रारंभ होने वाले 24 घंटे की अवधि सम्मिलित है ;

(16) **'घोषित क्षमता'** से अभिप्रेत है किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र के संबंध में, ऐसे विद्युत उत्पादन केन्द्र द्वारा दिवस के समय–खण्ड हेतु जैसा कि इसे ग्रिड संहिता में परिभाषित किया गया है, अथवा सम्पूर्ण दिवस हेतु मेगावाट में एक्स–बस विद्युत प्रदाय करने की क्षमता जिसके अन्तर्गत ईंधन अथवा जल की उपलब्धता पर यथोचित विचार किया जाएगा तथा यह और सुसंगत विनियम के अन्तर्गत आगे अर्हता के अध्यधीन होगी ;

(17) **'अपूंजीकरण'** से अभिप्रेत है इन विनियमों के अन्तर्गत विद्युत–दर (टैरिफ) के प्रयोजन हेतु परियोजना की सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में कमी करना जैसा कि इसे आयोग द्वारा परिसम्पत्तियों के अन्तर–इकाई अन्तरण अथवा सेवा से हटायी गई परिसम्पत्तियों से सुसंबद्ध स्वीकार किया गया हो ;

(18) **'अक्रियाशील करना'** से अभिप्रेत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण या अन्य किसी प्राधिकृत अभिकरण द्वारा प्रमाणित किये जाने के पश्चात् उसके द्वारा स्वयं या फिर परियोजना विकासक द्वारा या हितग्राहियों अथवा दोनों द्वारा इस आशय की सूचना प्रेषित करने के बाद कि परियोजना का संचालन प्रौद्योगिक अप्रचलन या अलाभकर परिचालन या फिर इन कारकों के संयोजन के कारण भी परिसम्पत्तियों के अनिष्पादन के कारण किया जाना संभव नहीं है, किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी किसी इकाई को सेवा से हटाए जाने से है ;

(19) **'रूपांकन ऊर्जा'** से अभिप्रेत है ऊर्जा की मात्रा जो 90 प्रतिशत निर्भरता वाले वर्ष में 95 प्रतिशत स्थापित क्षमता के आधार पर जल विद्युत उत्पादन केन्द्र द्वारा उत्पादित की जा सकती है ;

(20) **'विद्यमान परियोजना'** से अभिप्रेत ह ऐसी परियोजना जिसे दिनांक 01.04.2019 से पूर्व किसी तारीख से वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित किया जा चुका हो ;

(21) **'विस्तार परियोजना'** के अन्तर्गत विद्यमान विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु नवीन क्षमता में किसी आवर्धन को भी सम्मिलित किया जाएगा ;

(22) **'किया गया व्यय'** से अभिप्रेत है कोई निधि, भले ही वह पूंजी अथवा ऋण अथवा दोनों हों, जिस हेतु उपयोगी परिसम्पत्तियों के सृजन अथवा अधिग्रहण हेतु वास्तविक रूप से रोकड़ अथवा रोकड़ समतुल्य भुगतान किया गया है तथा इनमें वे वचनबद्धताएं अथवा दायित्व शामिल न होंगे, जिनके लिये कोई राशि जारी न की गई हो ;

(23) **'विस्तारित जीवनकाल'** से अभिप्रेत है किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी किसी इकाई के उपयोगी जीवनकाल के बाद का जीवनकाल जैसा कि आयोग द्वारा प्रकरण–दर–प्रकरण उसके गुण–दोष के आधार पर अवधारित किया जाए ;

(24) **'विशेष आकांस्मिक परिस्थिति'** इन विनियमों के प्रयोजन के लिए विशेष आकस्मिक परिस्थिति से तात्पर्य किसी घटना या परिस्थिति या घटनाओं या परिस्थितियों के संयोजन से है जिनमें नीचे दर्शाई गई घटना व परिस्थिति भी शामिल है जो विद्युत उत्पादन कम्पनी को आंशिक रूप से या फिर पूर्णतया किसी परियोजना को पूंजी निवेश अनुमोदन में विनिर्दिष्ट समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण करने हेतु बाधित करती हो तथा यह भी कि ऐसी परिस्थितियां तथा घटनाएं विद्युत उत्पादन कम्पनी के नियंत्रण से परे हों तथा जिन्हें टाला न जा सकता हो, भले ही विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा युक्तियुक्त सावधानी बरती गई हो या फिर उसके द्वारा युक्तियुक्त उपयोगिता से संव्यवहारों को अपनाया गया हो ;

(क) दैवी घटना जिनमें शामिल हैं तड़ित, सूखा, अग्निकाण्ड तथा विस्फोट, भूकम्प, ज्वालामुखी उद्‌भेदन, भूस्खलन, बाढ़, चक्रवात, प्रचण्ड तूफान, भूगर्भीय विस्मयकारी घटनाएं या फिर अपवादस्वरूप विपरीत मौसमी परिस्थितियां जो पिछले सौ वर्षों के सांख्यिकी आंकड़ों से अधिक हों ; अथवा

(ख) युद्ध, हमला, सशस्त्र संघर्ष की कोई घटना, या विदेशी शत्रु, नाकाबंदी, नौका–अवरोध, क्रान्ति, दंगा, विद्रोह की कार्यवाही, या कोई सैनिक कार्यवाही ; अथवा

(ग) व्यापक औद्योगिक हड़तालें तथा श्रमिक अशान्ति की घटनाएं जिनका भारत में राष्टव्यापी विपरीत प्रभाव पड़ता हो ; अथवा

(घ) परियोजना के सांविधिक अनुमोदन में विलंब, केवल उसे छोड़कर जहां विलम्ब के लिये परियोजना विकासक उत्तरदायी हो ;

(25) **'ईंधन प्रदाय अनुबन्ध'** से अभिप्रेत है विद्युत उत्पादन कम्पनी तथा ईंधन प्रदायक के मध्य विद्युत उत्पादन हेतु तथा हितग्राहियों को विद्युत प्रदाय हेतु दीर्घ–अवधि विद्युत क्रय अनुबन्ध (पीपीए) के अन्तर्गत निर्दिष्ट ईंधन के प्रदाय हेतु निष्पादित अनुबन्ध ;

(26) **'विद्युत उत्पादन केन्द्र'** का वही अभिप्राय होगा जैसा कि इसे विद्युत अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 30 के अधीन परिभाषित किया गया हो तथा इन विनियमों के प्रयोजन से इनमें विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रक्रम अथवा खण्ड (ब्लाक) अथवा इकाईयां भी सम्मिलित होंगी;

(27) **'विद्युत उत्पादन इकाई'** का किसी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र (संयुक्त चक्र ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र को छोड़कर) के संबंध में अभिप्रेत है वाष्प विद्युत उत्पादक, टरबाईन विद्युत उत्पादक तथा इसकी सहायक इकाईयां अथवा किसी संयुक्त चक्र ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के संबंध में अभिप्रेत टरबाईन–विद्युत उत्पादक तथा इसकी सहायक इकाईयां अथवा प्रज्वलन टरबाईन विद्युत उत्पादक संयोजित वाष्प टरबाईन विद्युत उत्पादन तथा इसकी सहायक इकाईयां; तथा विद्युत जल उत्पादन केन्द्र के संबंध में अभिप्रेत है टरबाईन विद्युत उत्पादक तथा इसकी सहायक इकाईयां ;

(28) **'ग्रिड संहिता'** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता (पुनरीक्षण–द्वितीय) 2019 जैसा कि इसे समय–समय पर संशोधित किया जाए या फिर इसमें किये जाने वाले अनुवर्ती पुनर्अधिनियमन ;

(29) **'सकल ऊष्मीय मान'** का किसी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के संबंध में अभिप्रेत है एक किलोग्राम कोयले अथवा एक लीटर तरल ईंधन अथवा एक मानक घन मीटर गैस ईंधन, जैसा कि लागू हो, के सम्पूर्ण प्रज्वलन द्वारा किलो कैलोरी में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा;

(30) **'सकल ऊष्मीय मान' जैसा कि इसे प्राप्त किया गया है'** से अभिप्रेत है कोयले का सकल ऊष्मीय मान जैसा कि इसका मापन ताप विद्युत केन्द्र के उतरान स्थल पर भारित वैगनों, ट्रकों, रोपवे, चकदौले/चक्र, (मैरी–गो–अराऊंड), बेल्ट कन्वेयर तथा पोत (शिप) पर भारतीय मानक IS 436 (भाग–1/धारा–1) 1964 के अनुसार किया गया हो ;

परन्तु कोयले का मापन विद्युत उत्पादन कम्पनियों द्वारा नियुक्त किये जाने वाले तृतीय पक्षकार द्वारा औचक नमूना व्यवस्था (सैम्पलिंग) के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाएगा :

परंतु यह और कि कोयले के नमूनों का संग्रहण या तो हस्तचालित विधि द्वारा या द्रवचालित शकुनिया (ऑमर) या फिर कार्मिक तथा उपकरणों की सुरक्षा को

दृष्टिगत रखते हुए किसी अन्य विधि द्वारा जैसा कि इसे उपयुक्त समझा जाए, किया जाएगा :

परंतु यह और भी कि विद्युत उत्पादन कम्पनियां सकल ऊष्मीय मान के मापन हेतु उचित पारदर्शी विधि द्वारा नमूनों के संग्रहण, उन्हें तैयार करने तथा परीक्षण हेतु किसी समुन्नत प्रौद्योगिकी को भी अपना सकेंगी ;

(31) **'सकल स्टेशन ऊष्मा दर'** से अभिप्रेत है किसी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र (स्टेशन) में ऊष्मा शक्ति का किलो कैलोरी में निवेश जिसके द्वारा उसके उत्पादन छोरों पर एक किलोवाट ऑवर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हो सके ;

(32) **'भारतीय शासन माध्यम'** से अभिप्रेत है भारत सरकार, राज्य सरकार (जहां परियोजना अवस्थित है) तथा भारत सरकार या राज्य सरकार (जिसके अंतर्गत परियोजना अवस्थित है) द्वारा नियंत्रित कोई मंत्रालय या विभाग मण्डल (बोर्ड) या अभिकरण (एजेन्सी) या फिर न्यायिक कल्प जिसे भारत में सुसंबद्ध संविधियों द्वारा गठित किया गया है ;

(33) **'अस्थाई विद्युत'** से अभिप्रेत है विद्युत उत्पादन केन्द्र की किसी इकाई या खण्ड (ब्लॉक) की वाणिज्यिक प्रचालन तारीख से पूर्व ग्रिड में अन्तःक्षेपित की गई विद्युत ;

(34) **'स्थापित क्षमता'** से अभिप्रेत है विद्युत उत्पादन केन्द्र की समस्त इकाईयों की नामपट्टिका पर दर्शाई गई क्षमताओं का योग अथवा विद्युत उत्पादन केन्द्र के उत्पादक छोरों (टर्मिनलों) पर की गई गणनानुसार क्षमता, जैसा कि आयोग द्वारा इसे समय–समय पर अनुमोदित किया जाए ;

(35) **'पूंजी निवेश अनुमोदन'** से अभिप्रेत है विद्युत उत्पादन कम्पनी के संचालक मण्डल या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के सम्प्रेषण से है जिसमें परियोजना की निधियों की व्यवस्था तथा परियोजना के कार्यान्वयन हेतु निर्धारित समय–सीमा भी शामिल है :

परंतु यह कि पूंजी निवेश अनुमोदन की तारीख की गणना विद्युत उत्पादन कम्पनी के संचालक मण्डल के संकल्प जारी होने की तारीख से की जाएगी जहां संचालक मण्डल ऐसा अनुमोदन प्रदान करने हेतु सक्षम है तथा अन्य प्रकरणों में यह सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृति पत्र जारी होने की तारीख से होगी ;

(36) **'किलोवाट ऑवर'** से अभिप्रेत है विद्युत ऊर्जा की इकाई (यूनिट) जिसका मापन एक घंटे

की अवधि के दौरान विद्युत के एक किलोवाट अथवा एक हजार वाट मापन द्वारा उत्पादन या खपत के रूप में किया जाता है ;

(37) **'आगमित ऊर्जा लागत'** से अभिप्रेत है विद्युत उत्पादन केन्द्र के उतरान स्थल (अनलोडिंग पाईंट) पर प्रदत्त कोयले की कुल लागत तथा इनमें सम्मिलित होंगे आधार मूल्य, धावित्र (वाशरी) प्रभार जहां कहीं भी वे लागू हों, परिवहन लागत (विदेशी या अन्तर्देशीय अथवा दोनों) तथा हथालन लागत, तृतीय पक्षकार औचक नमूना व्यवस्था (सैम्पलिंग) हेतु प्रभार तथा प्रयोज्य सांविधिक प्रभार;

(38) **'उच्चतम निरंतर मूल्यांकन'** किसी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र की इकाई के संबंध में अभिप्रेत है ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के किसी उत्पादक के छोरों (टर्मिनलों) पर उच्चतम निरंतर विद्युत उत्पादन जिसे निर्माता कंपनी द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार प्रत्याभूत (गारंटी) किया गया हो तथा संयुक्त चक्र ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के खण्ड के संबंध में अभिप्रेत है उत्पादक छोर पर उच्चतम निरंतर उत्पादन जिसे निर्माता द्वारा जल अथवा वाष्प अन्तःक्षेपण (लागू होने की दशा में) द्वारा 50 हर्ट्ज तक शोधित ग्रिड आवृत्ति (फ्रिक्वेंसी) तथा विनिर्दिष्ट स्थल परिस्थितियों के अनुसार प्रत्याभूत किया गया हो ;

(39) **'नवीन परियोजना'** से अभिप्रेत विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी किसी इकाई से है जिसके द्वारा दिनांक 1.4.2019 को या तत्पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन तारीख प्राप्त की जाए ;

(40) **'प्रचालन तथा संधारण व्यय'** से अभिप्रेत है परियोजना अथवा उसके किसी भाग के प्रचालन तथा संधारण पर किया गया कोई व्यय, समर्पित पारेषण लाईन, उसके किसी भाग को सम्मिलित करते हुए, तथा इसमें सम्मिलित होंगे जनशक्ति, मरम्मत, संधारण कलपुर्जों, उपभोज्य सामग्रियों, बीमा तथा उपरिव्यय एवं ईंधन लागत जिसका उपयोग विद्युत के उत्पादन पर न किया गया हो ;

(41) **'मूल परियोजना लागत'** से अभिप्रेत है विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा पृथक्कृत दिनांक तक परियोजना के मूल क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत किया गया पूंजीगत व्यय, जैसा कि इसे आयोग द्वारा स्वीकार किया गया हो ;

(42) **'संयंत्र उपलब्धता कारक'** से किसी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के संबंध में अवधि हेतु से अभिप्रेत है उक्त अवधि हेतु समस्त दिवसों हेतु दैनिक घोषित क्षमताओं का औसत जिसमें से मानदण्डीय सहायक ऊर्जा खपत (मेगावाट में) को घटाकर इसे स्थापित

क्षमता के प्रतिशत में व्यक्त किया जाएगा ;

(43) **'संयंत्र भार कारक'** से किसी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र या किसी इकाई (यूनिट) के संबंध में किसी प्रदत्त अवधि से अभिप्रेत है, उक्त अवधि के दौरान अनुसूचित विद्युत उत्पादन से तत्संबंधी प्रेषित की गई कुल ऊर्जा की मात्रा जिसे उक्त अवधि के दौरान स्थापित क्षमता से तत्संबंधी प्रेषित ऊर्जा के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा इसकी गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

$$PLF = 10000 \times \sum_{i=1}^{N} SGi / \{N \times IC \times (100-AUXn)\}\%$$

जहां

IC = विद्युत उत्पादन केन्द्र या इकाई की मेगावाट में व्यक्त की गई स्थापित क्षमता,

SGi =अवधि के iवें समय खण्ड हेतु मेगावाट में व्यक्त किया गया अनुसूचित विद्युत उत्पादन,

N = अवधि के दौरान समय खण्डों की संख्या तथा

AUXn = मानदण्डीय सहायक ऊर्जा खपत जिसे सकल विद्युत उत्पादन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है ;

(44) **'परियोजना'** से अभिप्रेत है :

(एक) किसी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के समस्त घटक तथा इसमें सम्मिलित हैं प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली, बहिःस्त्राव उपचार संयंत्र, समर्पित पारेषण तन्तुपथ (लाईन)/प्रणाली, जैसी कि वह आवश्यक हो ; और

(दो) जल विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में जल विद्युत उत्पादन केन्द्र के समस्त घटक तथा इनमें सम्मिलित हैं बांध, अन्तर्ग्रहण जल संचालन प्रणाली, विद्युत उत्पादन केन्द्र तथा योजना की विद्युत उत्पादन इकाईयां जैसा कि वे विद्युत उत्पादन से संविभाजित हैं ;

(45) **'युक्तियुक्त होने संबंधी परीक्षण'** से अभिप्रेत है किये गये या प्रस्तावित किये गये पूंजीगत व्यय, वित्तीय प्रबंध योजना, दक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग, लागत तथा समय आधिक्य तथा ऐसे अन्य कारक जिन्हें आयोग द्वारा विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण बाबत् उपयुक्त माना जाए, का तर्कसंगत होने संबंधी सूक्ष्म परीक्षण। युक्तियुक्त होने संबंधी परीक्षण करते समय आयोग द्वारा इस तथ्य की जांच–पड़ताल भी की जाएगी कि क्या विद्युत उत्पादन

कम्पनी द्वारा परियोजना के निष्पादन के दौरान अपने मूल्यांकन तथा निर्णयों में सावधानी बरती गई है ;

(46) **'उद्वहन संग्रहण जल विद्युत उत्पादन केन्द्र'** से अभिप्रेत है कोई ऐसा जल विद्युत केन्द्र जिसके द्वारा विद्युत का उत्पादन जल ऊर्जा के रूप में संग्रहीत ऊर्जा के माध्यम से किसी निम्न स्तर पर स्थित जलाशय से उच्च स्तर पर स्थित जलाशय की ओर जल के उद्वहन (पम्पिंग व्यवस्था) के माध्यम से किया जाता है ;

(47) **'त्रैमास'** से अभिप्रेत है किसी विद्यमान परियोजना के प्रकरण में तीन माह की अवधि जो माह अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर तथा जनवरी के प्रथम दिवस से प्रारंभ होगी तथा किसी नवीन परियोजना के प्रकरण में प्रथम त्रैमास के संबंध में परिचालन की प्रारंभिक तारीख से यथास्थिति माह जून, सितम्बर, दिसम्बर अथवा मार्च माह की अंतिम तारीख होगी ;

(48) **'पुनरीक्षित उत्सर्जन मानक'** का किसी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के संबंध में तात्पर्य है पुनरीक्षित मानदण्ड जैसा कि इन्हें पर्यावरण (संरक्षण) नियम 2015, या फिर समय–समय पर अन्य किन्हीं नियमों द्वारा अधिसूचित किया जाए ;

(49) **'नदी–बहाव आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्र'** से अभिप्रेत है जल विद्युत उंत्पादन केन्द्र जिस पर नदी के बहाव की प्रतिकूल दिशा की ओर कोई जलाशय निर्मित नहीं किया गया है ;

(50) **'नदी बहाव पर जलाशय आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्र'** से अभिप्रेत है विद्युत की दैनिक परिवर्तनीय मांग की पूर्ति हेतु पर्याप्त क्षमता से युक्त जलाशय वाला जल–विद्युत उत्पादन केन्द्र ;

(51) **'अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तारीख '** से अभिप्रेत है किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र अथवा उसकी विद्युत उत्पादन इकाई की वाणिज्यिक प्रचालन तारीख (यां) जैसा कि इसके बारे में पूंजी निवेश अनुमोदन में दर्शाया गया हो या फिर विद्युत क्रय अनुबंध में सम्मत किया गया हो तथा इनमें से जो भी पूर्व में घटित हो ;

(52) **'अनुसूचित ऊर्जा'** से अभिप्रेत है संबंधित भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किसी प्रदत्त कालावधि हेतु कार्यक्रमबद्ध की जाने वाली विद्युत उत्पादन केन्द्र से ग्रिड में अन्तःक्षेप की जाने वाली विद्युत ऊर्जा की मात्रा ;

(53) **'अनुसूचित विद्युत उत्पादन'** का किसी समय पर या किसी समयावधि या किसी समय–खण्ड हेतु अभिप्रेत है संबद्ध भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रदत्त एक्स–बस से विद्युत उत्पादन का कार्यक्रम मेगावाट अथवा मेगावाट ऑवर में ;

(54) **'प्रारंभ तारीख या शून्य तारीख '** से अभिप्रेत है परियोजना के क्रियान्वयन के प्रारंभ हेतु पूंजी निवेश अनुमोदन में दर्शाई गई तारीख तथा जहां कोई भी तारीख दर्शाई न गई हो वहां पूंजी निवेश अनुमोदन की तारीख को प्रारंभ तारीख या शून्य तारीख माना जाएगा ;

(55) **'संग्रहण प्रकार का विद्युत उत्पादन केन्द्र'** से अभिप्रेत है जल विद्युत उत्पादन केन्द्र जो जल संग्रहण क्षमता से संबद्ध है जो उसे विद्युत की मांग के अनुरूप विद्युत के परिवर्तनीय उत्पादन हेतु सक्षम बनाता है ;

(56) **'ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र'** से अभिप्रेत है कोई विद्युत उत्पादन केन्द्र या उससे संबद्ध कोई इकाई जिसके द्वारा विद्युत का उत्पादन ऊर्जा के प्राथमिक स्त्रोत के रूप में जीवाष्म ईंधन, जैसे कि कोयला, गैस, तरल ईंधन या इनके किसी संयोजन के उपयोग द्वारा किया जाता है ;

(57) **'निष्पादन परीक्षण या परिचालन परीक्षण'** का किसी केन्द्रीय ताप विद्युत केन्द्र या उसकी इकाई के संबंध में अभिप्रेत है विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी किसी इकाई का नामोद्दिष्ट ईंधन पर उच्चतम निरन्तर मूल्यांकन अथवा स्थापित क्षमता अथवा नामपट्टिका मूल्यांकन पर निरन्तर 72 घंटे की अवधि हेतु सफलतापूर्वक परिचालन तथा केन्द्रीय जल विद्युत उत्पादन केन्द्र अथवा अन्तर्राज्यीय विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी किसी इकाई द्वारा निरन्तर 12 घंटे की अवधि हेतु सफलतापूर्वक परिचालन :

परंतु यह कि :

(एक) चार घंटे की संचयी अवधि हेतु लघु व्यवधान को परीक्षण की अवधि के दौरान तत्संबंधी वृद्धि के साथ अनुज्ञेय किया जाएगा। चार घंटे से अधिक की अवधि हेतु संचयी व्यवधान पाये जाने पर परिचालन परीक्षण अथवा निष्पादन परीक्षण की पुनरावृत्ति की जाएगी,

(दो) आंशिक भारण को इस शर्त पर अनुज्ञेय किया जा सकेगा कि निष्पादन परीक्षण (ट्रायल रन) अवधि के दौरान औसत भार उच्चतम निरन्तर मूल्यांकन, अथवा स्थापित क्षमता अथवा नामपट्टिका मूल्यांकन, व्यवधान अवधि तथा आंशिक भारण को छोड़कर परन्तु तत्संबंधी विस्तारित अवधि को सम्मिलित करते हुए, से कम न होगी,

(तीन) जहां हितग्राहियों को विद्युत उत्पादन केन्द्र से विद्युत के क्रय हेतु बंधित किया गया हो, वहां निष्पादन परीक्षण अथवा निष्पादन परीक्षण की प्रत्येक पुनरावृत्ति

विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा हितग्राहियों तथा संबद्ध क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र या राज्य भार प्रेषण केंन्द्र को यथास्थिति न्यूनतम सात दिवस की सूचना अवधि के पश्चात् ही प्रारंभ की जा सकेगी, तथा

(चार) केन्द्रीय ताप तथा जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों तथा अन्तर्राज्यीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों की इकाईयों को उच्चतम निरन्तर मूल्यांकन अथवा स्थापित क्षमता अथवा नामपट्टिका मूल्यांकन की यथास्थिति, 105% या 110% तक की भार में वृद्धि की क्षमता भी प्रदर्शित करनी होगी ;

(58) **'उतरान स्थल'** से अभिप्रेत है कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के भीतर कोयला उतरान स्थल (अनलोडिंग पाईंट) जहां कोयले को रेलवे रैक या फिर परिवहन के किसी अन्य साधन से उतारा जाता हो ;

(59) **'उपयोगी जीवनकाल'** का किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र की इकाई के बारे में इसकी वाणिज्यिक प्रचालन तारीख से अभिप्रेत निम्नानुसार है, अर्थात्

1	कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र	25 वर्ष
2	जल–विद्युत उत्पादन केन्द्र, उद्वहन संग्रहण जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों को सम्मिलित करते हुए	40 वर्ष

परंतु परियोजनाओं का उपयोगी जीवनकाल पूर्ण होने पर इनके जीवनकाल में वृद्धि संबंधी निर्णय आयोग द्वारा प्रकरण–दर–प्रकरण उसकी गुणवत्ता के आधार पर लिया जाएगा ; और

(60) **'वर्ष'** से अभिप्रेत है किसी विद्यमान परियोजना के प्रकरण में दिनांक एक अप्रैल से 31 मार्च तक का वित्तीय वर्ष तथा नवीन परियोजना के प्रकरण में वाणिज्यिक प्रचालन तारीख से 31 मार्च तक की समयावधि।

3.2 उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के जो इन विनियमों में प्रयुक्त हुए हैं तथा इनमें परिभाषित नहीं किए गए हैं परन्तु अधिनियम या आयोग के किसी अन्य विनियम में परिभाषित किए गए हैं वही अर्थ रखेंगे जैसा कि अधिनियम या आयोग के किसी अन्य विनियम में उनके लिए प्रदान किये गए हैं।

अध्याय – 2
वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख

4. वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख

4.1 किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी किसी इकाई हेतु वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख का अवधारण निम्नानुसार किया जाएगा :

(1) किसी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र की विद्युत उत्पादन इकाई अथवा उसके खण्ड (ब्लॉक) के प्रकरण में वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख का तात्पर्य विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा घोषित की गई उक्त तारीख से होगा जैसा कि वह एक सफल निष्पादन परीक्षण के माध्यम से, यथास्थिति, तत्संबंधी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र या राज्य भार प्रेषण केन्द्र से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् उच्चतम निरन्तर मूल्यांकन अथवा स्थापित क्षमता या फिर नामोदिष्ट ईंधन पर नामपट्टिका का मूल्यांकन द्वारा प्रदर्शित किया जाए तथा पूर्णरूपेण एक विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में यह उत्पादन केन्द्र की अन्तिम इकाई अथवा खण्ड (ब्लॉक) की वाणिज्यिक प्रचालन तारीख होगी:

परंतु यह कि :

(एक) जहां हितग्राही/क्रेता विद्युत उत्पादन केन्द्र से विद्युत क्रय करने बाबत बंधित न किए गये हों वहां निष्पादन परीक्षण (ट्रायल रन) या निष्पादन परीक्षण की प्रत्येक पुनरावृत्ति विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा हितग्राहियों तथा संबद्ध क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र अथवा राज्य भार प्रेषण केन्द्र को, यथास्थिति, क्रेताओं द्वारा प्रदत्त न्यूनतम सात दिवस की सूचना (नोटिस) अवधि के बाद प्रारंभ होगी ;

(दो) जहां हितग्राही/क्रेता विद्युत उत्पादन केन्द्र से विद्युत क्रय करने बाबत बंधित न किये गये हों वहां निष्पादन परीक्षण (ट्रायल रन) या निष्पादन परीक्षण की प्रत्येक पुनरावृत्ति विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा संबद्ध क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र अथवा राज्य भार प्रेषण केन्द्र को, यथास्थिति, प्रदत्त सात दिवस की सूचना (नोटिस) अवधि के बाद प्रारंभ होगी ;

(तीन) विद्युत उत्पादन कम्पनी यह प्रमाणित करेगी कि :

(क) विद्युत उत्पादन केन्द्र केन्द्रीय विद्युत अभिकरण द्वारा निर्दिष्ट विनियम 'Central Electricity Authority (Technical Standards for Construction of Electrical Plants and Electric Lines) Regulations 2010' तथा विद्युत ग्रिड संहिता, यथास्थिति, तकनीकी मानदण्डों की सुसंबद्ध आवश्यकताओं तथा प्रावधानों की पूर्ति करता है ;

(ख) मुख्य संयंत्र उपकरण तथा सहायक प्रणालियां, संयंत्र के अवशेष भाग, जैसे कि ईंधन तेल प्रणाली, कोयला हथालन संयंत्र, विखनिजीकृत संयंत्र (डीएम प्लांट), पूर्व उपचार संयंत्र, राखड़ निपटान संयंत्र (ऐश डिस्पोसल प्लांट) तथा अन्य कोई स्थल विशिष्ट प्रणाली को सम्मिलित करते हुए, को क्रियाशील किया जा चुका है तथा अनवरत आधार पर विद्युत उत्पादन केन्द्र इकाईयों के पूर्ण भार परिचालन हेतु सक्षम हैं ; तथा

(ग) स्थाई विद्युत प्रदाय प्रणाली, आपात विद्युत प्रदाय व्यवस्थाओं को सम्मिलित करते हुए तथा समस्त आवश्यक साधन–विनियोग (इन्स्ट्रूमेंटेशन), नियंत्रण तथा संरक्षण प्रणालियां एवं इकाई के पूर्ण भार परिचालन हेतु ऑटो छोर (ऑटोलूप्स) सेवा में संस्थापित किये जा चुके हैं ;

(चार) उपरोक्त खण्ड (तीन) के अन्तर्गत वांछित प्रमाण–पत्रों को विद्युत उत्पादन कम्पनी के अध्यक्ष सह प्रबन्ध संचालक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी/प्रबंध संचालक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा वाणिज्यिक प्रचालन तारीख घोषित किये जाने से पूर्व प्रमाण–पत्र की एक प्रतिलिपि संबंधित क्षेत्रीय ऊर्जा समिति तथा संबद्ध क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र/राज्य भार प्रेषण केन्द्र के सदस्य सचिव को प्रस्तुत की जाएगी। विद्युत उत्पादन कम्पनी खण्ड (तीन) के अधीन वांछित अनुसार प्रमाण–पत्रों हेतु संचालक मण्डल का अनुमोदन वाणिज्यिक प्रचालन तारीख से तीन माह के भीतर प्रस्तुत करेगी ;

(पांच) निष्पादन परीक्षण (ट्रायल रन) इन विनियमों के विनियम 3.1 (57) के अनुसार संचालित किया जाएगा ;

(छः) आंशिक भार को इस शर्त पर अनुज्ञेय किया जा सकेगा कि निष्पादन परीक्षण (ट्रायल रन) अवधि के दौरान औसत भार, उच्चतम निरन्तर मूल्यांकन अथवा स्थापित क्षमता अथवा नामपट्टिका मूल्यांकन, व्यवधान अवधि तथा आंशिक भारण को छोड़कर परन्तु तत्संबंधी विस्तारित अवधि को सम्मिलित करते हुए, से कम न होगा ;

(सात) जहां निष्पादन परीक्षण (ट्रायल रन) के आधार पर विद्युत उत्पादन केन्द्र की इकाई उच्चतम निरन्तर मूल्यांकन अथवा स्थापित क्षमता अथवा नामपट्टिका मूल्यांकन से तत्संबंधी स्थापित क्षमता को प्रदर्शित करने में विफल रहती हो, वहां विद्युत उत्पादन कम्पनी के पास क्षमता का दर–ह्रास (डिरेट) करने या फिर निष्पादन परीक्षण की पुनरावृत्ति करने का विकल्प विद्यमान होगा। जहां विद्युत उत्पादन कम्पनी इकाई क्षमता का दर–ह्रास करने का निर्णय लेती है वहां ऐसे प्रकरणों में प्रदर्शित क्षमता दर–ह्रासित क्षमता के 105 प्रतिशत से अधिक या बराबर होगी ;

(आठ) संबधित क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र या राज्य भार प्रेषण केन्द्र, यथास्थिति, विद्युत उत्पादन कम्पनी को वाणिज्यिक प्रचालन तारीख घोषित किये जाने हेतु निष्पादन परीक्षण पर आधारित विद्युत उत्पादन आंकड़ों की प्राप्ति के सात दिवस के भीतर स्वीकृति से अवगत करायेगा ;

(नौ) यदि, यथास्थिति, संबद्ध क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र या राज्य भार प्रेषण केन्द्र के संज्ञान में निष्पादन परीक्षण में किसी प्रकार की कमियां आती हैं तो निष्पादन परीक्षण पर आधारित विद्युत आंकड़ों की प्राप्ति के सात (7) दिवस के भीतर इस कमी को विद्युत उत्पादन कम्पनी को सम्प्रेषित किया जाएगा ; तथा

(दस) विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी किसी इकाई से विद्युत प्रदाय की कार्यक्रमबद्धता (शेड्यूलिंग) वाणिज्यिक प्रचालन घोषित किये जाने की तारीख के उपरान्त 00.00 बजे से प्रारंभ होगी।

2. किसी जल विद्युत उत्पादन केन्द्र की विद्युत उत्पादन इकाई के संबंध में, उद्वहन संग्रहण जल विद्युत उत्पादन केन्द्र को सम्मिलित करते हुए, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से तात्पर्य विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा घोषित की गई उक्त तारीख से होगा जैसा कि वह एक सफल निष्पादन परीक्षण के माध्यम से, यथास्थिति, तत्संबंधी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र या राज्य भार प्रेषण केन्द्र से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् स्थापित क्षमता से तत्संबंधी उच्चतम सुयोग्यता द्वारा प्रदर्शित किया जाए तथा पूर्णरूपेण एक विद्युत उत्पादन केन्द्र के संबंध में यह उत्पादन केन्द्र की अन्तिम इकाई की वाणिज्यिक प्रचालन तारीख होगी :

परन्तु यह कि :

(एक) जहां हितग्राही/क्रेता विद्युत उत्पादन केन्द्र से विद्युत क्रय करने बाबत बंधित किए गये हों वहां निष्पादन परीक्षण (ट्रायल रन) या फिर निष्पादन परीक्षण की प्रत्येक पुनरावृत्ति जल विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा हितग्राहियों तथा संबद्ध

क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र अथवा राज्य भार प्रेषण केन्द्र को, यथास्थिति, क्रेताओं द्वारा प्रदत्त न्यूनतम सात दिवस की नोटिस अवधि के बाद प्रारंभ होगी ;

(दो) जहां हितग्राही/क्रेता विद्युत उत्पादन केन्द्र से विद्युत क्रय करने बाबत बंधित न किये गये हों वहां निष्पादन परीक्षण विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा संबद्ध क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र अथवा राज्य भार प्रेषण केन्द्र को, यथास्थिति, प्रदत्त सात दिवस की सूचना (नोटिस) अवधि के बाद प्रारंभ होगा ;

(तीन) विद्युत उत्पादन कम्पनी यह प्रमाणित करेगी कि :

(क) विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी कोई इकाई केन्द्रीय विद्युत अभिकरण द्वारा निर्दिष्ट विनियम 'Central Electricity Authority (Technical Standards for Construction of Electrical Plants and Electric Lines) Regulations 2010' तथा भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता, यथास्थिति, तकनीकी मानदण्डों की सुसंबद्ध आवश्यकताओं तथा प्रावधानों की पूर्ति करती है ;

(ख) मुख्य संयंत्र उपकरण तथा सहायक प्रणालियां, निस्सारण (ड्रेनेज) जल उलीचने (डिवाटरिंग) की प्रणाली, प्राथमिक तथा द्वितीयक शीतलन प्रणाली, निम्न दाब तथा दाब वायु सम्पीड़क (एलपी तथा एचपी एअर कम्प्रेसर), अग्निशमन प्रणाली, आदि को सम्मिलित करते हुए, को क्रियाशील किया जा चुका है तथा अनवरत आधार पर विद्युत उत्पादन केन्द्र इकाईयों के पूर्ण भार परिचालन हेतु सक्षम हैं ; और

(ग) स्थाई विद्युत प्रदाय प्रणाली, आपात विद्युत प्रदाय व्यवस्थाओं को सम्मिलित करते हुए तथा समस्त आवश्यक साधन–विनियोग (इन्स्ट्रूमेंटेशन), नियंत्रण तथा संरक्षण प्रणालियां एवं इकाई के पूर्ण भार परिचालन हेतु ऑटो छोर (आटोलूप्स) सेवा में संस्थापित किये जा चुके हैं ;

(चार) उपरोक्त खण्ड (तीन) के अन्तर्गत वांछित प्रमाण–पत्रों को विद्युत उत्पादन कम्पनी के अध्यक्ष सह प्रबन्ध संचालक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी/प्रबंध संचालक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा वाणिज्यिक प्रचालन तारीख घोषित किये जाने से पूर्व प्रमाण–पत्र की एक प्रतिलिपि को संबंधित क्षेत्रीय ऊर्जा समिति तथा संबद्ध क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र/राज्य भार प्रेषण केन्द्र के

सदस्य सचिव को प्रस्तुत की जाएगी। विद्युत उत्पादन कम्पनी खण्ड (तीन) के अधीन वांछित अनुसार प्रमाण–पत्रों हेतु संचालक मण्डल का अनुमोदन वाणिज्यिक प्रचालन तारीख से तीन माह के भीतर प्रस्तुत करेगी ;

(पांच) निष्पादन परीक्षण (ट्रायल रन) इन विनियमों के विनियम 3.1 (57) के अनुसार संचालित किया जाएगा ;

(छः) जहां निष्पादन परीक्षण (ट्रायल रन) के आधार पर विद्युत उत्पादन केन्द्र की इकाई उच्चतम निरन्तर मूल्यांकन अथवा स्थापित क्षमता अथवा नामपट्टिका मूल्यांकन से तत्संबंधी स्थापित क्षमता को प्रदर्शित करने में विफल रहती हो, वहां विद्युत उत्पादन कम्पनी के पास क्षमता का दर–ह्रास (डिरेट) करने या फिर निष्पादन परीक्षण की पुनरावृत्ति करने का विकल्प विद्यमान होगा। जहां विद्युत उत्पादन कम्पनी इकाई क्षमता का दर–ह्रास करने का निर्णय लेती हो वहां ऐसे प्रकरणों में प्रदर्शित क्षमता दर–ह्रासित क्षमता के 110 प्रतिशत से अधिक या बराबर होगी ;

(सात) ऐसे प्रकरण में जहां विद्युत उत्पादन केन्द्र मय जलाशय या संग्रहण के स्थापित क्षमता तत्संबंधी शीर्ष क्षमता प्रदर्शित करने हेतु अपर्याप्त संग्रहण या अपर्याप्त जलाशय स्तर के कारण ऐसा किया जाना संभव न हो वहां विद्युत उत्पादन केन्द्र की अन्तिम इकाई की वाणिज्यिक प्रचालन तारीख को विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु समग्र रूप से माना जाएगा तथा ऐसे जल विद्युत उत्पादन केन्द्र के लिए स्थापित क्षमता के बराबर विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी इकाई के लिए शीर्ष क्षमता प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा, जैसे ही ऐसे जलाशय/तालाब का स्तर प्राप्त कर लिया जाए ;

(आठ) यदि अपर्याप्त अन्तर्प्रवाह के कारण शीर्ष क्षमता के प्रदर्शन हेतु नदी बहाव जल विद्युत उत्पादन स्टेशन या उसकी विद्युत उत्पादन इकाई को वाणिज्यिक प्रचालन से कमतर घोषित कर दिया जाए तो ऐसे जल विद्युत उत्पादन केन्द्र के लिए यह अनिवार्य होगा कि जैसे ही उसे पर्याप्त जल अन्तर्प्रवाह उपलब्ध हो जाए, उसके द्वारा स्थापित क्षमता के बराबर शीर्ष क्षमता प्रदर्शित की जाए। शीर्ष क्षमता प्रदर्शित करने में विफल रहने पर इकाई द्वारा प्रदर्शित की गई क्षमता को वाणिज्यिक प्रचालन तारीख से दर–ह्रासित (डिरेटेड) कर दिया जाएगा ;

(नौ) संबंधित क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र या राज्य भार प्रेषण केन्द्र, यथास्थिति, निष्पादन

परीक्षण पर आधारित विद्युत उत्पादन आंकड़ों की प्राप्ति के सात (7) दिवस के भीतर स्वीकृति प्रदान करेगा ;

(दस) यदि, यथास्थिति, क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र या राज्य भार प्रेषण केन्द्र के संज्ञान में निष्पादन परीक्षण के बारे में किसी प्रकार की कमियां पाई जाती है तो निष्पादन परीक्षण पर आधारित विद्युत आंकड़ों की प्राप्ति के सात (7) दिवस के भीतर इस कमी को विद्युत उत्पादन कम्पनी को सम्प्रेषित कर दिया जाएगा ; और

(ग्यारह) विद्युत प्रदाय की क्रमबद्धता (शेड्यूलिंग) वाणिज्यिक प्रचालन घोषित किये जाने की तारीख के उपरान्त 00.00 बजे से प्रारंभ होगी।

अध्याय – 3

विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण की प्रक्रिया

5. विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण :

5.1 किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र के बारे में विद्युत–दर का अवधारण सम्पूर्ण विद्युत उत्पादन केन्द्र अथवा उसकी किसी इकाई के लिये किया जा सकेगा :

परन्तु यह कि :

(एक) जहां किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र के किसी चरण से संबंधित समस्त विद्युत उत्पादन इकाईयों को दिनांक 1.4.2019 से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित किया जा चुका हो वहां विद्युत उत्पादन कम्पनी समग्र विद्युत उत्पादन केन्द्र के बारे में दिनांक 1.4.2019 से दिनांक 31.03.2024 की अवधि हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण के प्रयोजन से समेकित याचिका दायर करेगी ; और

(दो) ऐसी दशा में, जहां विद्युत उत्पादन केन्द्र का वाणिज्यिक प्रचालन दिनांक 1.4.2019 को या तत्पश्चात् हो वहां विद्युत उत्पादन कम्पनी विद्युत उत्पादन केन्द्र की ऐसी समस्त इकाईयों को संयोजित करते हुए एक समेकित याचिका दायर करेगी या फिर ऐसी इकाईयों के बारे में समुचित याचिका दायर करेगी जिनकी आवेदन तारीख से आगामी दो माह की अवधि के भीतर वाणिज्यिक प्रचालन तारीख प्राप्त किये जाने की संभावनाएं हों :

5.2 विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण के प्रयोजन से परियोजना की पूंजीगत लागत को चरणों, इकाईयों में विखण्डित किया जा सकेगा, यदि ऐसा करना आवश्यक हो :

परन्तु जहां परियोजना की पूंजीगत लागत का विघटन इसके विभिन्न चरणों या इकाईयों हेतु उपलब्ध न हो तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं के प्रकरण में साझी सुविधाओं को इकाई की स्थापित क्षमता के आधार पर संविभाजित किया जाएगा।

5.3 जहां विद्युत उत्पादन केन्द्र की आंशिक विद्युत उत्पादन क्षमता हितग्राहियों को दीर्घ–अवधि विद्युत क्रय अनुबन्ध के माध्यम से विद्युत प्रदाय हेतु आबद्ध की गई हो वहां ऐसी आंशिक क्षमता हेतु इकाईयों को स्पष्ट रूप से चिन्हांकित किया जाएगा तथा ऐसे प्रकरणों में विद्युत–दर का अवधारण इस प्रकार से चिन्हांकित क्षमता हेतु किया जाएगा। जहां ऐसी आंशिक क्षमता से तत्संबंधी इकाई(यों) को चिन्हांकित किया जाना संभव न हो

वहां विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) सम्पूर्ण परियोजना की पूंजीगत लागत के संदर्भ में अवधारित की जा सकेगी, परन्तु इस प्रकार अवधारित की गई हितग्राहियों के लिये विद्युत प्रदाय हेतु अनुबंधित विद्युत–दर आंशिक क्षमता से तत्संबंधी प्रयोज्य होगी।

5.4 विद्यमान विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में विस्तारित क्षमता के लिये विद्युत–दर, यदि दीर्घ–अवधि विद्युत क्रय अनुबन्ध के माध्यम से हितग्राहियों को विद्युत प्रदाय हेतु आबद्ध की गई हो, तो इसका अवधारण इन विनियमों के अनुसार किया जाएगा :

परंतु विद्यमान विद्युत उत्पादन केन्द्र की साझी अधोसंरचना का उपयोग विस्तारित क्षमता के लिये किया जाएगा तथा विस्तारित क्षमता में नवीन प्रौद्योगिकी के प्रलाभ का विस्तार विद्यमान क्षमता हेतु भी किया जाएगा।

5.5 पुनरीक्षित उत्सर्जन मानकों के क्रियान्वयन हेतु संस्थापित परिसम्पत्तियां विद्यमान विद्युत उत्पादन योजना का ही भाग होंगे तथा संबंधित विद्युत–दर का अवधारण पृथक से विद्युत उत्पादन कम्पनी के संचालक मण्डल द्वारा कार्य समापन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने पर किया जाएगा।

5.6 कोयला धोवन अस्वीकरणों (कोल वाशरी रिजेक्ट्स) का उपयोग करने वाले विद्युत उत्पादन केन्द्र जिन्हें केन्द्रीय या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सरकारी कम्पनी तथा सरकारी कम्पनी से अन्य किसी कम्पनी द्वारा विकसित किया गया हो, की विद्युत–दर का अवधारण इन विनियमों के अनुसार किया जाएगा :

परन्तु सरकारी कम्पनी तथा सरकारी कम्पनी से अन्य कम्पनी के मध्य संयुक्त उपक्रम के प्रकरण में शासकीय कम्पनी से अन्य कम्पनी का अंशधारण (शेयर होल्डिंग), प्रत्यक्ष रूप से या फिर उसकी किसी सहायक कम्पनी या सम्बद्ध कम्पनी के माध्यम से, प्रदत्त शेयर पूंजी (पेडअप शेयर होल्डिंग) के 26 प्रतिशत से अधिक न होगा :

परन्तु यह और कि ऐसे विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी इकाई की विद्युत–दर के ऊर्जा प्रभार घटक का अवधारण कोयला धोवन परियोजना की स्थायी लागत तथा परिवर्तनीय लागत के आधार पर किया जाएगा :

परन्तु यह भी कि कोयला अस्वीकरणों (कोल रिजेक्ट्स) के सकल ऊष्मीय मान (ग्रास कैलोरिफिक वेल्यू) का मापन विद्युत उत्पादन कम्पनी तथा हितग्राहियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा ।

5.7 सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण तथा ऊर्जा घटकों से सन्निहित बहुद्देशीय जल विद्युत उत्पादन योजना के प्रकरण में केवल योजना हेतु विद्युत घटक को प्रभारणीय पूंजीगत लागत को ही विद्युत–दर के अवधारण हेतु मान्य किया जाएगा।

6. विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु आवेदन–पत्र :

6.1 नवीन विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी इकाई के विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण के बारे में विद्युत उत्पादन कम्पनी को अपना आवेदन वाणिज्यिक प्रचालन की संभावित तारीख से 60 दिवस के भीतर, अनुलग्नक–एक में दर्शाये गए प्रपत्रों में समस्त सुसंगत प्रलेखों तथा भरे जाने वाले विवरणों के साथ दाखिल करना होगा :

परन्तु विद्युत उत्पादन कम्पनी अंकेक्षक प्रमाण पत्र वाणिज्यिक प्रचालन तारीख के अनुसार व्यय की गई पूंजीगत लागत दर्शाते हुए प्रस्तुत करेगी तथा विद्युत–दर अवधि 2019–24 के तत्संबंधी वर्षों हेतु प्रक्षेपित पूंजीगत व्यय के विवरण प्रस्तुत करेगी।

6.2 किसी विद्यमान विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी किसी इकाई के प्रकरण में विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा बहुवर्षीय विद्युत–दर के अवधारण हेतु अपना आवेदन इन विनियमों की अधिसूचना जारी होने की तारीख से 60 दिवस के भीतर या फिर जैसा कि आयोग द्वारा निर्देशित किया जाए, इनमें से जो भी पूर्व में घटित हो, स्वीकृत पूंजीगत लागत पर आधारित, पूर्व ही से स्वीकृत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय संबंधी जानकारी को सम्मिलित करते हुए जिसे आयोग के पूर्व सत्यापन आदेश में स्वीकृत किया गया हो तथा विद्युत–दर अवधि 2019–24 के तत्संबंधी वर्षों हेतु प्राक्कलित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के साथ मप्रविनिआ (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) विनियम 2020 के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा :

परन्तु आवेदन में प्रक्षेपित पूंजीगत लागत तथा अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, जहां यह लागू हो, अन्तर्निहित अवधारणाओं के विवरण सम्मिलित किये जाएंगे।

6.3 ऐसे प्रकरण में जहां पुनरीक्षित उत्सर्जन मानकों की पूर्ति हेतु विद्यमान विद्युत उत्पादन केन्द्र अथवा उसकी किसी इकाई में उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली स्थापित किये जाने की आवश्यकता हो वहां एक आवेदन अनुपूरक विद्युत–दर (सप्लीमेंटरी टैरिफ) (क्षमता प्रभारों या ऊर्जा प्रभारों, अथवा दोनों के लिये) अंकेक्षक द्वारा प्रमाणित वास्तविक पूंजीगत व्यय पर आधारित प्रस्तुत करना होगा।

7. विद्युत–दर (टैरिफ) का अवधारण :

7.1 विद्युत उत्पादन कम्पनी आयोग के समक्ष एक याचिका इन विनियमों के अनुसार संलग्न प्रपत्रों के साथ आधारभूत अवधारणाओं के विवरणों को सम्मिलित करते हुए पूंजीगत व्यय तथा किये गये अतिरिक्त व्यय हेतु तथा जिसे व्यय किया जाना प्रक्षेपित किया गया हो, जहां कहीं भी यह प्रयोज्य हो, दाखिल करेगी।

7.2 आयोग को सदैव विद्युत उत्पादन कंपनी की किसी स्वविवेक याचिका की प्रस्तुति द्वारा अथवा किसी अभिरूचि रखने वाले या प्रभावित पक्षकार द्वारा दायर याचिका पर, विद्युत–दर (टैरिफ) तथा उसके निबंधन तथा शर्तों के अवधारण का अधिकार होगा तथा आयोग द्वारा ऐसी अवधारण प्रक्रिया के संबंध में जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, पहल की जा सकेगी ;

परन्तु ऐसे विद्युत–दर (टैरिफ) के साथ संबंधित निबंधन तथा शर्तों की अवधारण संबंधी कार्रवाई को समय–समय पर यथासंशोधित मप्रविनिआ कार्य संचालन विनियमों में निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार क्रियान्वित किया जाएगा।

7.3 विद्युत उत्पादन कंपनी आयोग को आवेदन के एक भाग के रूप में ऐसे प्रपत्रों में जैसा कि वे आयोग द्वारा निर्दिष्ट किये जाएं, विस्तृत विवरण हार्ड तथा सॉफ्ट प्रतियों में प्रस्तुत करेगी। विद्युत उत्पादन कंपनी आवश्यक रूप से इकाईवार तथा केन्द्रवार विवरण जैसा कि वे प्रपत्रों में विनिर्दिष्ट किये गये हों, प्रस्तुत करेगी जिससे आयोग को वांछित अनुसार विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण में सुविधा हो।

7.4 विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण के संबंध में एक आवेदन जो अंकेक्षकों द्वारा यथाप्रमाणित पूंजीगत व्यय पर आधारित होगा अथवा जिसे वाणिज्यिक प्रचालन तारीख तक किया जाना प्रक्षेपित किया गया हो तथा अंकेक्षकों द्वारा यथाप्रमाणित किया गया अतिरिक्त पूंजीगत व्यय अथवा जिसे विद्युत उत्पादन केन्द्र द्वारा विद्युत–दर की अवधि के दौरान किया जाना प्रक्षेपित किया गया हो इन विनियमों के अनुसार दाखिल किया जाएगा।

विद्युत उत्पादन कम्पनी को आवेदन प्रक्रियाबद्ध किये जाने के प्रयोजन से कतिपय अतिरिक्त समस्त जानकारी अथवा विवरण अथवा अभिलेख जो आवेदन पर यथोचित कार्रवाई के प्रयोजन से अनिवार्य समझे जाएं, प्रस्तुत करने होंगे :

परन्तु किसी विद्यमान परियोजना के प्रकरण में, आवेदन स्वीकृत पूंजीगत लागत मय किसी अतिरिक्त पूंजीकरण के, जिसे पूर्व सत्यापन आदेश में स्वीकृत किया

जा चुका हो, विद्युत–दर अवधि वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु तत्संबंधी वर्षों के अनुमानित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय पर आधारित होगा :

परन्तु यह और भी कि आवेदन में प्रक्षेपित पूंजीगत लागत तथा अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, जहां कहीं भी यह लागू हो, के संबंध में आधारभूत अवधारणाओं के विवरण भी सम्मिलित किये जाएंगे।

7.5 समस्त वांछित जानकारी, विवरण एवं अभिलेख जो आवश्यकताओं के परिपालनार्थ आवश्यक हों, सम्पूर्ण आवेदन के साथ प्राप्त होने की दशा में ही आवेदन को प्राप्त किया गया माना जाएगा तथा आयोग अथवा सचिव अथवा आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामांकित अधिकारी आवेदन को संक्षेप में तथा ऐसी रीति में, जैसी कि वह विनिर्दिष्ट की जाए, यह सूचित करेंगे कि आवेदन प्रकाशन हेतु तैयार है, {कृपया देखें मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कम्पनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण और इसके लिये भुगतानयोग्य फीस) विनियम, 2004 समय–समय पर यथासंशोधित}। विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा आयोग को प्रस्तुत की गई अपनी याचिका के समस्त विवरण आयोग द्वारा उसे स्वीकार किये जाने की तारीख से सात कार्यकारी दिवस के भीतर अपने वैबस्थल (वेबसाईट) पर प्रदर्शित करने होंगे।

7.6 विद्युत उत्पादन कंपनी आयोग को ऐसी समस्त पुस्तकें तथा अभिलेख (अथवा उनकी प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियां) लेखांकन विवरण–पत्र, परिचालन तथा लागत आंकड़े जो आयोग द्वारा विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु अपेक्षित किए जाएं, प्रस्तुत करेगी।

7.7 आयोग, यदि उचित समझे, तो वह किसी भी समय व्यक्ति को ऐसी जानकारी जो विद्युत उत्पादन कंपनी ने आयोग को प्रस्तुत की है, ऐसी पुस्तकों तथा अभिलेखों की संक्षेपिका सहित (अथवा उनकी प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियों के) उपलब्ध करा सकेगा :

परन्तु आयोग कतिपय आदेश जारी कर, यह निर्देशित कर सकेगा कि आयोग द्वारा संधारित की जाने वाली ऐसी जानकारी, अभिलेख व पत्र/सामग्रियां गोपनीय अथवा विशेषाधिकारयुक्त होंगी जो निरीक्षण हेतु अथवा प्रमाणित प्रतिलिपियों के रूप में उपलब्ध न कराई जा सकेंगी तथा आयोग यह भी निर्देशित कर सकेगा कि ऐसे अभिलेख, पत्र अथवा सामग्री को किसी ऐसी रीति द्वारा उपयोग न किया जा सकेगा, सिवाय जैसा कि आयोग द्वारा विशिष्ट रूप से इस बाबत् प्राधिकृत किया जाए।

7.8 यदि याचिका में प्रस्तुत की गई जानकारी इन विनियमों की आवश्यकताओं के अन्तर्गत किसी भी प्रकार से अपर्याप्त हो तो आयोग द्वारा जैसा कि आयोग के पदाधिकारियों द्वारा पाई गई कमियों में सुधार किये जाने बाबत् निर्दिष्ट किया जाए, याचिका को विद्युत उत्पादन कम्पनी को एक माह के भीतर पुनः प्रस्तुत करने हेतु वापस कर दिया जाएगा।

7.9 यदि याचिका में प्रस्तुत की गई जानकारी विनियमों के अनुसार हो तथा किये गये दावों के युक्तियुक्त परीक्षण हेतु पर्याप्त हो तो आयोग प्रतिवादियों से याचिका दायर करने की तारीख से एक माह (अथवा आयोग द्वारा निर्दिष्ट की गई किसी समयावधि) के भीतर तथा अन्य कोई व्यक्ति, उपभोक्ता अथवा उपभोक्ता संघों को सम्मिलित करते हुए, प्राप्त किए गए सुझाव तथा आपत्तियां, यदि कोई हों, पर विचार करेगा। आयोग याचिकाकर्ता, प्रतिवादियों तथा किसी अन्य व्यक्ति से, जिसे आयोग द्वारा विशिष्ट रूप से अनुमति प्रदान की गई हो, की सुनवाई के बाद विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश जारी करेगा।

7.10 नवीन परियोजनाओं के प्रकरण में, यदि याचिका में प्रस्तुत की गई जानकारी इन विनियमों के अनुसार हो तथा प्रस्तुत किये गये दावों के संबंध में युक्तियुक्त परीक्षण के कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त हो तो आयोग अन्तरिम विद्युत–दर (टैरिफ) और/अथवा इन विनियमों के अधीन प्रावधानों के अनुसार युक्तियुक्त परीक्षण के बाद अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तारीख से प्रक्षेपित पूंजीगत व्यय पर आधारित आयोग द्वारा अवधारित वार्षिक स्थाई लागत के 90 प्रतिशत तक अन्तरिम आदेश जारी करने पर विचार कर सकेगा जो अन्तिम विद्युत–दर आदेश जारी होने पर इन विनियमों के विनियम 7.13 के अनुसार समायोजन के अध्यधीन होगा।

7.11 विद्यमान परियोजनाओं के प्रकरण में, विद्युत उत्पादन कम्पनी दिनांक 01.04.2019 से प्रारंभ होने वाली अवधि हेतु दिनांक 31.3.2019 की स्थिति में, इन विनियमों के अनुसार अन्तिम क्षमता प्रभारों का अनुमोदन होने तक आयोग द्वारा किये गये अनुमोदन के अनुसार हितग्राहियों को अन्तरिम रूप से बिल किया जाना जारी रखेगी :

परन्तु दिनांक 01.04.2019 से प्रभावशील ऊर्जा प्रभारों की बिलिंग इन विनियमों में विनिर्दिष्ट किये गये परिचालन मानदण्डों के अनुसार की जाएगी :

परन्तु यह और कि विद्युत उतपादन कम्पनी द्वारा हितग्राही को प्रस्तुत किये गये प्रावधिक देयकों के अन्तर को तथा आयोग द्वारा इन विनियमों के अनुसार अवधारित की जाने वाली विद्युत–दर को हितग्राही से विद्युत–दर (टैरिफ) अवधि

के तत्संबंधी वर्ष की एक अप्रैल को प्रचलित बैंक दर के बराबर साधारण ब्याज के साथ छः बराबर मासिक किस्तों में वसूल किया जाएगा अथवा उसे इसका प्रत्यर्पण (रिफण्ड) किया जाएगा।

7.12 आयोग विद्यमान तथा नवीन परियोजनाओं के प्रकरण में अन्तिम विद्युत–दर की स्वीकृति प्रतिवादियों से प्राप्त किये गये उत्तर, आम जनता या किसी व्यक्ति से प्राप्त किये गये सुझावों तथा आपत्तियों जिन्हें आयोग द्वारा अनुमति प्रदान की गई हो, पर विचार करने के बाद करेगा।

7.13 खण्ड 7.10 तथा 7.12 के अनुसार अवधारित की गई विद्युत–दर के अन्तर के बारे में हितग्राहियों को साधारण ब्याज के साथ विद्युत–दर अवधि के तत्संबंधी वर्ष की प्रथम अप्रैल की स्थिति में प्रचलित बैंक दर पर साधारण ब्याज के साथ आयोग द्वारा जारी विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश की तारीख से वसूली की जाएगी या उसका प्रत्यर्पण किया जाएगा :

परंतु यह कि :

(एक) जहां आयोग द्वारा विद्युत–दर (टैरिफ) मानी गई पूंजीगत लागत प्रक्षेपित अतिरिक्त पूंजीगत लागत के आधार पर मानी गई हो तथा वास्तविक पूंजीगत लागत से वर्ष–दर–वर्ष आधार पर आधिक्य 10 प्रतिशत से अधिक हो, वहां विद्युत उत्पादन कम्पनी हितग्राहियों से अधिक पूंजीगत लागत से तत्संबंधी वसूल की गई अधिक विद्युत–दर (टैरिफ) का प्रत्यर्पण, आयोग द्वारा यथाअनुमोदित, मय ब्याज के जो तत्संबंधी वर्ष की प्रथम अप्रैल को प्रचलित बैंक दर का 1.20 गुना होगी, करेगी।

(दो) जहां आयोग द्वारा विद्युत–दर में मानी गई पूंजीगत लागत प्रक्षेपित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के आधार पर मानी गई हो तथा वास्तविक पूंजीगत व्यय से वर्ष–दर–वर्ष आधार पर पाई गई कमी 10 प्रतिशत से अधिक हो, वहां विद्युत उत्पादन कम्पनी हितग्राहियों से विद्युत–दर (टैरिफ) में पाई गई किसी कमी की वसूली आयोग द्वारा यथाअनुमोदित मय ब्याज के तत्संबंधी वर्ष के एक अप्रैल को प्रचलित बैंक दर पर करेगी।

8. विशिष्ट परिस्थितियों का सैद्धान्तिक अनुमोदन :

8.1 विद्युत उत्पादन कम्पनी जो विधिक घटनाओं में परिवर्तन या फिर विशेष आकस्मिक परिस्थिति (फोर्स मेज्योर) के कारण अतिरिक्त पूंजीकरण का दायित्व वहन करती हो वह

इस प्रकार का व्यय करने हेतु सैद्धान्तिक अनुमोदन के लिये हितग्राहियों अथवा दीर्घ अवधि उपभोक्ताओं को यथास्थिति पूर्व सूचना (नोटिस) जारी करने के बाद मय अन्तर्निहित अवधारणाओं, प्राक्कलनों के साथ इस प्रकार के व्यय के लिये औचित्य दर्शाते हुए याचिका दाखिल कर सकेगी यदि ऐसा प्राक्कलित व्यय परियोजना की स्वीकृत पूंजीगत लागत के 10 प्रतिशत अथवा रू. 100 करोड़, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक हो।

9. विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण की विधि तथा सत्यापन :

9.1 आयोग विद्युत उत्पादन कंपनी की विद्युत–दर (टैरिफ) अवधियों का समय–समय पर निर्धारण करेगा। विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण के सिद्धान्त विद्युत–दर अवधि के दौरान ही प्रयोज्य होंगे। इन विनियमों के अन्तर्गत विद्युत–दर अवधारण के मार्गदर्शी सिद्धान्त आगामी विद्युत–दर हेतु दिनांक प्रथम अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2024 की अवधि तक वैध रहेंगे।

9.2 इन विनियमों के अन्तर्गत, विद्युत उत्पादन कंपनी से संबंधित विद्युत–दर (टैरिफ) इकाई (यूनिट)–वार अथवा इकाईयों के समूह हेतु अवधारित की जाएगी। तथापि, जब कभी भी किसी नवीन विद्युत उत्पादक इकाई की दिनांक 1.4.2019 के उपरान्त अभिवृद्धि की जाए तो आयोग द्वारा ऐसी नवीन इकाई(यों) हेतु पृथक से विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारित की जाएगी। विद्युत उत्पादन कंपनी प्रत्येक विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु दिनांक 1.4.2019 से पूर्व की इकाईयों हेतु तथा तत्पश्चात् जोड़ी गई इकाईयों हेतु पृथक् से विभाजन दर्शाते हुए गणनाएं प्रस्तुत करेगी।

9.3 विद्युत–दर (टैरिफ) के प्रयोजन हेतु परियोजना की पूंजीगत लागत को प्रक्रमवार तथा परियोजना के भाग के रूप में विशिष्ट इकाईयों द्वारा पृथक्कृत किया जाएगा। जहां परियोजना की पूंजीगत लागत का प्रक्रमवार व इकाईवार ब्यौरा उपलब्ध न हो तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं के प्रकरणों में संयुक्त सुविधाओं को इकाईयों की क्षमता के आधार पर आनुपातिक रूप से विभाजित किया जाएगा। सिंचाई, बाढ़–नियंत्रण तथा ऊर्जा उत्पादन से संबंधित बहुद्देशीय जल–विद्युत परियोजनाओं के प्रकरणों में केवल परियोजना के ऊर्जा उत्पादन से संबंधित घटक पर ही विद्युत–दर अवधारण हेतु विचार किया जाएगा।

व्याख्या : ''परियोजना'' में सम्मिलित है विद्युत उत्पादन केन्द्र।

9.4 विद्युत उत्पादन कंपनी विद्युत–दर (टैरिफ) अवधि के प्रारंभ में एक याचिका दाखिल करेगी। आयोग द्वारा उक्त वर्ष के दौरान जिस हेतु सत्यापन किये जाने संबंधी अनुरोध किया जा रहा है, किये गये पूंजीगत व्यय तथा वास्तविक रूप से किये गये अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के आंकड़ों का सूक्ष्म परीक्षण तथा उसका सत्यापन करने हेतु समीक्षा की जाएगी। विद्युत उत्पादन कम्पनी, सत्यापन के प्रयोजन हेतु, दिनांक 1.4.2019 से 31.3.2024 तक की अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु किये गये पूंजीगत व्यय तथा अतिरिक्त पूंजीगत व्यय लेखा परीक्षकों (ऑडिटरों) द्वारा यथाअंकेक्षित तथा यथाप्रमाणित किये गये अनुसार प्रस्तुत करेगी।

9.5 विद्यमान विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु बहुवर्षीय विद्युत–दर (टैरिफ) याचिका हार्ड तथा सॉफ्ट प्रतियों में इन विनियमों की अधिसूचना तारीख से 60 दिवस के भीतर दाखिल की जाएगी।

9.6 कोई वितरण अनुज्ञप्तिधारी जिसके पास एक विद्युत उत्पादन केन्द्र का स्वामित्व तथा उसके परिचालन का दायित्व हो, वह उसके विद्युत उत्पादन व्यवसाय, अनुज्ञप्त व्यवसाय तथा अन्य व्यवसायों के पृथक्–पृथक् लेखे संधारित करेगा तथा प्रस्तुत करेगा।

9.7 विद्युत उत्पादन कम्पनी विद्युत उत्पादन केन्द्र या इससे संबद्ध किसी इकाई या खण्ड के बारे में प्रत्येक वर्ष हेतु इन विनियमों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार हार्ड तथा सॉफ्ट प्रति में उन्हीं प्ररूपों में प्रति वर्ष दिनांक **15 नवम्बर** तक सत्यापन अभ्यास के क्रियान्वयन हेतु एक आवेदन प्रस्तुत करेगी।

9.8 विद्युत उत्पादन कम्पनी 1.4.2019 से 31.3.2024 की अवधि हेतु सत्यापन के प्रयोजन हेतु किए गए वास्तविक पूंजीगत व्यय तथा प्रमाणित पूंजीगत व्यय के विस्तृत विवरण लेखा परीक्षक (आडिटर) द्वारा विधिवत वर्ष–दर–वर्ष आधार पर अंकेक्षण तथा प्रमाणित कराने के पश्चात् प्रस्तुत करेगी।

9.9 जहां सत्यापन के बाद, वसूल की गयी विद्युत–दर (टैरिफ) आयोग द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत अनुमोदित विद्युत–दर (टैरिफ) से अधिक हो, वहां विद्युत उत्पादन कम्पनी वसूल की गई अधिक राशि का प्रत्यर्पण हितग्राहियों को इन विनियमों के विनियम 9.11 में निर्दिष्ट किए गए अनुसार करेगी।

9.10 जहां सत्यापन के बाद, वसूल की गयी विद्युत–दर (टैरिफ) आयोग द्वारा इन विनियमों के अंतर्गत अनुमोदित विद्युत–दर (टैरिफ) से कम हो, वहां विद्युत उत्पादन कम्पनी हितग्राहियों से कम वसूल की गई राशि की वसूली इन विनियमों के विनियम 9.11 में

निर्दिष्ट किए गए अनुसार करेगी।

9.11 सत्यापन के बाद, यदि पूर्व में वसूल की गई विद्युत–दर (टैरिफ) इन विनियमों के अधीन आयोग द्वारा अनुमोदित की गई विद्युत–दर से अधिक हो या कम रहती हो तो विद्युत उत्पादन कम्पनी हितग्राहियों से अधिक या कम वसूल की गई राशि का प्रत्यर्पण या वसूली मय तत्संबंधी वर्षों की टैरिफ अवधि के प्रथम अप्रैल को लागू बैंक दर के बराबर दर पर छः बराबर मासिक किस्तों में करेगी।

10. वार्षिक लेखे, प्रतिवेदनों आदि का प्रस्तुतिकरण :

10.1 विद्युत उत्पादन कम्पनी को लेखों के वार्षिक अंकेक्षित लेखे तथा ऐसी अन्य जानकारी जैसी कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्रस्तुत करनी होगी। इसके अतिरिक्त, विद्युत उत्पादन कंपनी को आयोग द्वारा समय–समय पर अधिसूचित विभिन्न विनियमों तथा संहिताओं की सूचना संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा।

10.2 विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा वांछित जानकारी की प्रस्तुति के अभाव में, आयोग कतिपय स्वविवेक याचिका द्वारा भी कार्रवाई प्रारंभ कर सकेगा।

11. विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण में अन्तराल :

11.1 किसी भी वित्तीय वर्ष में विद्युत–दर (टैरिफ) अथवा विद्युत–दर का कोई भी अंश सामान्यतः एक से अधिक बार के अन्तराल में संशोधित नहीं किया जा सकेगा, केवल ऐसी परिस्थितियों को छोड़ कर जहां विनियमों के निबन्धनों में निर्दिष्टानुसार किसी परिवर्तन के संबंध में अनुमति प्रदान की जा चुकी हो। आयोग, स्वयं का समाधान हो जाने पर ही, जिस हेतु उसके द्वारा कारण लिखित में अभिलेखित किये जाएंगे, विद्युत–दर (टैरिफ) में अन्य पुनरीक्षण अनुज्ञेय कर सकेगा।

11.2 इन विनियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, किसी वर्ष हेतु स्वीकृत किये गये व्ययों की वसूली किसी अनुवर्ती अवधि हेतु स्वीकृत अवधारित विद्युत–दर (टैरिफ) में समायोजन के अध्यधीन होगी, यदि आयोग इस बारे में सन्तुष्ट हो कि किसी राशि आधिक्य अथवा कमी जो उसके वास्तविक अथवा किये गये व्ययों से संबंधित है, का समायोजन अपरिहार्य है एवं वह किसी विशिष्ट कारण से विद्युत उत्पादन कम्पनी के नियंत्रण में न होने के कारणवश है।

12. सुनवाई :

12.1 विद्युत–दर (टैरिफ) आवेदन पर सुनवाई संबंधी प्रक्रिया मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी तथा उत्पादन कंपनी द्वारा दिये जाने वाला

विवरण एवं आवेदन देने की रीति एवं इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम 2004, समय–समय पर यथासंशोधित, में विनिर्दिष्ट अनुसार की जाएगी।

13. **आयोग के आदेश :**

13.1 किसी याचिका के दायर किये जाने पर, आयोग विद्युत उत्पादन कंपनी से किसी अतिरिक्त जानकारी, विवरण, दस्तावेज, सार्वजनिक अभिलेख आदि, जैसा कि आयोग उचित समझे, की मांग कर सकेगा ताकि आयोग याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत गणनाओं, अनुमानों एवं अभिकथनों का मूल्यांकन कर सके।

13.2 जानकारी प्राप्त होने पर अथवा अन्यथा, आयोग समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी तथा उत्पादन कंपनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति एवं इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004 के उपबन्धों के अनुरूप समुचित आदेश जारी कर सकेगा।

14. **अनुमोदित विद्युत–दर (टैरिफ) से भिन्न दर प्रभारित करना :**

14.1 किसी विद्युत उत्पादन कंपनी के संबंध में जिसे हितग्राहियों से आयोग द्वारा अनुमोदित से भिन्न विद्युत–दर (टैरिफ) प्रभारित करते हुये पाया जाएगा, यह माना जाएगा कि उसके द्वारा आयोग के आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया है, उसे अधिनियम की धारा 142 के अन्तर्गत तथा अधिनियम के अन्य उपबंधों के अन्तर्गत उत्पादन कंपनी द्वारा देय अन्य किसी दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना दण्डित किये जाने का भागी होगा। ऐसे प्रकरण में जहां वसूल की गई राशि, आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई राशि से अधिक हो वहां इस प्रकार अधिक वसूल की गई राशि को हितग्राहियों को, जिनके द्वारा अधिक राशि का भुगतान किया गया है, मय उक्त अवधि के साधारण ब्याज के साथ जिसकी दर तत्संबंधी वर्ष की प्रथम अप्रैल की स्थिति में बैंक दर के बराबर होगी, आयोग द्वारा अधिरोपित अन्य किसी शास्ति के अलावा प्रत्यर्पण की जाएगी।

15. **विद्युत उत्पादन कंपनी की वार्षिक समीक्षा :**

15.1 विद्युत उत्पादन कंपनी नियतकालिक विवरणिकाएं जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए जिनमें परिचालन तथा लागत आंकड़े दर्शाये गये हों, आयोग को उसके आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित बनाये जाने संबंधी अनुश्रवण (मानिटरिंग) हेतु प्रस्तुत करेगी।

15.2 विद्युत उत्पादन कम्पनी आयोग को उसके निष्पादन के वार्षिक विवरण–पत्र तथा लेखा मय अंकेक्षित लेखे के अन्तिम प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करेगी।

अध्याय–4

विद्युत दर (टैरिफ) संरचना

16. विद्युत–दर (टैरिफ) के घटक :

16.1 किसी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र से विद्युत प्रदाय के संबंध में विद्युत–दर (टैरिफ) में दो भाग सम्मिलित होंगे, अर्थात्, क्षमता प्रभार {वार्षिक स्थाई प्रभार की वसूली हेतु, जिसमें ऐसे घटक शामिल होंगे जिन्हें इन विनियमों के विनियम 17 में विनिर्दिष्ट किया गया है} तथा ऊर्जा प्रभार {प्राथमिक तथा द्वितीयक ईंधन लागत की वसूली हेतु जिन्हें इन विनियमों के विनियम 18 में विनिर्दिष्ट किया गया है} ।

16.2 विद्यमान विद्युत उत्पादन केन्द्र अथवा नवीन विद्युत उत्पादन केन्द्र में, यथास्थिति, पुनरीक्षित उत्सर्जन मानकों के क्रियान्वयन के कारण अतिरिक्त पूंजीकरण अनुपूरक ऊर्जा प्रभार हेतु अनुपूरक क्षमता प्रभार आयोग द्वारा पृथक से अवधारित किये जाएंगे।

16.3 वार्षिक इकाई लागत की वसूली हेतु जिसके अन्तर्गत इन विनियमों के विनियम 17 में संदर्भित घटक सम्मिलित हैं, किसी जल विद्युत उत्पादन केन्द्र से विद्युत प्रदाय के संबंध में विद्युत–दर (टैरिफ) में क्षमता प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार शामिल होंगे जिन्हें इन विनियमों के विनियम 47 में विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार व्युत्पादित किया जाएगा।

17. क्षमता प्रभार :

17.1 क्षमता प्रभारों को वार्षिक स्थाई लागत (एएफसी) के आधार पर व्युत्पादित किया जाएगा। किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र की वार्षिक स्थाई लागत में निम्न घटक शामिल होंगे :

(क) पूंजी पर प्रतिलाभ ;

(ख) ऋण पूंजी पर ब्याज ;

(ग) अवमूल्यन/अवक्षयण ;

(घ) कार्यकारी पूंजी पर ब्याज ; तथा

(ङ) प्रचालन एवं संधारण व्यय :

परंतु जहां विनियम 30 के अनुसार नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण के बदले में विशेष रियायत हेतु विकल्प प्रदान किया गया हो वहां इसकी वसूली पृथक से की जाएगी तथा कार्यकारी पूंजी की गणना हेतु इस पर विचार नहीं किया जाएगा।

18. ऊर्जा प्रभार :

18.1 ऊर्जा प्रभारों को किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र (जल–विद्युत को छोड़कर) की आगमित (लैंडिड) ईंधन लागत के आधार पर व्युत्पादित किया जाएगा तथा इसमें निम्न लागतें शामिल होंगी :

(क) प्राथमिक ईंधन की आगमित ईंधन लागत ;

(ख) द्वितीयक ईंधन तेल खपत की लागत : और

(ग) चूना पत्थर (लाईम स्टोन) अथवा किसी अन्य अभिकर्मक (रिएजेन्ट) की लागत :

परन्तु करों तथा शुल्कों के बारे में किसी प्रत्यर्पण राशि को, मय ईंधन प्रदायकों से शास्ति के रूप में प्राप्त की गई किसी राशि को ईंधन लागत में समायोजित किया जाएगा ;

परन्तु यह और कि अनुपूरक ऊर्जा प्रभार, यदि कोई ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में पुनरीक्षित उत्सर्जन मानकों की पूर्ति हेतु लागू हों, का अवधारण आयोग द्वारा पृथक से किया जाएगा।

19. विद्युत–दर अवधारण हेतु आगमित ईंधन लागत :

19.1 विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु प्राथमिक ईंधन तथा द्वितीयक ईंधन की आगमित ईंधन लागत का निर्धारण प्राथमिक ईंधन तथा द्वितीयक ईंधन की पिछले तीन माह की वास्तविक भारित औसत लागत के आधार पर किया जाएगा तथा पिछले तीन माह की आगमित लागतों के अभाव में विद्यमान विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु प्राथमिक ईंधन तथा द्वितीयक ईंधन के अन्तिम अधिप्राप्ति मूल्य पर जबकि नवीन विद्युत उत्पादन केन्द्रों के प्रकरण में वाणिज्यिक प्रचालन तारीख से ठीक पूर्व पिछले तीन माह की लागतों पर विचार किया जाएगा।

20. ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र जिनके द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन तारीख से 25 वर्ष की प्रचालन अवधि पूर्ण की जा चुकी है, हेतु विशेष प्रावधान :

20.1 किसी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में जिसके द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन तारीख से 25 वर्ष की प्रचालन अवधि पूर्ण की जा चुकी हो, वहां विद्युत उत्पादन कम्पनी तथा हितग्राही किसी व्यवस्था के बारे में सहमत हो सकते हैं जिनमें लक्ष्य उपलब्धता तथा प्रोत्साहन को सम्मिलित किया जा सकता है, जहां ऊर्जा प्रभार के अलावा, इन विनियमों

के अन्तर्गत क्षमता प्रभार का अवधारण किया जाता है, वहां पर इसकी वसूली अनुसूचित विद्युत उत्पादन के आधार पर की जाएगी।

20.2 इनकार करने हेतु प्रथम अधिकार हितग्राही का होगा तथा उपरोक्तानुसार व्यवस्था के निष्पादन हेतु इनकार किये जाने पर विद्युत उत्पादन कम्पनी ऐसे विद्युत उत्पादन केन्द्र से ऐसी रीति द्वारा जैसा कि उसके द्वारा उपयुक्त समझा जाए, उत्पादित की गई विद्युत के विक्रय हेतु स्वतंत्र होगी।

अध्याय–5

पूंजीगत लागत तथा पूंजीगत संरचना की संगणना

21. पूंजीगत लागत :

21.1 किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र की पूंजीगत लागत, जैसा कि इसका अवधारण आयोग द्वारा इन विनियमों के अनुसार युक्तियुक्त परीक्षण के बाद किया जाएगा, विद्यमान तथा नवीन परियोजनाओं हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण का आधार बनेगी।

21.2 किसी नवीन परियोजना की पूंजीगत लागत में निम्न पहलू शामिल होंगे :

(एक) परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन तारीख तक किया गया व्यय ;

(दो) निर्माणाधीन अवधि के दौरान ब्याज तथा वित्तीय प्रबंधन प्रभार, ऋणों पर (एक) लगाई गई 70 प्रतिशत निधि के बराबर, ऐसे प्रकरणों में जहां वास्तविक पूंजी लगाई गई निधि से 30 प्रतिशत अधिक हो, वहां आधिक्य पूंजी को मानदण्डीय ऋण माना जाएगा, अथवा (दो) लगाई गई निधि के 30 प्रतिशत से कम लगाई गई निधि के प्रकरण में, ऋण की वास्तविक राशि के बराबर होगा ;

(तीन) निर्माण अवधि के दौरान किये गये ऋण के संबंध विदेश विनिमय जोखिम विषमता के कारण प्राप्त किया गया कोई लाभ या वहन की गई कोई हानि ;

(चार) निर्माण अवधि के दौरान ब्याज तथा निर्माण अवधि के दौरान आनुषंगिक व्यय, जैसा कि इसकी गणना इन विनियम 23 के अनुसार की जाए ;

(पांच) पूंजीगत प्रारंभिक कलपुर्जे जो इन विनियमों के विनियम 25 में निर्दिष्ट उच्चतम दरों के अध्यधीन होंगे ;

(छः) अतिरिक्त पूंजीकरण तथा अपूंजीकरण के कारण किया गया व्यय जिसे इन विनियमों के अनुसार अवधारित किया जाए ;

(सात) वाणिज्यिक प्रचालन तारीख से पूर्व अस्थाई विद्युत के विक्रय के कारण राजस्व में समायोजन द्वारा जैसा कि इसे इन विनियमों के विनियम 32 में निर्दिष्ट किया गया है ;

(आठ) ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के राखड़ निपटान (ऐश डिस्पोजल) पर किया गया पूंजीगत व्यय, हथालन तथा परिवहन सुविधा को सम्मिलित करते हुए ;

(नौ) विद्युत उपत्पादन केन्द्र के प्राप्ति छोर तक कोयले के परिवहन हेतु रेलवे अधोसंरचना तथा इसके आवर्धन पर किया गया पूंजीगत व्यय परन्तु इसमें परिवहन लागत तथा अन्य कोई उपकरण लागत जिनका भुगतान रेलवे द्वारा किया जाए, सम्मिलित न होंगी ;

(दस) पुनरीक्षित उत्सर्जन मानकों की पूर्ति हेतु आवश्यक उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के कारण तथा मलजल उपचार संयंत्र हेतु पूंजीगत व्यय ;

(ग्यारह) परियोजना हेतु पर्यावरण अनुमोदन की प्राप्ति हेतु शर्तों के अनुपालन के कारण व्यय ;

(बारह) विधि में परिवर्तन तथा विशेष आकस्मिक परिस्थिति घटनाओं के कारण व्यय ; और

(तेरह) आयोग द्वारा भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही निष्पादन, प्राप्ति तथा व्यापार से संबंधित 'Perform, Achieve and Trade (PAT)' योजना के अंतर्गत मानदण्डों के क्रियान्वयन के कारण किसी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र द्वारा यां प्रक्षेपित की गई पूंजीगत लागत पर किये गये व्यय पर विचार 'पीएटी' योजना के अंतर्गत हितग्राहियों द्वारा परस्पर उपार्जित लाभों को साझा किये जाने के अध्यधीन किया जाएगा।

21.3 किसी विद्यमान परियोजना की पूंजीगत लागत में निम्न पहलू शामिल होंगे :

(एक) आयोग द्वारा दिनांक 1.4.2019 से पूर्व स्वीकृत की गई पूंजीगत लागत जिसे विधिवत रूप से सत्यापित किया गया हो, परन्तु इसमें आयोग द्वारा पिछले सत्यापन आदेश तक जारी की गई किसी देयता को शामिल नहीं किया जाएगा;

(दो) तत्संबंधी वर्ष हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) से संबद्ध अतिरिक्त पूंजीकरण तथा अपूंजीकरण जैसा जैसा कि इसे इन विनियमों के अनुसार अवधारित किया जाए;

(तीन) नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण के कारण कोई व्यय जिसे आयोग द्वारा इन विनियमों के अनुसार स्वीकृत किया जाए ;

(चार) राखड़ निपटान (ऐश डिस्पोसल) के कारण पूंजीगत व्यय, हथालन तथा परिवहन सुविधा को सम्मिलित करते हुए ;

(पांच) विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्राप्ति छोर तक कोयले के परिवहन हेतु रेलवे

अधोसंरचना तथा इसके आवर्धन पर किया गया पूंजीगत व्यय परन्तु इसमें परिवहन लागत तथा अन्य कोई उपकरण लागत जिसका भुगतान रेलवे द्वारा किया जाए, सम्मिलित न होंगे ; और

(छः) आयोग द्वारा भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही निष्पादन, प्राप्ति तथा व्यापार से संबंधित 'Perform, Achieve and Trade (PAT)' योजना के अंतर्गत मानदण्डों के क्रियान्वयन के कारण किसी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र द्वारा या प्रक्षेपित की गई पूंजीगत लागत पर किये गये व्यय पर विचार 'पीएटी' योजना के अंतर्गत हितग्राहियों द्वारा परस्पर उपार्जित लाभों को साझा किये जाने के अध्यधीन किया जाएगा।

21.4 विद्यमान/नवीन जल विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में पूंजीगत लागत में निम्न लागतों को भी शामिल किया जाएगा :

(एक) राष्ट्रीय पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन नीति तथा पुनर्वास तथा पुनर्व्यस्थापन समुच्चय के अनुरूप परियोजना की अनुमोदित पुनर्वास तथा पुनर्व्यस्थापन योजना लागत ; तथा

(दो) प्रभावित क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना तथा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना परियोजना हेतु परियोजना विकासक का 10 प्रतिशत अंशदान ।

21.5 विद्यमान तथा नवीन परियोजनाओं की पूंजीगत लागत में से निम्न पहलुओं को या तो शामिल नहीं किया जाएगा या फिर हटा लिया जाएगा :

(क) ऐसी परिसम्पत्तियां जो परियोजना का भाग तो हैं परन्तु जिन्हें उपयोग में नहीं लाया जा रहा है जैसा कि इस बारे में विद्युत–दर (टैरिफ) याचिका में घोषित किया जाए ;

(ख) एक परियोजना से अन्य परियोजना को अप्रचलन अथवा स्थानान्तरण के कारण या फिर प्रतिस्थापन अथवा हटाये जाने के कारण भी वाणिज्यिक प्रचालन तारीख के बाद अपूंजीकृत परिसम्पत्ति :

परन्तु यह कि जब तक किसी परिसम्पत्ति का एक परियोजना से अन्य परियोजना को स्थानान्तरण स्थायी प्रकृति का न हो, संबंधित परिसम्पत्तियों का अपूंजीकरण नहीं किया जाएगा ;

(ग) जल विद्युत उतपदन केन्द्र के प्रकरण में किसी परियोजना विकासक द्वारा राज्य सरकार द्वारा परियोजना स्थल के आवंटन के संबंध में एक पारदर्शी प्रक्रिया के अनुसरण में किया गया कोई व्यय या जिसे व्यय किये जाने बाबत् आबद्ध किया गया हो ;

(घ) विद्यमान परियोजना की भूमि की आनुपातिक लागत जिसका उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्र से विद्युत के उत्पादन हेतु किया जा रहा हो ; और

(ङ) केन्द्र या राज्य सरकार अथवा किसी सांविधिक निकाय अथवा प्राधिकरण से परियोजना के निष्पादन हेतु प्राप्त किये गये किसी अनुदान को, जिसमें अदायगी के दायित्व को शामिल न किया गया हो, को ब्याज पर ऋण की गणना, पूंजी पर प्रतिलाभ तथा मूल्यह्रास के प्रयोजन हेतु पूंजीगत लागत में शामिल नहीं किया जाएगा।

22. पूंजीगत व्यय का युंक्तियुक्त परीक्षण :

22.1 विद्यमान अथवा नवीन परियोजनाओं की पूंजीगत लागत के युक्तियुक्त परीक्षण हेतु निम्न सिद्धान्त अपनाए जाएंगे :

(एक) किसी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में पूंजीगत लागत के युक्तियुक्त परीक्षण में, इस प्रकार की परियोजनाओं की पूंजीगत लागत के प्रकाश में, पूर्व ऐतिहासिक आंकड़े जहां कहीं भी ये उपलब्ध हों, वित्त प्रबन्ध योजना, निर्माण के दौरान ब्याज, निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय के औचित्यपूर्ण होने, दक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग, लागत लंघन (ओवर–रन) तथा समय लंघन (ओवर–रन) प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से उपकरणों तथा सामग्रियों के अधिग्रहण तथा ऐसे अन्य मामले जैसा कि वे विद्युत–दर अवधारण के बारे में आयोग द्वारा समुचित माने जाएं, को सम्मिलित किया जाएगा :

परन्तु युक्तियुक्त परीक्षण करते समय आयोग यह परीक्षण भी करेगा कि क्या विद्युत उत्पादन कम्पनी परियोजना के निष्पादन के दौरान अपने मूल्यांकन तथा निर्णय में सतर्क रही है।

(दो) आयोग जल विद्युत परियोजना की पूंजीगत लागत के परीक्षण के प्रयोजन हेतु एक स्वतंत्र अभिकरण या विशेषज्ञ निकाय की नियुक्ति कर सकेगा :

परन्तु आयोग के दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत पूर्व ही से नियुक्त किया गया नामोद्दिष्ट स्वतंत्र अभिकरण का कार्यकाल निर्दिष्ट परियोजना के पूर्ण होने तक जारी रहेगा।

22.2 विद्युत उत्पादन कम्पनी विद्युत–दर (टैरिफ) याचिका के साथ विभिन्न घटकों की पूंजीगत लागत के मापदण्ड के आंकड़ा आधार के सृजन के प्रयोजन से विद्यमान तथा नवीन परियोजनाओं के निष्पादन हेतु संवेष्टन (पैकेज) वार पूंजीगत लागत इन विनियमों के साथ संलग्न प्ररूपों के अनुसार प्रस्तुत करेगी :

परन्तु जहां विद्युत उत्पादन कंपनी तथा हितग्राहियों के मध्य निष्पादित किया गया विद्युत क्रय अनुबंध वास्तविक पूंजीगत व्यय हेतु उच्चतम सीमा का प्रावधान करता हो, वहां आयोग द्वारा विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण के संबंध में युक्तियुक्त परीक्षण हेतु अनुज्ञेय किये गये पूंजीगत व्यय पर ऐसी उच्चतम सीमा पर विचार किया जाएगा।

23. निर्माण के दौरान ब्याज, निर्माण के दौरान आनुषंगिक व्यय :

23.1 निर्माण के दौरान ऋण से तत्संबंधी ब्याज की गणना ऋण निधि की संयोजन (इन्फ्यूजन) तारीख से तथा अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तारीख तक निधि की युक्तियुक्त चरणबद्धता को ध्यान में रखकर की जाएगी।

23.2 निर्माण के दौरान आनुषंगिक व्यय की गणना शून्य तारीख तथा अनुसूचित वाणिज्यिक तारीख तक पूर्व–परिचालन व्ययों को ध्यान में रखकर की जाएगी :

परन्तु निर्माण के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक तारीख तक की अवधि तक निक्षेप राशियों को अथवा अग्रिम राशियों पर ब्याज या फिर अन्य कोई प्राप्तियों के कारण अर्जित राजस्व के बारे में निर्माण के दौरान आनुषंगिक व्यय में कमी किये जाने हेतु पहलू को ध्यान में रखा जाएगा।

23.3 निर्माण अवधि के दौरान ब्याज (आईडीसी) तथा आनुषंगिक ब्याज (आईडीसी) के कारण अतिरिक्त लागत के प्रकरण में वाणिज्यिक प्रचालन तारीख की प्राप्ति में विलम्ब के कारण विद्युत उत्पादन कम्पनी को इस प्रकार के विलम्ब हेतु विस्तार से मय ब्याज के दौरान निधि की युक्तियुक्त चरणबद्धता के तथा विलंब अवधि के दौरान आनुषंगिक व्यय के विवरण तथा विलंब काल से तत्संबंधी वसूल किये गये अथवा वसूलीयोग्य परिनिर्धारित क्षति (लिक्वीडेटेड डैमेजिस) का औचित्य प्रस्तुत करना होगा।

23.4 यदि वाणिज्यिक प्रचालन तारीख की प्राप्ति में विलम्ब के लिये विद्युत उत्पादन कम्पनी उत्तरदायी न हो तो निर्माण के दौरान ब्याज तथा निर्माण के दौरान आनुषंगिक व्यय को विधिवत युक्तियुक्त परीक्षण के बाद अनुज्ञेय किया जा सकेगा तथा परिनिर्धारित क्षति, यदि कोई हो, जिसे ठेकेदार, सामग्री प्रदायक या अभिकरण से वसूल किया गया हो, को विद्युत उत्पादन केन्द्र की पूंजीगत लागत में समायोजित किया जाएगा।

23.5 यदि विलम्ब के लिये समूचे तौर पर अथवा आंशिक रूप से विद्युत उत्पादन कम्पनी या उसके ठेकेदार या सामग्री प्रदायक (सप्लायर) या फिर अभिकरण उत्तरदायी हों तो ऐसे प्रकरणों में अनुसूचित प्रचालन तारीख के बाद निर्माण के दौरान ब्याज तथा निर्माण के दौरान आनुषंगिक व्यय को समूचे तौर पर या फिर आनुपातिक आधार पर विलम्ब अवधि से तत्संबंधी जिसे माफी प्रदान न की गई हो, को विधिवत युक्तियुक्त परीक्षण के बाद अस्वीकार किया जा सकेगा तथा परिनिर्धारित क्षति यदि कोई हो तो ठेकेदार या सामग्री प्रदायक या अभिकरण से की गई वसूली को विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा प्रतिधारित रखा जाएगा।

24. **नियंत्रणीय तथा अनियंत्रणीय कारक :**

24.1 नीचे दर्शाए गए कारकों को नियंत्रणीय कारक के रूप में माना जाएगा जो परियोजना के समय–लंघन (टाईम ओवर–रन), लागत में वृद्धि, के दौरान ब्याज तथा निर्माण के दौरान आनुषंगिक व्यय के निर्णय को प्रभावित करते हों :

24.2 "नियंत्रणीय कारकों" में निम्न कारक शामिल होंगे जो मात्र निम्न तक ही सीमित न होंगे :

(क) परियोजना के क्रियान्वयन में दक्षता जहां ऐसी परियोजना के विस्तार क्षेत्र में अनुमोदित परिवर्तन, वैधानिक उद्ग्रहण या आकस्मिक विशेष घटनाओं में परिवर्तन सन्निहित न हों ; तथा

(ख) जहां परियोजना के निष्पादन में विलंब के लिये विद्युत उत्पादन कम्पनी के ठेकेदार, सामग्री प्रदायक या अभिकरण उत्तरदायी हों।

24.3 अनियन्त्रणीय कारकों में निम्न कारक शामिल होंगे जो मात्र निम्न तक ही सीमित न होंगे:

(एक) आकस्मिक विशेष घटनाएं ;

(दो) कानून में परिवर्तन ; तथा

(तीन) समय तथा लागत लंघन, केवल उन्हें छोड़कर जहां विलम्ब के लिये विद्युत

उत्पादन कम्पनी उत्तरदायी हो।

25. प्रारंभिक कलपुर्जे :

25.1 प्रारंभिक कलपुर्जों का पूंजीकरण निम्न उच्चतम मानदण्डों के अध्यधीन संयंत्र तथा मशीनरी की लागत के प्रतिशत के रूप में किया जाएगा :

(क) कोयला–आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु – 4.0%

(ख) जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु, उद्‌वहन संग्रहण जल विद्युत उत्पादन केन्द्र को सम्मिलित करते हुए – 4.0%

परन्तु निर्माण के दौरान ब्याज, निर्माण के दौरान आनुषंगिक व्यय, भूमि के मूल्य तथा सिविल कार्यों की लागत को छोड़कर, संयन्त्र तथा मशनरी की लागत को मूल लागत माना जाएगा। संयन्त्र तथा मशीनरी की लागत के प्राक्कलन के प्रयोजन हेतु विद्युत उत्पादन कम्पनी अपने विद्युत–दर (टैरिफ) आवेदन में शीर्षवार निर्माण के दौरान आनुषंगिक व्यय का विभाजन प्रस्तुत करेगी।

अध्याय–6

अतिरिक्त पूंजीगत व्यय की गणना

26. मूल प्रावधानों के अन्तर्गत तथा पृथक्कृत तारीख तक अतिरिक्त पूंजीकरण :

26.1 कार्य के मूल प्रावधानों के अन्तर्गत, नवीन परियोजनाओं या फिर किसी विद्यमान परियोजना के संबंध में निम्न कारणों से वाणिज्यिक प्रचालन तारीख के उपरान्त पृथक्कृत तारीख तक किया गया अतिरिक्त पूंजीगत व्यय अथवा जिसे व्यय किया जाना प्रक्षेपित किया गया हो, को आयोग द्वारा निम्न मदों के अन्तर्गत युक्तियुक्त जांच–पड़ताल के अध्यधीन स्वीकार किया जा सकेगा :

(एक) अनिष्पादित दायित्व जिन्हें किसी भविष्यगामी तारीख को भुगतान किया जाना मान्य किया गया हो ;

(दो) वे कार्य जिन्हें निष्पादन हेतु स्थगित रखा गया हो ;

(तीन) कार्य के मूल प्रावधानों के अन्तर्गत इन विनियमों के विनियम 25 के उपबन्धों के अध्यधीन प्रारंभिक पूंजीगत कलपुर्जों की अधिप्राप्ति (प्रोक्यूरमेंट) हेतु :

(चार) माध्यस्थम प्रकरण में पारित अधिनिर्णय के परिपालन में अथवा किसी सांविधिक प्राधिकरण के दिशा–निर्देशों अथवा आदेश के परिपालन में अथवा न्यायालय द्वारा प्रसारित आदेश या आदेशित डिक्री के परिपालन में दायित्व ;

(पांच) कानून में परिवर्तन के कारण अथवा किसी प्रचलित कानून के परिपालन में ; और

(छः) आकस्मिक विशेष परिस्थितियों से संबंधित घटनाएं :

परंतु परिसम्पत्तियों के किसी प्रतिस्थापन के प्रकरण में अतिरिक्त पूंजीकरण की गणना सकल स्थायी परिसम्पत्तियों के समायोजन तथा अपूंजीकरण के कारण प्रतिस्थापित की गई परिसम्पत्तियों के संचयी अवक्षयण/अवमूल्यन के बाद की जाएगी।

26.2 विद्युत उत्पादन कम्पनी कार्यकाल के मूल प्रावधानों के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये परिसम्पत्तिवार/कार्यवार कार्यों के विवरण मय व्यय के प्राक्कलनों व किसी भविष्यगामी तारीख को भुगतानयोग्य मान्यता प्राप्त देयताओं के तथा निष्पादन हेतु स्थगित किये गये कार्यों के विवरण सहित विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु आवेदन संलग्न करते

हुए प्रस्तुत करेगी।

27. **मूल प्रावधानों के अन्तर्गत तथा पृथक्कृत तारीख के बाद अतिरिक्त पूंजीकरण :**

27.1 कार्य के मूल प्रावधानों के अन्तर्गत किसी विद्यमान परियोजना या फिर नवीन परियोजनाओं के संबंध में निम्न कारणों से वाणिज्यिक प्रचालन तारीख के उपरान्त पृथक्कृत तारीख तक किया गया अतिरिक्त पूंजीगत व्यय अथवा जिसे व्यय किया जाना प्रक्षेपित किया गया हो, को आयोग द्वारा निम्न मदों के अन्तर्गत युक्तियुक्त जांच–पड़ताल के अध्यधीन स्वीकार किया जा सकेगा :

(एक) माध्यस्थम प्रकरण में पारित अधिनिर्णय के परिपालन में अथवा किसी सांविधिक प्राधिकरण के दिशा–निर्देशों अथवा आदेश के परिपालन में अथवा न्यायालय द्वारा प्रसारित आदेश या आदेशित डिक्री के परिपालन में दायित्व ;

(दो) कानून में परिवर्तन के कारण अथवा किसी प्रचलित कानून के परिपालन में ;

(तीन) कार्य के मूल प्रावधानों के अन्तर्गत राखड़ तालाब (ऐश पॉंड) कार्य या राखड़ हथालन प्रणाली से संबंधित स्थगित कार्य, राखड़ परिवहन सुविधा को सम्मिलित करते हुए ;

(चार) पृथक्कृत तारीख से पूर्व निष्पादित किये गये कार्यों से संबंधित देयता ;

(पांच) आकस्मिक विशेष परिस्थितियों से संबंधित घटनाएं :

(छः) पृथक्कृत तारीख के उपरान्त आयोग द्वारा स्वीकृत किये गये कार्यों की देयता, ऐसी देयताओं के निष्पादन की सीमा तक वास्तविक भुगतान द्वारा ; तथा

(सात) राखड़ बांध (डाईक) को राखड़ निपटान प्रणाली के भाग के रूप में निर्माण के कारण अतिरिक्त पूंजीकरण।

27.2 विद्यमान परियोजना के मूल प्रावधानों के अन्तर्गत पृथक्कृत तारीख के बाद उपयोग में लाई जा रही परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन के प्रकरण में आयोग द्वारा सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में आवश्यक समायोजनों तथा संचयी अवमूल्यन के उपरान्त निम्न आधार पर युक्तियुक्त जांच के अध्यधीन अतिरिक्त पूंजीकरण को स्वीकार किया जा सकेगा ;

(क) परिसम्पत्तियों का उपयोगी जीवनकाल परियोजना के उपयोगी जीवनकाल के आनुषंगिक नहीं है तथा ऐसी परिसम्पत्तियों का इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार पूर्णतया अवमूल्यन/अवक्षयण कर दिया गया हो ;

(ख) ऐसी परिसम्पत्ति या उपकरण का प्रतिस्थापन यदि यह कानून में परिवर्तन या आकस्मिक विशेष परिस्थितियों के कारण आवश्यक हो ;

(ग) ऐसी परिसम्पत्ति या उपकरण का प्रतिस्थापन प्रौद्योगिकी के अप्रचलित हो जाने के कारण आवश्यक हो गया हो ; तथा

(घ) आयोग द्वारा ऐसी परिसम्पत्ति या उपकरण के प्रतिस्थापन को अन्यथा भी अनुमति प्रदान की जा चुकी हो।

28. मूल प्रावधानों से परे अतिरिक्त पूंजीकरण :

28.1 किसी विद्यमान विद्युत उत्पादन केन्द्र के बारे में निम्नलिखित कारणों से किया गया पूंजीगत व्यय या जिसे व्यय किया जाना प्रक्षेपित किया गया हो, को पृथक्कृत तारीख के उपरान्त आयोग द्वारा युक्तियुक्त परीक्षण के अध्यधीन स्वीकार किया जा सकेगा :

(क) माध्यस्थम प्रकरण में पारित अधिनिर्णय के परिपालन में अथवा किसी सांविधिक प्राधिकरण के दिशा–निर्देशों अथवा आदेश के परिपालन में अथवा किसी न्यायालय द्वारा प्रसारित आदेश या आदेशित डिक्री के परिपालन में दायित्व ;

(ख) कानून में परिवर्तन के कारण अथवा किसी प्रचलित कानून के परिपालन में ;

(ग) आकस्मिक विशेष परिस्थितियों से संबंधित घटनाएं :

(घ) संयंत्र की उच्चतर सुरक्षा तथा बचाव की आवश्यकता हेतु किए जाने संबंधी पूंजीगत व्यय जैसा कि राष्ट्रीय सुरक्षा/आन्तरिक सुरक्षा हेतु उत्तरदायी सांविधिक प्राधिकरणों के समुचित शासकीय अभिकरणों द्वारा इसकी आवश्यकता के बारे में परामर्श दिया गया हो या निर्देशित किया गया हो ;

(ङ) कार्य के मूल प्रावधानों के अतिरिक्त, प्रकरण–दर–प्रकरण गुण–दोष के आधार पर राखड़ तालाब या राखड़ हथालन प्रणाली से संबंधित स्थगित कार्य :

परन्तु यदि नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण या फिर मरम्मत तथा अनुरक्षण के अंतर्गत मरम्मत तथा संधारण कार्य के किसी व्यय का दावा किया गया हो तो इस व्यय का दावा इस विनियम के अन्तर्गत नहीं किया जा सकता है ; और

(च) ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र में मलजल उपचार संयंत्र से जल का उपयोग।

28.2 किसी विद्युत उत्पादन कम्पनी की परिसम्पत्तियों के अपूंजीकरण के प्रकरण में, अपूंजीकरण की तारीख की स्थिति में, ऐसी परिसम्पत्ति की मूल लागत को सकल स्थाई परिसम्पत्ति तथा तत्संबंधी ऋण के साथ–साथ पूंजी को भी क्रमशः बकाया ऋण राशि तथा पूंजी की राशि में से उक्त वर्ष के दौरान जब ऐसा अपूंजीकरण घटित हो, मय ऋण के संचयी अवक्षयण तथा संचयी अदायगी के जिसके अन्तर्गत यथोचित तौर पर उक्त वर्ष को मानकर जब इसका पूंजीकरण किया गया हो, पर विचार करते हुए घटाया जाएगा।

29. **नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण के कारण अतिरिक्त पूंजीकरण :**

29.1 विद्युत उत्पादन कम्पनी जो विद्युत उत्पादन केन्द्र अथवा उसकी किसी इकाई की विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण के प्रयोजन हेतु मूल रूप से मान्य उपयोगी जीवनकाल के उपरान्त उसके विस्तार हेतु इच्छुक हो, वह नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण के प्रयोजन से आयोग के समक्ष एक याचिका प्रस्ताव के अनुमोदनार्थ, एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी जिसमें उसका सम्पूर्ण उद्देश्य, औचित्य, लागत–लाभ विश्लेषण, किसी संदर्भ तारीख से जीवनकाल की अनुमानित वृद्धि, वित्तीय समुच्चय, व्यय की चरणबद्धता, कार्य पूर्ण करने संबंधी कार्यक्रम, संदर्भ मूल्य स्तर, कार्य पूर्ण करने संबंधी अनुमानित लागत मय विदेशी मुद्रा घटक के, यदि कोई हो, तथा अन्य कोई जानकारी जिसे विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा प्रासंगिक माना जाए, संलग्न करेगी :

परन्तु नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने वाली विद्युत उत्पादन कम्पनी को इन विनियमों के विनियम 30 के अन्तर्गत विशेष छूट (अलाऊंस) की पात्रता नहीं होगी :

परन्तु आगे यह और कि विद्युत उत्पादन कम्पनी जो नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण कार्य का दायित्व लेने की इच्छुक हो, को हितग्राहियों से ऐसे नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण हेतु सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा तथा इसे याचिका के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

29.2 जहां विद्युत उत्पादन कम्पनी नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण के अनुमोदन हेतु कोई आवेदन (प्रस्ताव) प्रस्तुत करती हो, वहां ऐसे प्रकरण में प्रस्ताव का अनुमोदन लागत–प्राक्कलनों, वित्तीय प्रबंध योजना, कार्य पूर्ण करने संबंधी कार्यक्रम, निर्माण के दौरान ब्याज के युक्तियुक्त होने, दक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग, लागत–लाभ विश्लेषण, जीवनकाल के विस्तार की प्रत्याशित अवधि, हितग्राहियों की सहमति, यदि यह प्राप्त की

गई हो तथा ऐसे अन्य कारकों पर, जो आयोग द्वारा प्रासंगिक समझे जाएं, यथोचित विचारोपरान्त किया जाएगा।

29.3 आधुनिकीकरण तथा नवीनीकरण कार्य पूर्ण करने के उपरांत, विद्युत उत्पादन कम्पनी विद्युत–दर के अवधारण हेतु याचिका प्रस्तुत करेगी। वास्तविक रूप से किया गया व्यय अथवा किये जाने वाला प्रक्षेपित व्यय जिसे आयोग द्वारा युक्तियुक्त परीक्षण पश्चात् स्वीकार किया गया हो तथा मूल परियोजना लागत से पूर्व में वसूल किए गए संचित अवमूल्यन को घटाकर प्राप्त किया गया हो, विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण का आधार बनेगा।

30. कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु विशेष रियायत :

30.1 किसी कोयला–आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में विद्युत उत्पादन कम्पनी, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण संबंधी प्रावधान का लाभ उठाने के बजाय व्ययों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु क्षतिपूर्ति के रूप में, जिनमें विद्युत उत्पादन केन्द्र अथवा उसकी इकाई के उसके उपयोगी जीवनकाल के उपरान्त उसके नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण हेतु प्रावधान भी शामिल है, इस विनियम में निर्दिष्ट किये गये अनुसार "विशेष रियायत" की सुविधा प्राप्त करने का विकल्प ले सकेगी तथा ऐसी परिस्थिति में पूंजीगत लागत ऊर्ध्वगामी पुनरीक्षण को शामिल नहीं किया जाएगा तथा प्रयोज्य परिचालन मानदण्डों को शिथिल नहीं किया जाएगा परन्तु वार्षिक स्थाई लागत में विशेष रियायत सम्मिलित की जाएगी :

परन्तु इस प्रकार का विकल्प किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र या इसकी किसी इकाई (यूनिट) हेतु उपलब्ध न होगा जिसके लिए नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण संबंधी कार्य का दायित्व वहन किया गया हो तथा आयोग द्वारा व्यय का अनुमोदन इन विनियमों को लागू किये जाने के पूर्व किया गया हो या फिर किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र अथवा इकाई हेतु जो अपेक्षाकृत कम क्षमता पर अथवा शिथिल परिचालन तथा अनुपालन मानदण्डों के अनुसार कार्य कर रहा हो :

परन्तु यह और कि विशेष रियायत ऐसे विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु भी उपलब्ध रहेगी जिसके द्वारा विद्युत–दर अवधि 2013–14 से 2015–16 अथवा 2016–17 से 2018–19 के दौरान विशेष रियायत प्राप्त की गई हो जैसा कि यह उपयोगी जीवनकाल की समापन तारीख से लागू होगी।

30.2 टैरिफ अवधि 2019–24 हेतु विशेष रियायत दर रू. 9.5 लाख प्रति मेगावाट प्रति वर्ष होगी।

30.3 आयोग द्वारा विशेष रियायत स्वीकृत किए जाने की दशा में विशेष रियायत से व्यय किए जाने या उसका उपयोग किए जाने पर इसका विवरण विद्युत उत्पादन केन्द्र द्वारा पृथक् से संधारित किया जाएगा तथा इससे संबंधित विवरण आयोग को उसके द्वारा ऐसे व्यय के बारे में विवरण प्रदान किए जाने संबंधी निर्देश दिए जाने पर प्रस्तुत करने होंगे।

30.4 इस विनियम के अन्तर्गत स्वीकृत की गई विशेष रियायत नवीनीकरण तथा अनुरक्षण गतिविधियों के उपयोग हेतु पृथक निधि के अन्तरित की जाएगी जिस हेतु विस्तृत क्रियाविधि पृथक से जारी की जाएगी।

31. पुनरीक्षित उत्सर्जन मानकों के कारण अतिरिक्त पूंजीकरण :

31.1 विद्युत उत्पादन कम्पनी जिसके द्वारा पुनरीक्षित उत्सर्जन मानकों के अनुपालन हेतु विद्यमान विद्युत उत्पादन केन्द्र में अतिरिक्त पूंजीगत व्यय किया जाना अपेक्षित है, उसे अपना प्रस्ताव हितग्राहियों के साथ साझा करना होना तथा इस प्रकार के अतिरिक्त पूंजीकरण को वहन करने हेतु एक याचिका आयोग के समक्ष दाखिल करनी होगी।

31.2 उपरोक्त खण्ड के अन्तर्गत प्रस्ताव में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित प्रौद्योगिकी के विवरण, कार्य का विस्तार क्षेत्र, व्यय की चरणबद्धता (फेजिंग), कार्य पूर्ण करने का कार्यक्रम, कार्य पूर्ण करने की प्राक्कलित लागत मय इसके विदेशी मुद्रा घटक के, यदि कोई हो, हितग्राहियों पर विद्युत–दर का निर्देशात्मक प्रभाव तथा अन्य कोई जानकारी जिसे विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा प्रासंगिक समझा जाए, सम्मिलित किये जाएंगे।

31.3 जहां विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा पुनरीक्षित उत्सर्जन मानकों के कार्यान्वयन के कारण अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के अनुमोदन हेतु आवेदन प्रस्तुत करती हो वहां लागत प्राक्कलनों, वित्त प्रबंध योजना, कार्य पूर्ण करने संबंधी कार्यक्रम, निर्माण के दौरान ब्याज, दक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा ऐसे अन्य कारक जो आयोग द्वारा प्रासंगिक समझे जाएं, आयोग यथोचित विचार किये जाने के पश्चात् प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर सकेगा।

31.4 पुनरीक्षित उत्सर्जन मानकों को कार्यान्वित किये जाने के पश्चात्, विद्युत उत्पादन कम्पनी विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु एक याचिका दाखिल करेगी। किया गया कोई व्यय या जिसे व्यय किया जाना प्रक्षेपित किया गया हो तथा आयोग द्वारा लागत के

युक्तियुक्त होने तथा परिचालन मानदण्डों के प्रभाव के मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार किया गया हो, विद्युत–दर अवधारण का आधार बनेगा।

32. **अस्थाई विद्युत का विक्रय :**

32.1 अस्थाई विद्युत प्रदाय को विचलन के रूप में लेखांकित किया जाएगा तथा इसका भुगतान क्षेत्रीय/राज्य विचलन व्यवस्थापन निधि लेखा से केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामलों के संबंध में अधिसूचित "Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related matters) Regulations, 2014", जैसा कि इसे समय–समय पर संशोधित किया जाए या किसी अनुवर्ती पुनर्अधिनियमन के अनुसार किया जाएगा :

परन्तु अस्थाई विद्युत के प्रदाय द्वारा विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा अर्जित किसी राजस्व को ईंधन से संबंधित व्ययों के लेखांकन पश्चात इसका अनुप्रयोग तद्नुसार पूंजीगत लागत के समायोजन द्वारा किया जाएगा।

33. **ऋण–पूंजी अनुपात :**

33.1 नवीन परियोजनाओं हेतु ऋण–पूंजी अनुपात वाणिज्यिक प्रचालन तारीख की स्थिति में 70:30 माना जाएगा। यदि वास्तविक रूप से निवेश की गई पूंजी, पूंजीगत लागत के 30 प्रतिशत से अधिक हो तो 30 प्रतिशत से अधिक पूंजी को मानदण्डीय ऋण माना जाएगाः

परन्तु यह कि :

(क) जहां निवेश की गई पूंजी पूंजीगत लागत के 30 प्रतिशत से कम हो, वहां विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु वास्तविक पूंजी को ही मान्य किया जाएगा,

(ख) विदेशी मुद्रा में निवेश की गई पूंजी को प्रत्येक तारीख को भारतीय रूपयों में नामोद्दिष्ट किया जाएगा, और

(ग) ऋण : पूंजी अनुपात के प्रयोजन से परियोजना के निष्पादन हेतु प्राप्त किये गये किसी अनुदान को पूंजी संरचना का भाग नहीं माना जाएगा।

व्याख्या : अधिमूल्य (प्रीमियम), यदि कोई हो, जिसका उद्वहन विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा परियोजना के निधीयन हेतु किया गया हो बाबत शेयर पूंजी जारी करते समय तथा आन्तरिक संसाधनों के निवेश हेतु जिसका सृजन मुक्त सुरक्षित निधि में से किया गया हो, को पूंजी पर प्रतिलाभ केवल उसी दशा में

की गई गणना हेतु प्राप्त की गई पूंजी के रूप माना जाएगा यदि ऐसी अधिमूल्य राशि तथा आन्तरिक संसाधनों को विद्युत उत्पादन केन्द्र के पूंजीगत व्यय की पूर्ति हेतु वास्तविक रूप से उपयोग में लाया गया हो।

33.2 विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा आन्तरिक स्त्रोतों से निधि के निषेचन के संबंध में कम्पनी के संचालक मण्डल के संकल्प के अनुमोदन को उपयोग किये गये या जिसे विद्युत उत्पादन केन्द्र के पूंजीगत व्यय की पूर्ति हेतु उपयोग किया जाना प्रस्तावित किया गया हो, प्रस्तुत किया जाएगा।

33.3 ऐसे प्रकरण में जहां विद्युत उत्पादन केन्द्र को दिनांक 1.4.2019 से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित किया गया हो वहां आयोग द्वारा दिनांक 31.03.2019 को समाप्त होने वाली अवधि हेतु अनुमोदित ऋण–पूंजी अनुपात को विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु माना जाएगा :

परन्तु किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में जिसके द्वारा दिनांक 01.04.2019 को या तत्पश्चात अपना उपयोगी जीवनकाल पूर्ण कर लिया जाए, यदि दिनांक 01.04.2019 की स्थिति में वास्तविक रूप से लगाई गई पूंजी पूंजीगत लागत के 30 प्रतिशत से अधिक हो तो 30 प्रतिशत से अधिक की पूंजी पर विद्युत–दर (टैरिफ) हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

33.4 ऐसे प्रकरण में जहां विद्युत उत्पादन केन्द्र को दिनांक 1.4.2019 से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित किया गया हो परन्तु जहां आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2019 को समाप्त होने वाली अवधि हेतु ऋण : पूंजी के अनुपात का निर्धारण न किया गया हो, वहां आयोग द्वारा ऋण : पूंजी अनुपात का अनुमोदन इन विनियमों के विनियम 33.1 के अनुसार किया जाएगा।

33.5 दिनांक 1.4.2019 को या उसके बाद किया गया व्यय या वह व्यय जिसे व्यय किया जाना प्रक्षेपित किया गया हो जैसा कि आयोग द्वारा इसे विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के रूप में स्वीकृत किया जाए, वहां जीवनकाल की वृद्धि हेतु नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण व्यय को इन विनियमों के विनियम 33.1 में निर्दिष्ट की गई विधि के अनुसार सेवाकृत किया जाएगा।

अध्याय–7

वार्षिक स्थाई लागत की संगणना

34. पूंजी पर प्रतिलाभ :

34.1 पूंजी पर प्रतिलाभ की संगणना रूपयों में, इन विनियमों के विनियम 33 के अनुसार अवधारित पूंजी आधार पर की जाएगी।

34.2 पूंजी पर प्रतिलाभ की संगणना ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु 15.50 प्रतिशत की आधार दर (बेस रेट) पर तथा उद्‌वहन संग्रहण (पम्प स्टोरेज) जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों तथा नदी बहाव प्रकार के विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु मय जलाशय (पोण्डेज) के 16.50 प्रतिशत की आधार दर पर की जाएगी :

परन्तु यह कि :

(एक) किसी नवीन परियोजना के प्रकरण में, नवीन परियोजना के प्रतिलाभ की दर में उक्त अवधि के लिये जैसा कि इस बारे में आयोग द्वारा निर्णय लिया जाए, 1.00 प्रतिशत की कमी कर दी जाएगी यदि विद्युत उत्पादन केन्द्र को परिचालन की नियंत्रित नियामक पद्धति (आरजीएमओ)/परिचालन की मुक्त नियामक पद्धति (एफएमजीओ) में से किसी एक को वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत क्रियाशील किये बगैर घोषित किया जाना पाया जाए ;

(दो) किसी विद्यमान विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में जहां तत्संबंधी राज्य भार प्रेषण केन्द्र/क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रस्तुत किये प्रतिवेदन के अनुसार उपरोक्त आवश्यकताओं में कमी होना पाया जाए वहां पूंजी पर प्रतिलाभ की उक्त अवधि जिस हेतु कमी पाया जाना जारी रहता हो, में एक प्रतिशत दर की कमी कर दी जाएगी ;

(तीन) ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में, दिनांक 1.04.2020 से प्रभावशील :

(क) पूंजी पर प्रतिलाभ की दर को 0.25% कम कर दिया जाएगा यदि वह एक प्रतिशत प्रति मिनट ढाल (रैम्प) दर को प्राप्त करने में विफल रहता हो ;

(ख) एक प्रतिशत प्रति मिनट की ढाल दर से अधिक प्राप्त की गई एक प्रतिशत प्रति मिनट की ढाल दर पर प्रत्येक धनात्मक ढाल (रैम्प) दर

हेतु 0.25% की पूंजी पर अतिरिक्त प्रतिलाभ की अतिरिक्त दर अनुज्ञेय की जाएगी जो विद्युत उत्पादन के पूंजीगत व्यय की पूर्ति हेतु अतिरिक्त एक प्रतिशत पूंजी पर प्रतिलाभ की उच्चतम सीमा के अध्यधीन होगी :

परन्तु इस बारे में विस्तृत दिशा–निर्देश राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी किये जाएंगे।

35. पूंजी पर प्रतिलाभ पर कर :

35.1 पूंजी पर प्रतिलाभ की आधार दर को, जैसा कि आयोग द्वारा इसे विनियम 34 के अन्तर्गत अनुज्ञेय किया जाए, तत्संबंधी वित्तीय वर्ष की प्रभावी कर दर के साथ सकलीकृत किया जाएगा। इस प्रयोजन हेतु, संबंधित विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा सुसंबद्ध वित्त अधिनियमों के प्रावधानों से संरेखित प्रभावी कर दर पर तत्संबंधी वित्तीय वर्ष में वास्तविक रूप से किए गए भुगतान के आधार पर माना जाएगा। अन्य आय प्रवाह पर वास्तविक आयकर, विलम्बित कर देयता (अर्थात्, गैर–विद्युत उत्पादन व्यापार से प्राप्त आय) को शामिल करते हुए, को "प्रभावी कर दर" की गणना हेतु सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

35.2 पूंजी पर प्रतिलाभ की दर की गणना को तीन दशमलव बिन्दुओं तक पूर्णांकित किया जाएगा तथा इसकी गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

पूंजी पर पूर्व–कर प्रतिलाभ की दर = आधार दर/(1–t)

जहां 't' इन विनियमों के विनियम 35.1 के अनुसार प्रभावी कर दर है तथा इसकी गणना प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अनुमानित लाभ तथा भुगतान की जाने वाली कर राशि के आधार पर कम्पनी को उक्त वित्तीय वर्ष हेतु लागू सुसंबद्ध वित्तीय अधिनियम के प्रावधानों से संरेखित आनुपातिक आधार पर, गैर–विद्युत उत्पादन व्यापार से आय को अपवर्जित करते हुए तथा उस पर तत्संबंधी कर के आधार पर की जाएगी। ऐसी दशा में, जहां विद्युत उत्पादन कम्पनी न्यूनतम वैकल्पिक कर का भुगतान कर रही हो, वहां "t" को न्यूनतम वैकल्पिक कर, अधिभार तथा उपकर को शामिल करते हुए माना जाएगा।

उदाहरण :

(क) ऐसी विद्युत उत्पादन कम्पनी के प्रकरण में जो न्यूनतम वैकल्पिक कर का भुगतान 21.55 प्रतिशत की दर से, अधिभार तथा उपकर को शामिल करते हुए,

कर रही हो :

(ख) वहां पूंजी पर प्रतिलाभ की दर = 15.50 / (1–0.2155) =19.758 प्रतिशत होगी।

(ग) ऐसी विद्युत उत्पादन कम्पनी के प्रकरण में जो सामान्य निकाय कर का भुगतान, अधिभार तथा उपकर को शामिल करते हुए कर रही हो, वहां :

(एक) यदि वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु विद्युत उत्पादन व्यापार से अनुमानित सकल आय रू. 1000 करोड़ हो,

(दो) तो उपरोक्त राशि पर अनुमानित अग्रिम कर की राशि रू. 240 करोड़ होगी,

(तीन) वहां, वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु प्रभावी कर दर = रू. 240 करोड़ / रू. 1000 करोड़ = 24 प्रतिशत होगी।

(चार) अतएव, पूंजी पर प्रतिलाभ की दर=15.50 / (1–0.24)= 20.395 प्रतिशत होगी।

35.3 विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा वास्तविक भुगतान किए गए कर के आधार पर, मय किसी अतिरिक्त कर मांग के, उस पर ब्याज की राशि को जोड़कर पूंजी पर प्रतिलाभ की दर को यथोचित तौर पर कर के किसी प्रत्यर्पण हेतु, किसी वित्तीय वर्ष हेतु वास्तविक सकल आय पर, विद्युत–दर (टैरिफ) अवधि वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2023–24 से संबंधित प्राधिकारी से प्राप्त की गई किसी ब्याज राशि को सम्मिलित कर, समायोजित करते हुए प्रति वर्ष सत्यापित किया जाएगा। तथापि, शास्ति की राशि, यदि कोई हो, जो किसी जमा की गई राशि के विलंबित भुगतान या निर्धारित कर राशि से कम जमा की गई राशि से उद्भूत हो, का विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा दावा नहीं किया जाएगा। पूंजी पर प्रतिलाभ पर सकलबद्ध दर की कम वसूल की गई या अधिक वसूल की गई राशि को, सत्यापित किए जाने के उपरान्त वर्ष–दर–वर्ष आधार पर हितग्राहियों से राशि की वसूली या उन्हें उसके प्रत्यर्पण हेतु अनुज्ञेय किया जाएगा।

36 ऋण पूंजी पर ब्याज :

36.1 इन विनियमों के विनियम 33 में दर्शाई गई विधि के अनुसार, गणना किये गये ऋण पर ब्याज सकल मानदण्डीय ऋण माने जाएंगे।

36.2 दिनांक 1.4.2019 की स्थिति में बकाया मानदण्डीय ऋणों की गणना आयोग द्वारा दिनांक 31.03.2019 तक स्वीकार किये गये सकल मानदण्डीय ऋण में से संचयी

अदायगी को घटाकर की जायेगी। विद्युत–दर (टैरिफ) अवधि 2019–24 के प्रत्येक वर्ष हेतु अदायगी को तत्संबंधी वर्ष/अवधि हेतु अनुज्ञेय किये गये अवमूल्यन के बराबर माना जाएगा। परिसम्पत्तियों के अपूंजीकरण से संबंधित प्रकरण में, अदायगी का समायोजन संचयी अदायगी द्वारा आनुपातिक आधार पर किया जाएगा तथा यह समायोजित राशि ऐसी परिसम्पत्ति के बारे में अपूंजीकरण तारीख तक वसूल की गई संचयी अवमूल्यन राशि से अधिक न होगी।

36.3 विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा भले ही किसी विलम्बकाल अवधि का लाभ उठाया गया हो, ऋण की अदायगी को परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से ही माना जाएगा तथा यह वर्ष अथवा उसके किसी भाग हेतु अनुज्ञेय किये गये अवमूल्यन के समतुल्य होगा।

36.4 ब्याज की दर, ब्याज की भारित औसत दर के बराबर होगी, जिसकी गणना वास्तविक ऋण श्रेणी के आधार पर पूंजीकृत किए गए ब्याज हेतु समुचित लेखांकन समायोजन प्रदान करते हुए की जाएगी :

परन्तु यदि किसी विशिष्ट वर्ष हेतु कोई वास्तविक ऋण लंबित न हो परन्तु मानदण्डीय ऋण अभी भी बकाया हो तो ऐसी दशा में अन्तिम उपलब्ध भारित औसत ब्याज दर मानी जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि विद्युत उत्पादन केन्द्र के विरूद्ध वास्तविक ऋण लंबित न हो तो ऐसी दशा में विद्युत उत्पादन कंपनी की समग्र रूप से भारित औसत ब्याज दर मानी जाएगी।

36.5 ऋण पर ब्याज की गणना वर्ष के मानकीकृत औसत पर भारित औसत ब्याज दर की प्रयुक्ति द्वारा की जाएगी।

37. अवमूल्यन/अवक्षयण :

37.1 अवमूल्यन/अवक्षयण की गणना किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी किसी इकाई के संबंध में उसकी वाणिज्यिक प्रचालन तारीख से की जाएगी। किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र की समस्त इकाईयों की विद्युत–दर (टैरिफ) के प्रकरण में जिनके लिए एकल विद्युत–दर अवधारण किया जाना आवश्यक हो, वहां अवमूल्यन/अवक्षयण की गणना विद्युत उत्पादन केन्द्र की प्रभावी प्रचालन तारीख से वैयक्तिक इकाईयों के अवमूल्यन पर विचार करते हुए की जाएगी :

परन्तु वाणिज्यिक प्रचालन की प्रभावी तारीख की गणना विद्युत उत्पादन केन्द्र की समस्त इकाईयां जिनकी एकल विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारित किया जाना अपेक्षित हो, के बारे में यह कार्यवाही वास्तविक वाणिज्यिक प्रचालन तारीख तथा स्थापित क्षमता पर विचार करते हुए की जाएगी।

37.2 अवमूल्यन की गणना के प्रयोजन हेतु मूल्य आधार आयोग द्वारा स्वीकृत परिसम्पत्ति की पूंजीगत लागत होगा। किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र की बहुविध इकाईयों के प्रकरण में, विद्युत उत्पादन केन्द्र के भारित औसत जीवनकाल का अनुप्रयोग किया जाएगा।

37.3 परिसम्पत्ति का उपादेय मूल्य 10 प्रतिशत माना जाएगा तथा अवमूल्यन को परिसम्पत्ति की पूंजीगत लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक अनुज्ञेय किया जाएगा :

परन्तु किसी जल विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में उपादेय मूल्य, विकासकों द्वारा राज्य सरकार के साथ विद्युत उत्पादन केन्द्र के विकास हेतु निष्पादित लिखित अनुबन्ध, यदि कोई हो, में किये गये प्रावधान अनुसार होगा :

परन्तु यह और कि जल विद्युत उत्पादन केन्द्र की परिसम्पत्तियों की पूंजीगत लागत ह्रासित मूल्य की गणना के प्रयोजन से विनियामित विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसार दीर्घ–अवधि विद्युत क्रय समझौते के अंतर्गत विद्युत विक्रय के प्रतिशत से तत्संबंधी होगी :

परंतु यह और भी कि विद्युत उत्पादन केन्द्र या विद्युत उत्पादन इकाई की न्यून उपलब्धता के कारण अस्वीकार किए गए अवमूल्यन की वसूली को इसके उपयोगी जीवनकाल या विस्तारित जीवनकाल के दौरान बाद में किसी प्रक्रम पर अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण तथा सॉफ्ट्वेयरों के उपादेय मूल्य को शून्य माना जाएगा तथा परिसम्पत्तियों के शत प्रतिशत मूल्य को अवमूल्यनयोग्य माना जाएगा।

37.4 पट्टे पर ली गई भूमि के अतिरिक्त किसी भी भूमि को तथा जल–विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में जलाशय से संबंधित भूमि को अवमूल्यनयोग्य परिसम्पत्ति नहीं माना जाएगा तथा परिसम्पत्ति के अवमूल्यनयोग्य मूल्य की गणना करते समय इसकी लागत को पूंजीगत लागत से अलग रखा जाएगा।

37.5 विद्युत उत्पादन केन्द्र की परिसम्पत्तियों हेतु अवमूल्यन की गणना प्रति वर्ष 'नियत किस्त

पद्धति' के आधार पर इन विनियमों के **परिशिष्ट–1** में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार की जाएगी।

37.6 अवमूल्यन वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से ही प्रभारणीय होगा। परिसम्पत्ति के वाणिज्यिक प्रचालन के प्रकरण में वर्ष के किसी भाग हेतु अवमूल्यन को आनुपातिक दर पर प्रभारित किया जाएगा :

परन्तु वर्ष की 31 मार्च की स्थिति में, अवशेष अवमूल्यनयोग्य मूल्य को वाणिज्यिक प्रचालन तारीख के 12 वर्षों की अवधि के उपरान्त परिसम्पत्तियों के अवशेष उपयोगी जीवनकाल के अन्तर्गत प्रसारित कर दिया जाएगा।

37.7 विद्यमान परियोजनाओं के प्रकरण में, दिनांक 1.4.2019 की स्थिति में अवशेष अवमूल्यनयोग्य मूल्य की गणना सम्पत्तियों के सकल अवमूल्यनयोग्य मूल्य जैसा कि आयोग द्वारा इसे दिनांक 31.3.2019 तक स्वीकार किया गया हो, में से संचयी अवमूल्यन को घटाकर की जाएगी।

37.8 विद्युत उत्पादन कम्पनी परियोजना के उपयोगी जीवनकाल से पांच वर्ष पूर्व प्रस्तावित पूंजीगत व्यय के विवरण, इसका औचित्य दर्शाते हुए तथा प्रस्तावित जीवनकाल की वृद्धि के संबंध में प्रस्तुत करेगी। आयोग, इस प्रकार की गई प्रस्तुतियों के युक्तियुक्त परीक्षण के आधार पर परियोजना के अन्तिम चरण के दौरान पूंजीगत व्यय पर अवमूल्यन का अनुमोदन करेगा।

37.9 किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र अथवा इसकी किसी इकाई से संबंधित परिसम्पत्तियों के अपूंजीकरण के प्रकरण में, संचयी अवमूल्यन को उपयोगी सेवाओं के दौरान अपूंजीकृत परिसम्पत्ति द्वारा विद्युत–दर (टैरिफ) में वसूल किए गए अवमूल्यन को ध्यान में रखकर समायोजित किया जाएगा।

38. कार्यकारी पूंजी पर ब्याज :

38.1 कार्यकारी पूंजी में निम्न को सम्मिलित किया जाएगा :

(क) कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र :

(एक) भण्डार हेतु कोयले की लागत, यदि लागू हो, खदान मुख (पिटहेड) विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु 15 दिवस तथा गैर–खदान मुख (नॉनपिट हेड) विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु 30 दिवस जो मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक अथवा उच्चतम कोयला भण्डारण क्षमता से तत्संबंधी

इनमें से जो भी कम हो, होगी ;

(दो) विद्युत उत्पादन के लिए 30 दिवस हेतु अग्रिम भुगतान कोयले की लागत जो मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक से तत्संबंधी होगी ;

(तीन) विद्युत उत्पादन के लिए दो माह हेतु पर्याप्त द्वितीयक ईंधन खनिज तेल की लागत जो मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक के तत्संबंधी होगी तथा ऐसे प्रकरण में जहां एक से अधिक प्रकार के द्वितीयक ईंधन तेल को उपयोग में लाया जा रहा हो, वहां ईंधन तेल भण्डारण की लागत मुख्य द्वितीयक ईंधन तेल की लागत मानी जाएगी;

(चार) संधारण कलपुर्जे, प्रचालन एवं संधारण व्यय के 20 प्रतिशत की दर से, जैसा कि इन विनियमों के विनियम 39 तथा 40 में निर्दिष्ट किया गया है ;

(पांच) 45 दिवस की विद्युत के विक्रय हेतु क्षमता प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों के बराबर प्राप्तियोग्य सामग्रियां, जिनकी गणना मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक के आधार पर की जाएगी ; तथा

(छः) एक माह हेतु, प्रचालन एवं संधारण व्यय।

(ख) जल विद्युत उत्पादन केन्द्र (उद्वहन संग्रहण जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों को सम्मिलित करते हुए)

कार्यकारी पूंजी में निम्न को सम्मिलित किया जाएगा :

(एक) 45 दिवस की वार्षिक स्थाई लागत के बराबर प्राप्तियोग्य सामग्रियों की लागत ;

(दो) संधारण कलपुर्जे, प्रचालन एवं संधारण व्ययों के 15 प्रतिशत की दर से जैसा कि इसे इन विनियमों के विनियम 39 तथा 41 में निर्दिष्ट किया गया है ; तथा

(तीन) एक माह हेतु प्रचालन एवं संधारण व्यय।

38.2 ईंधन की लागत विद्युत उत्पादन केन्द्र द्वारा गणनानुसार व्यय की गई आगमित ईंधन लागत (मानदण्डीय आवागमन तथा हथालन हानियों पर विचार करते हुए) तीन माह हेतु पूर्वगामी एक माह अनुसार, जिस हेतु विद्युत--दर (टैरिफ) का अवधारण किया जाना

अपेक्षित हो, वास्तविक भारित औसत के अनुसार, ईंधन के सकल ऊष्मित मान पर आधारित होगी तथा विद्युत–दर (टैरिफ) अवधि के दौरान ईंधन की लागत में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जाएगी :

परन्तु नवीन विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में प्रथम वित्तीय वर्ष हेतु ईंधन की लागत पर विचार, आगमित ईंधन लागत पर आधारित (मानदण्डीय आवागमन तथा हथालन हानियों पर विचार करते हुए) तथा तीन माह हेतु वास्तविक भारित औसत के अनुसार ईंधन के सकल ऊष्मित मान, जैसा कि इसे अस्थाई ऊर्जा (इन्फर्म पावर) हेतु प्रयोग किया जाए, वाणिज्यिक प्रचालन तारीख से पूर्वगामी तारीख हेतु विद्युत–दर का अवधारण किया जाना अपेक्षित है, किया जाएगा।

38.3 कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की दर मानदण्डीय आधार पर होगी तथा इसे 1.4.2019 की स्थिति में बैंक दर अथवा विद्युत–दर (टैरिफ) अवधि वर्ष 2019–20 से वर्ष 2023–24 के दौरान उक्त वर्ष की प्रथम अप्रैल की तारीख जिसके दौरान विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी किसी इकाई को वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित किया जाए, इनमें से जो भी बाद में घटित हो, मानी जाएगी :

परन्तु सत्यापन के प्रकरण में, कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की दर पर विद्युत–दर (टैरिफ) अवधि 2019–24 के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष की प्रथम अप्रैल की स्थिति में बैंक दर के अनुसार किया जाएगा।

38.4 कार्यकारी पूंजी पर ब्याज मानदण्डीय आधार पर ही भुगतानयोग्य होगा, भले ही विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा किसी बाह्य अभिकरण (एजेन्सी) से कार्यकारी पूंजी हेतु ऋण प्राप्त न भी किया गया हो।

39. प्रचालन एवं संधारण व्यय :

39.1 ताप तथा जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु किसी प्रदत्त विद्युत–दर (टैरिफ) अवधि के लिए प्रचालन एवं संधारण व्ययों का अवधारण आयोग द्वारा इन विनियमों में निर्दिष्टानुसार मानदण्डीय संचालन एवं संधारण व्ययों के आधार पर किया जाएगा। ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु मानदण्डीय प्रचालन तथा संधारण व्ययों को ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों के लिए जिन्हें दिनांक 31.03.2012 को या इसके पूर्व क्रियाशील किया गया हो तथा विद्युत उत्पादन केन्द्रों के लिए जिन्हें दिनांक 01.04.2012 को या तत्पश्चात् क्रियाशील किया गया हो, पृथक् से निर्दिष्ट किया गया है।

39.2 कर्मचारी व्यय, मरम्मत तथा अनुरक्षण लागत और प्रशासनिक तथा सामान्य व्ययों से संबंधित लागत घटकों पर उपरोक्त विनियमों के विनियम 40.1 तथा 41.2 के अनुसार विचार किया गया है। दिनांक 1.4.2012 से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन हेतु क्रियाशील किये गये विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु आंकड़ों की प्राप्ति के लिये मप्रविनिआ (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें) विनियम 2015 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये प्रदत्त प्रचालन तथा संधारण व्ययों को कर्मचारी व्ययों, मरम्मत तथा अनुरक्षण व्ययों तथा प्रशासनिक तथा सामान्य व्ययों को शामिल करते हुए के आंकड़ों को 3.51 प्रतिशत वृद्धि कारक के उपयोग अनुसार वृद्धि कर किया जाएगा।

39.3 तत्पश्चात् नियन्त्रण अवधि के अनुवर्ती वर्षों हेतु प्रचालन एवं संधारण व्ययों का अवधारण वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु प्राप्त किये गये आंकड़ों को 3.51 प्रतिशत वृद्धि कारक के अनुसार किया जाएगा जैसा कि इस हेतु प्रावधान केन्द्रीय आयोग के टैरिफ विनियम, 2019 में तत्संबंधी वर्षों हेतु किया गया है जिसके अनुसार अनुज्ञेय प्रचालन तथा संधारण व्ययों की प्राप्ति प्रत्येक तत्संबंधी वित्तीय वर्ष हेतु की जाएगी :

परन्तु ऐसी दशा में जहां विद्युत उत्पादक केन्द्र दिनांक 1.4.2012 को अथवा तत्पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित किये गये हों, प्रचालन एवं संधारण व्यय इन विनियमों के विनियम 40.2 में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार लागू होंगे।

39.4 मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के संबंध में कर्मचारी व्यय, जिन पर संचालन एवं संधारण व्ययों के अन्तर्गत विचार किया गया है, पेंशन तथा अन्य सेवान्त प्रसुविधाओं को छोड़कर हैं। कार्मिकों के बारे में, तत्कालीन मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के विद्यमान पेंशनभोगियों तथा मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के पेंशनभोगियों को सम्मिलित करते हुए, की पेंशन तथा अन्य प्रसुविधाओं के बारे में निधीयन मप्र विद्युत नियामक आयोग (मण्डल तथा उत्तराधिकारी इकाईयों के कार्मिकों के तथा सेवान्त प्रसुविधा दायित्वों की स्वीकृति हेतु निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2012 (जी–38, वर्ष 2012) तथा तत्संबंधी संशोधन, यदि कोई किये जाएं, के अनुसार किया जाएगा।

39.5 युद्ध, विद्रोह अथवा कानून में कतिपय परिवर्तनों अथवा ऐसी समतुल्य परिस्थितियों के कारण संचालन तथा संधारण में अभिवृद्धि के संबंध में, जहां आयोग का यह अभिमत हो कि उक्त वृद्धि न्यायोचित है, आयोग इसे विनिर्दिष्ट अवधि हेतु लागू करने पर विचार कर सकेगा।

39.6 किसी विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा किसी वर्ष में अर्जित की गई बचत को उसे स्वयं के पास धारित रखे जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। किसी वर्ष में लक्ष्य संचालन व संधारण व्ययों के आधिक्य के कारण होने वाली हानि को विद्युत उत्पादन कंपनी को ही वहन करना होगा।

40. ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु मानदण्डीय प्रचालन एवं संधारण व्यय निम्नानुसार होंगे :

40.1 दिनांक 1.04.2012 से पूर्व क्रियाशील किए गए ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु प्रचालन एवं संधारण व्यय :

दिनांक 1.04.2012 में पूर्व क्रियाशील किये गये विद्यमान ताप विद्युत केन्द्र को अनुज्ञेय प्रचालन एवं संधारण व्ययों में सम्मिलित होंगे कर्मचारी लागत, मरम्मत तथा अनुरक्षण लागत तथा प्रशासनिक तथा सामान्य लागत। प्रचालन एवं संधारण हेतु इन मानदण्डों में पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधाएं, कर्मचारियों को देय अर्जित अवकाश नगदीकरण, बकाया राशि, शासन को देय भुगतानयोग्य कर तथा मप्रविनिआ को देय शुल्क सम्मिलित नहीं हैं। विद्युत उत्पादन कम्पनी शासन को देय दर, भाड़ा, करों, रसायनों तथा उपभोज्य सामग्रियों की लागत, मप्रविनिआ को देय शुल्क, कर्मचारियों को देय अर्जित अवकाश नगदीकरण तथा बकाया राशियों का दावा वास्तविक आंकड़ों के अनुसार करेगी। यदि इन विनियमों में प्रावधानित मानदण्डों के अनुसार जनरेटिंग कम्पनी के अंकेक्षित लेखों के अनुसार प्रचालन एवं संधारण व्यय बकाया राशि (एरियर्स) को सम्मिलित करते हुए (यदि काई हों) वास्तविक कुल प्रचालन एवं संधारण व्ययों से अधिक हो तो प्रचालन एवं संधारण व्यय मानदण्डीय प्रचालन एवं संधारण व्ययों के अनुसार ही अनुज्ञेय किये जाएंगे। पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधिओं के दावों को विनियम 39.4 के अनुसार संव्यवहारित किया जाएगा।

दिनांक 1.04.2012 से पूर्व ताप विद्युत इकाईयों हेतु प्रचालन एवं संधारण मानदण्ड :

(रू. लाख प्रति मेगावाट में)

यूनिट (मेगावाट में)	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2020–21	वित्तीय वर्ष 2021–22	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24
200/210/250	28.30	29.29	30.32	31.39	32.49
500	22.72	23.52	24.34	25.20	26.08

40.2 दिनांक 1.04.2012 या तत्पश्चात् क्रियाशील की गई ताप विद्युत उत्पादन इकाईयों हेतु प्रचालन एवं संधारण मानदण्ड :

(रू. लाख प्रति मेगावाट में)

यूनिट (मेगावाट में)	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2020–21	वित्तीय वर्ष 2021–22	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24
45 मेगावाट	37.51	38.83	40.19	41.60	43.06
200/210/250	32.96	34.12	35.31	36.56	37.84
300 मेगावाट श्रेणी	27.74	28.71	29.72	30.76	31.84
500 मेगावाट श्रेणी	22.51	23.30	24.12	24.97	25.84

600/660 मेगावाट श्रेणी	20.26	20.97	21.71	22.47	23.26
800 मेगावाट श्रेणी तथा इससे अधिक हेतु	18.23	18.87	19.54	20.22	20.93

परन्तु जहां किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र की किसी/किन्हीं इकाई(यों) की वाणिज्यिक प्रचालन तारीख दिनांक 1.4.2019 को या तत्पश्चात् घटित हो, वहां ऐसी अतिरिक्त इकाई(यों) के प्रचालन तथा संधारण के व्यय उपरोक्त निर्दिष्ट किये गये अनुसार प्रचालन तथा संधारण व्ययों की 90% दर पर अनुज्ञेय होंगे ;

परन्तु यह और कि जल प्रभारों को जल की खपत, संयंत्र के प्रकार, जलशीतलन प्रणाली, आदि के आधार पर, युक्तियुक्त परीक्षण के अध्यधीन अनुज्ञेय किया जाएगा। इससे संबंधित विवरण याचिका के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे :

परन्तु यह और भी कि विद्युत उत्पादन केन्द्र वास्तविक खपत किए गए पूंजीगत कलपुर्जो की सूची सत्यापन के समय मय उपयुक्त औचित्य के इसकी खपत के बारे में प्रस्तुत करेगा तथा इस बारे में यह भी प्रमाणित करेगा कि इसका निधीयन क्षतिपूर्ति रियायत अथवा विशेष रियायत के माध्यम से नहीं किया गया है तथा न ही इसका दावा अतिरिक्त पूंजीकरण या फिर भण्डार तथा कलपुर्जों की खपत और नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण के किसी भाग के रूप में किया गया है।

41. **जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु मानदण्डीय प्रचालन एवं संधारण व्यय निम्नानुसार होंगे:**

41.1 विद्यमान जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों को अनुज्ञेय प्रचालन एवं संधारण व्ययों में सम्मिलित होंगे कर्मचारी लागत, मरम्मत तथा अनुरक्षण लागत तथा प्रशासनिक तथा सामान्य लागत। प्रचालन एवं संधारण हेतु इन मानदण्डों में पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधाएं, कर्मचारियों को देय अर्जित अवकाश नगदीकरण तथा बकाया राशि, शासन को भुगतानयोग्य कर, मप्रविनिआ को देय शुल्क सम्मिलित नहीं हैं। विद्युत उत्पादन कम्पनी शासन को देय दर, भाड़ा, शासन को देय कर, रसायनों तथा उपभोज्य सामग्रियों, की लागत, मप्रविनिआ को देय शुल्क, तथा कर्मचारियों को भुगतान की गई अर्जित अवकाश नगदीकरण तथा किन्हीं बकाया राशियों का दावा पृथक से वास्तविक आंकड़ों के आधार पर करेगी। यदि इन विनियमों में प्रावधानित मानदण्डों के अनुसार जनरेटिंग कम्पनी के अंकेक्षित लेखों के अनुसार प्रचालन एवं संधारण व्यय बकाया राशि (एरियर्स) को सम्मिलित करते हुए (यदि काई हों) वास्तविक कुल प्रचालन एवं संधारण

व्ययों से अधिक हो तो प्रचालन एवं संधारण व्यय मानदण्डीय प्रचालन एवं संधारण व्ययों के अनुसार अनुज्ञेय किये जाएंगे। पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधिओं के दावों को विनियम 39.4 के अनुसार संव्यवहारित किया जाएगा।

41.2 ऐसे विद्यमान जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों के बारे में जिनके द्वारा दिनांक 1.04.2019 से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन तारीख प्राप्त की गई हो, निम्न प्रचालन एवं संधारण व्यय मानदण्ड लागू होंगे :

वर्ष	प्रचालन एवं संधारण व्यय रू. लाख प्रति मेगावाट में
वित्तीय वर्ष 2019–20	11.34
वित्तीय वर्ष 2020–21	11.74
वित्तीय वर्ष 2021–22	12.16
वित्तीय वर्ष 2022–23	12.58
वित्तीय वर्ष 2023–24	13.02

41.3 दिनांक 1.4.2019 को अथवा तत्पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन हेतु घोषित किये जाने वाले नवीन जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों के प्रकरण में प्रचालन तथा संधारण व्यय मूल परियोजना लागत (पुनर्वास तथा पुनर्व्यस्थापन की लागत, निर्माण के दौरान ब्याज तथा निर्माण के दौरान आनुषंगिक को छोड़कर) की 3.5 प्रतिशत तथा 5.0 प्रतिशत की दर से क्रमशः 200 मेगावाट क्षमता से अधिक तथा 200 मेगावाट से कम के केन्द्रों हेतु वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष हेतु निर्धारित किये जाएंगे।

अध्याय – 8

क्षमता प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों की संगणना

42. ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु क्षमता प्रभार की संगणना तथा भुगतान :

42.1 किसी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु स्थाई लागत की गणना इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार वार्षिक आधार पर की जाएगी तथा इनकी वसूली मासिक आधार पर क्षमता प्रभार के अन्तर्गत की जाएगी। किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु भुगतानयोग्य कुल क्षमता प्रभारों को उसके हितग्राहियों के मध्य उनका प्रतिशत अंशदान/विद्युत उत्पादन केन्द्र की क्षमता के आवंटन के आधार पर परस्पर विभाजित किया जाएगा। क्षमता प्रभार की वसूली वर्ष के दौरान दो खण्डों में की जाएगी, अर्थात् उच्च मांग मौसम (जिसकी अवधि तीन माह होगी) तथा निम्न मांग मौसम (जिसकी अवधि वर्ष के अवशेष नौ माह होगी) तथा प्रत्येक मौसम के अन्तर्गत दो भागों में, अर्थात् माह के शीर्ष (व्यस्ततम) घंटो हेतु क्षमता प्रभार तथा माह के शीर्ष बाह्य (अ–व्यवस्ततम) घंटो हेतु क्षमता प्रभार, निम्नानुसार की जाएगी :

वर्ष हेतु क्षमता प्रभार (CC_y) = उच्च मांग मौसम के तीन माह हेतु क्षमता प्रभारों का योग + निम्न मांग मौसम के नौ माह हेतु क्षमता प्रभार का योग।

42.2 किसी कलेण्डर माह हेतु ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र को देय क्षमता प्रभार की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

माह हेतु क्षमता प्रभार (CC_m) = शीर्ष (व्यस्ततम) घंटों हेतु क्षमता प्रभार (CC_p) + माह के शीर्ष बाह्य (अ–व्यस्ततम) घंटों हेतु क्षमता प्रभार (CC_{op}) , जहां

उच्च मांग मौसम :

$CC_{p1} = (0.20 \times AFC) \times \left(\frac{1}{12}\right) \times \left(\frac{PAFMp1}{NAPAF}\right)$ जो की उच्चतम सीमा के अध्यधीन होगा। $(0.20 \times AFC) \times \left(\frac{1}{12}\right)$

$CC_{p2} = \{(0.20 \times AFC) \times \left(\frac{1}{6}\right) \times \left(\frac{PAFMp2}{NAPAF}\right)$ जो की उच्चतम सीमा के अध्यधीन होगा।$\{(0.20 \times AFC) \times \left(\frac{1}{6}\right)\} - CCp1$

$CC_{p3} = \{(0.20 \times AFC) \times \left(\frac{1}{4}\right) \times \left(\frac{PAFMp3}{NAPAF}\right)$ जो की उच्चतम सीमा के अध्यधीन होगा।$\{(0.20 \times AFC) \times \left(\frac{1}{4}\right)\} - (CCp1 + CCp2)\}$

$CC_{op1} = \{(0.80 \times AFC) \times \left(\frac{1}{12}\right) \times \left(\frac{PAFMop1}{NAPAF}\right)$ जो की उच्चतम सीमा के अध्यधीन होगा। $(0.80 \times AFC) \times \left(\frac{1}{12}\right)\}$

$CC_{op2} = \{(0.80 \times AFC) \times \left(\frac{1}{6}\right) \times \left(\frac{PAFMop2}{NAPAF}\right)$ जो की उच्चतम सीमा के अध्यधीन होगा। $(0.80 \times AFC) \times \left(\frac{1}{6}\right)\} - CCop1$

$CC_{op3} = \{(0.80 \times AFC) \times \left(\frac{1}{4}\right) \times \left(\frac{PAFMop3}{NAPAF}\right)$ जो की उच्चतम सीमा के अध्यधीन होगा। $\{(0.80 \times AFC) \times \left(\frac{1}{4}\right)\} - (CCop1 + CCop2)$

न्यून मांग मौसम

$CC_{p1} = \{(0.20\ xAFC)x\left(\frac{1}{12}\right)x\left\{\frac{PAFMp1}{NAPAF}\right\}$ जो की उच्चतम सीमा के अध्यधीन होगा। $(0.20\ xAFC)x\left(\frac{1}{12}\right)\}$

$CC_{p2} = \{(0.20\ xAFC)x\left(\frac{1}{6}\right)x\left(\frac{PAFMp2}{NAPAF}\right)$ जो की उच्चतम सीमा के अध्यधीन होगा। $(0.20\ xAFC)x\left(\frac{1}{6}\right)\}$ $CCp1$

$CC_{p3} = \{(0.20\ xAFC)x\left(\frac{1}{4}\right)x\left(\frac{PAFMp3}{NAPAF}\right)$ जो की उच्चतम सीमा के अध्यधीन होगा $(0.20\ xAFC)x\left(\frac{1}{4}\right)\}$ $(CCp1 + CCp2)$

$CC_{p4} = \{(0.20\ xAFC)x\left(\frac{1}{3}\right)x\left(\frac{PAFMp4}{NAPAF}\right)$ जो की उच्चतम सीमा के अध्यधीन होगा। $\{(0.20\ xAFC)x\left(\frac{1}{3}\right)\} - (CCp1 + CCp2 + CCp3)$

$CC_{p5} = \{(0.20\ xAFC)x\left(\frac{5}{12}\right)x\left(\frac{PAFMp5}{NAPAF}\right)$ जो की उच्चतम सीमा के अध्यधीन होगा। $(0.20\ xAFC)x\left\{\frac{5}{12}\right\} - (CCp1 + CCp2 + CCp3 + CCp4)$

$CC_{p6} = \{(0.20\ xAFC)x\left(\frac{1}{2}\right)x\left(\frac{PAFMp6}{NAPAF}\right)$ जो की उच्चतम सीमा के अध्यधीन होगा। $\{(0.20\ xAFC)x\left(\frac{1}{2}\right)\} - (CCp1 + CCp2 + CCp3 + CCp4 + CCp5)$

$CC_{p7} = \{(0.20\ xAFC)x\left(\frac{7}{12}\right)x\left(\frac{PAFMp7}{NAPAF}\right)$ जो की उच्चतम सीमा के अध्यधीन होगा। $(0.20\ xAFC)x\left\{\frac{7}{12}\right\} - (CCp1 + CCp2 + CCp3 + CCp4 + CCp5 + CCp6)$

$CC_{p8} = \{(0.20\ xAFC)x\left(\frac{2}{3}\right)x\left(\frac{PAFMp8}{NAPAF}\right)$ जो की उच्चतम सीमा के अध्यधीन होगा।

$(0.20\ xAFC)x\left\{\frac{2}{3}\right\} - (CCp1 + CCp2 + CCp3 + CCp4 + CCp5 + CCp6 + CCp7)$

$CC_{p9} = \{(0.20\ xAFC)x\left(\frac{3}{4}\right)x\left(\frac{PAFMp9}{NAPAF}\right)$ जो की उच्चतम सीमा के अध्यधीन होगा।

$(0.20\ xAFC)x\left\{\frac{3}{4}\right\} - (CCp1 + CCp2 + CCp3 + CCp4 + CCp5 - CCp6 - CCp7 - CCp8)$

$CC_{op1} = \{(0.80\ xAFC)x\left(\frac{1}{12}\right)x\left(\frac{PAFMop1}{NAPAF}\right)$ जो की उच्चतम सीमा के अध्यधीन होगा। $(0.80\ xAFC)x\left(\frac{1}{12}\right)\}$

$CC_{op2} = \{(0.80\ xAFC)x\left(\frac{1}{6}\right)x\left(\frac{PAFMop2}{NAPAF}\right)$ जो की उच्चतम सीमा के अध्यधीन होगा। $(0.80\ xAFC)x\left(\frac{1}{6}\right)\} - CCop1$

$CC_{op3} = \{(0.80\ xAFC)x\left(\frac{1}{4}\right)x\left(\frac{PAFMop3}{NAPAF}\right)$ जो की उच्चतम सीमा के अध्यधीन होगा। $(0.80\ xAFC)x\left(\frac{1}{4}\right)\}$ $(CCop1 + CCop2)$

$CC_{op4} = \{(0.80\ xAFC)x\left(\frac{1}{3}\right)x\left(\frac{PAFMop4}{NAPAF}\right)$ जो की उच्चतम सीमा के अध्यधीन होगा। $\{(0.80\ xAFC)x\left(\frac{1}{3}\right)\} - (CCop1 + CCop2 + CCop3)$

$CC_{op5} = \{(0.80\ xAFC)x\left(\frac{5}{12}\right)x\left(\frac{PAFMop5}{NAPAF}\right)$ जो $\{0.80\ xAFC)x\left\{\frac{5}{12}\right\} - (CCop1 + CCop2 + CCop3 + CCop4)$ की उच्चतम सीमा के अध्यधीन होगा।

$CC_{op8} = \{(0.80 \times AFC) \times \left(\frac{1}{12}\right) \times \left(\frac{PAFMop8}{NAPAF}\right)$ जो $\{(0.80 \times AFC) \times \left(\frac{11}{12}\right)\} - (CCop1 + CCop2 + CCop3 + CCop4 + CCop5)$ की उच्चतम सीमा के अध्यधीन होगा।

$CC_{op7} = \{(0.80 \times AFC) \times \left(\frac{7}{12}\right) \times \left(\frac{PAFMop7}{NAPAF}\right)$ जो की उच्चतम सीमा के अध्यधीन होगा।

$(0.80 \times AFC) \times \left\{\left(\frac{6}{12}\right)\right\} - (CCop1 + CCop2 + CCop3 + CCop4 + CCop5 + CCop6)$

$CC_{op8} = \{(0.80 \times AFC) \times \left(\frac{2}{3}\right) \times \left(\frac{PAFMop8}{NAPAF}\right)$ जो की उच्चतम सीमा के अध्यधीन होगा।

$(0.80 \times AFC) \times \left\{\left(\frac{5}{12}\right)\right\} - (CCop1 + CCop2 + CCop3 + CCop4 + CCop5 + CCop6 + CCop7)$

$CC_{op9} = \{(0.80 \times AFC) \times \left(\frac{3}{4}\right) \times \left(\frac{PAFMop9}{NAPAF}\right)$ जो की उच्चतम सीमा के अध्यधीन होगा।

$(0.80 \times AFC) \times \left\{\left(\frac{4}{12}\right)\right\} - (CCop1 + CCop2 + CCop3 + CCop4 + CCop5 + CCop6 + CCop7 + CCop8)$

परन्तु ऐसी स्थिति में जहां विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी इकाई, जो नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण के कारण बंद हो, वहां विद्युत उत्पादन कंपनी को केवल प्रचालन एवं संधारण व्ययों तथा ऋण पर ब्याज वसूल की जाने की अनुमति ही प्रदान की जाएगी,

जहां,

CC_m = माह हेतु क्षमता प्रभार ;

CC_p = माह के शीर्ष (व्यस्ततम) घंटों हेतु क्षमता प्रभार ;

CC_{op} = माह के शीर्ष बाह्य (अ–व्यस्ततम घंटो हेतु क्षमता प्रभार ;

CC_{pn} = किसी विशिष्ट मौसम के 'n' वें माह के शीर्ष (व्यस्ततम) घंटों हेतु क्षमता प्रभार;

CC_{opn} = किसी विशिष्ट मौसम के 'n' वें माह के शीर्ष बाह्य (अव्यस्ततम) अवधि हेतु क्षमता प्रभार;

AFC = वार्षिक स्थायी लागत ;

$PAFM_{pn}$ = किसी मौसम में 'n' वें माह के अन्त तक शीर्ष (व्यस्ततम) घंटों के दौरान प्राप्त किया गया संयंत्र उपलब्धता कारक ;

$PAFM_{opn}$ = किसी मौसम में 'n' वें माह के अन्त तक शीर्ष बाह्य (अ–व्यस्ततम) घंटों के दौरान प्राप्त किया गया संयंत्र उपलब्धता कारक ;

NAPAF = मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक ।

42.3 इन विनियमों के विनियम 49 में निर्दिष्ट किये गये अनुसार माह के दौरान मानदण्डीय संयंत्र उपलब्धता कारक "शीर्ष (व्यस्ततम)" तथा "शीर्ष बाह्य (अ–व्यस्ततम)" घंटों हेतु मानदण्डीय संयंत्र उपलब्धता कारक (NAPAF) के समतुल्य होगा। दिवस के दौरान "शीर्ष (व्यस्ततम)" तथा 'शीर्ष बाह्य (अ–व्यस्ततम)" अवधियां क्रमशः चार घंटे तथा बीस घंटे होंगी। दिवस के दौरान 'शीर्ष (व्यस्ततम)' तथा 'शीर्ष बाह्य (अ–व्यस्ततम)' घंटों की घोषणा संबंधित भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अग्रिम रूप से न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व की जाएगी। संबंधित भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किसी क्षेत्र के लिये उच्च मांग मौसम (तीन माह की अवधि, निरन्तर या अन्यथा) और न्यून मांग मौसम (अवशेष नौ माह, निरन्तर या अन्यथा) की घोषणा अग्रिम रूप से न्यूनतम छः माह पूर्व की जाएगी :

परन्तु संबद्ध राज्य भार प्रेषण केन्द्र संबंधित हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) की टिप्पणियों पर विधिवत विचार करने के बाद शीर्ष (व्यस्ततम) घंटे तथा उच्च मांग मौसम इस प्रकार घोषित करेगा जो राज्य के अधिकांश भाग के लिये यथासंभव उच्चतम सीमा तक शीर्ष (व्यस्ततम) घंटों तथा उच्च मांग मौसम के अनुरूप होगी :

परन्तु यह और भी कि किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र के बारे में जिसके हितग्राही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं, उच्च मांग मौसम तथा शीर्ष घंटे उक्त क्षेत्र के उच्च मांग मौसम तथा शीर्ष (व्यस्ततम) घंटों के अनुरूप होंगे जहां हितग्राहियों का अधिकांश भाग अंशदान के आवंटन के प्रतिशत रूप में अवस्थित है।

42.4 अधोनिष्पति (अण्डर–रिकवरी) या फिर अधिनिष्पति (ओवर–रिकवरी) के फलस्वरूप क्षमता प्रभार की किसी अधोवसूली अथवा अधिवसूली बनाम मौसम (यथास्थिति उच्च मांग अथवा न्यून मांग मौसम) को शीर्ष तथा शीर्ष बाह्य घंटों में मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (NAPAF) की अधोनिष्पति अथवा अधिनिष्पति के साथ बनाम अन्य मौसम के शीर्ष (व्यस्ततम) तथा शीर्ष बाह्य (अ–व्यस्ततम) में 'NAPAF' से समायोजित नहीं किया जाएगा :

परन्तु मौसम की अवधि के अन्तर्गत 'NAPAF' पर आधारित व्युत्पादित संचयी शीर्ष बाह्य घंटों हेतु क्षमता प्रभार की वसूली में पाई गई किसी कमी को संयंत्र उपलब्धता कारक की अधिनिष्पति द्वारा, यदि कोई हो, तथा उक्त मौसम में संचयी शीर्ष घंटों हेतु क्षमता प्रभार की अनुवर्ती काल्पनिक वसूली द्वारा

प्रतिसन्तुलित (ऑफसेट) किया जाना अनुज्ञेय किया जाएगा :

परन्तु आगे यह भी कि मौसम की अवधि के अन्तर्गत 'NAPAF' पर आधारित व्युत्पादित संचयी शीर्ष घंटों हेतु क्षमता प्रभार की वसूली में पाई गई किसी कमी को संयंत्र उपलब्धता कारक में पाई गई किसी अधिनिष्पति, यदि कोई हो, तथा उक्त मौसम में संचयी शीर्ष घंटों हेतु क्षमता प्रभार की अनुवर्ती काल्पनिक अधिवसूली द्वारा प्रति सन्तुलित किया जाना अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा।

42.5 किसी माह हेतु निष्पादित किये गये संयंत्र उपलब्धता कारक (PAFM) की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

$$PAFM = 1000 \times \sum_{i=1}^{N} \frac{DCi}{[N \times IC \times (100 - Aux)]} \%$$

जहां,

AUX= मानदण्डीय सहायक ऊर्जा खपत, प्रतिशत में

DCi = औसत घोषित क्षमता (एक्स–बस मेगावाट में), अवधि के दौरान iवें दिवस हेतु, अर्थात् माह अथवा वर्ष, यथास्थिति, जैसा कि संबंधित भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दिवस की समाप्ति उपरांत प्रमाणित किया गया हो

IC = उत्पादन स्टेशन की स्थापित क्षमता (मेगावाट में)

N = अवधि के दौरान दिवस संख्या

टीप : DCi तथा IC में उन उत्पादन इकाईयों की क्षमता को शामिल नहीं किया जाएगा, जिन्हें वाणिज्यिक प्रचालन हेतु घोषित न किया गया हो। संबंधित अवधि के दौरान स्थापित क्षमता में परिवर्तन होने की दशा में, उसके औसत मूल्य का अनुप्रयोग किया जाएगा।

42.6 क्षमता प्रभार के अतिरिक्त, किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र अथवा उसकी इकाई हेतु इन विभिन्न विनियमों के विनियम 49.2(ङ) में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार प्रत्येक मौसम के अन्तर्गत (यथास्थिति, उच्च मांग मौसम या न्यून मांग मौसम) संचयी आधार पर प्राप्त किये गये मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र भार कारक (NAPAF) (एक्स–बस ऊर्जा से तत्संबंधी) से अधिक प्रोत्साहन राशि शीर्ष (व्यस्ततम) घंटों के दौरान एक्सबस अनुसूचित ऊर्जा हेतु **65 पैसे प्रति किलोवाट** की दर से तथा शीर्ष बाह्य (अ–व्यवस्ततम) घंटों के दौरान एक्सबस अनुसूचित ऊर्जा हेतु **50 पैसे प्रति किलोवाट** की दर से देय होगी।

42.7 इन विनियमों के विनियम क्रमांक 42.1 से 42.6 तक के प्रावधान दिनांक 1.04.2020 से प्रभावशाली होंगे। उक्त तारीख तक इन विनियमों के अन्तर्गत ताप विद्युत उत्पादन

केन्द्र हेतु क्षमता प्रभार की वसूली मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2015 के विनियम क्रमांक 36.1 से 36.4 तक के प्रवाधानों के अनुसार इस शर्त के अध्यधीन कि मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (NAPAF) तथा मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र भार कारक (NAPLF) के मूल्य इन विनियमों में विनिर्दिष्टानुसार लिये जाएंगे, की जाएगी।

43. ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु ऊर्जा प्रभार की गणना तथा भुगतान :

43.1 ऊर्जा प्रभार में प्राथमिक तथा द्वितीयक ईंधन की लागत शामिल होगी तथा इसका भुगतान प्रत्येक हितग्राही द्वारा ऐसे हितग्राही को प्रदाय की जाने वाली कुल ऊर्जा हेतु कलेण्डर माह के दौरान, एक्स विद्युत संयंत्र आधार पर मासिक ऊर्जा प्रभार दर पर (मय ईंधन मूल्य समायोजन के) किया जाएगा। विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा माह हेतु भुगतानयोग्य कुल प्रभार निम्नानुसार होगा :

(ऊर्जा प्रभार दर, रूपये प्रति किलोवाट ऑवर में) x {माह हेतु अनुसूचित ऊर्जा (एक्स–बस), किलोवाट ऑवर में}

43.2 ऊर्जा प्रभार दर (ECR) का अवधारण रूपये प्रति किलोवाट ऑवर में एक्स–विद्युत संयंत्र आधार पर तीन दशमलव स्थानों तक, निम्न सूत्र के अनुसार किया जाएगा :

ECR = {(SHR – SFC x CVSF) x LPPF / CVPF+SFC x LPSFi } x 100 / (100 – AUX)

जहां,

AUX = मानदण्डीय सहायक ऊर्जा खपत, प्रतिशत में।

CVPF= विद्युत उत्पादन केन्द्र पर भाण्डारण के दौरान विषमता के कारण प्राप्त किये गये कोयले का भारित औसत सकल ऊष्मीय मान, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम में से 85 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम घटाकर :

परन्तु ऐसे प्रकरण में जहां कोयले का सम्मिश्रण विभिन्न स्त्रोतों से किया जाता हो, वहां कोयला (प्राथमिक ईंधन) के भारित औसत सकल ऊष्मीय मान की गणना सम्मिश्रण अनुपात में की जाएगी।

CVSF = द्वितीयक ईंधन का ऊष्मीय मान किलो लीटर/मि. लीटर में।

ECR = सम्प्रेषित की गई ऊर्जा प्रभार दर, रूपये प्रति किलोवाट ऑवर में।

SHR = सकल स्टेशन ऊष्मा दर, किलो कैलोरी प्रति किलोवाट ऑवर में।

LPPF= माह के दौरान कोयले (प्राथमिक ईंधन) का भारित औसत आगमित मूल्य, रूपये प्रति किलोग्राम में (ऐसी परिस्थिति में, जहां ईंधन का सम्मिश्रण विभिन्न स्त्रोतों से किया हो, वहां प्राथमिक ईंधन के भारित औसत सकल ऊष्मीय मान की प्राप्ति सम्मिश्रण अनुपात के समानुपात में की जाएगी)।

SFC = मानदण्डीय आपेक्षिक ईंधन खनिज–तेल खपत, मि. लीटर/किलोवाट ऑवर में।

LPSFi= माह के दौरान द्वितीयक ईंधन का भारित औसत आगमित मूल्य, रूपये प्रति मि. लीटर में।

43.3 विद्युत उत्पादन कम्पनी तथा हितग्राहियों द्वारा परस्पर सम्मत स्त्रोत से पृथक वैकल्पिक प्रदाय स्त्रोत से ईंधन प्रदाय के आंशिक अथवा पूर्ण उपयोग संबंधी प्रकरण में जैसा कि विद्युत क्रय अनुबंध में सहमति व्यक्त की गयी हो, जैसा कि यह अनुबंधित विद्युत प्रदाय के संबंध में ईंधन की कमी या फिर सम्मिश्रण के माध्यम से मितव्ययी परिपालन की अनुकूलतम परिस्थितियों बाबत हो, वहां ईंधन प्रदाय के वैकल्पिक स्त्रोत के उपयोग के बारे में विद्युत उत्पादन केन्द्र को अनुमति प्रदान की जाएगी बशर्ते ऐसे कोयले का प्रयोग भारत सरकार की वर्तमान नीति/दिशा–निर्देशों के अनुरूप हो :

परन्तु ऐसी परिस्थिति में हितग्राहियों को पूर्व अनुमति एक पूर्व शर्त नहीं होगी जब तक इस संबंध में विशिष्ट तौर पर विद्युत क्रय अनुबंध में सहमति व्यक्त न कर दी गयी हो ;

परन्तु यह और कि ईंधन के वैकल्पिक स्त्रोत के उपयोग हेतु इन विनियमों के विनियम 46.3 के अन्तर्गत की गई गणना के अनुसार वैकल्पिक स्त्रोत से कोयले का भारित औसत मूल्य कोयले के आधार मूल्य के 30 प्रतिशत से अधिक न होगा :

परंतु यह और भी कि जहां ईंधन के उपयोग हेतु भारित औसत मूल्य पर आधारित ऊर्जा प्रभार, ईंधन के वैकल्पिक स्त्रोत को शामिल करते हुये, 30 प्रतिशत से अधिक हो, जैसा कि आयोग द्वारा उक्त वर्ष के लिये अनुमोदित किया गया हो या फिर ईंधन के उपयोग हेतु भारित औसत मूल्य पर आधारित ऊर्जा प्रभार दर, ईंधन के वैकल्पिक स्त्रोत को शामिल करते हुये पूर्व माह के भारित औसत मूल्य पर आधारित ऊर्जा प्रभार दर के 20 प्रतिशत से अधिक हो, इनमें से जो भी कम हो, को मान्य किया जाएगा तथा ऐसी दशा में हितग्राही से पूर्व परामर्श न्यूनतम तीन दिवस पूर्व किया जाएगा।

43.4 विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा विद्युत उत्पादन केन्द्र के हितग्राहियों को इन विनियमों में निर्दिष्ट प्ररूपों के अनुसार सकल ऊष्मीय मान के मानदण्डों के विवरण तथा ईंधन, अर्थात् स्वदेशी कोयला, आयातित कोयला, ई–नीलामी कोयला, आदि के संबंध में इनके मूल्य प्रदान किये जायेंगे :

परन्तु आयातित कोयले स्वदेशी कोयले के साथ सम्मिश्रण अनुपात के विवरण, ई–नीलामी कोयले का अनुपात तथा कोयले का भारित औसत सकल ऊष्मीय मान जैसा कि ये प्राप्त किये गये हों पृथक से तत्संबंधी माह के देयकों के साथ प्रदान किये जायेंगे :

परन्तु यह और कि देयकों की प्रतियां तथा सकल ऊष्मीय मान तथा ईंधन अर्थात् स्वदेशी कोयला, आयातित कोयला, ई–नीलामी कोयला, आदि की कीमत, स्वदेशी कोयले के आयातित कोयले के साथ मिश्रण का अनुपात, ई–नीलामी कोयले का अनुपात, विद्युत उत्पादन कम्पनी के वैबस्थल (वेबसाईट) पर भी प्रदर्शित किये जाएंगे। उपरोक्त विवरण कम्पनी के वैबस्थल (वैबसाईट) मासिक आधार पर उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

44. कोयले की आगमित लागत की गणना :

44.1 ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों के ऊर्जा प्रभार में कोयले (प्राथमिक ईंधन) की आगमित लागत, द्वितीयक ईंधन तेल खपत की लागत तथा पुनरीक्षित उत्सर्जन मानकों के कार्यान्वयन के कारण अभिकर्मकों (रिएजेन्ट्स) की आगमित लागत शामिल होगी।

44.2 किसी माह हेतु कोयले की आगमित लागत में सम्मिलित होंगे, कोयले की श्रेणी (ग्रेड) तथा गुणवत्ता से तत्संबंधी कोयले का आधार मूल्य, सांविधिक प्रभारों को सम्मिलित करते हुए जो लागू हो/आयोग द्वारा अनुमोदित हों, धोवन (वाशरी) प्रभार, यदि कोई हों, रेल/सड़क या किन्हीं अन्य संसाधनों द्वारा परिवहन लागत एवं भारण, उतराई तथा हथालन प्रभार :

परन्तु शासन द्वारा अधिसूचित मूल्यों से अन्य बेहतर अधिप्राप्ति पर भी विचार किया जा सकेगा यदि आगमित कोयला लागत के प्रयोजन हेतु प्रतिस्पर्धात्मक बोली की पारदर्शी प्रक्रिया पर आधारित है :

परन्तु यह और कि कोयले के आगमित मूल्य की गणना विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा वास्तविक देयक भुगतान के आधार पर कोयले की मात्रा तथा गुणवत्ता के

कारण किसी समायोजन को सम्मिलित करते हुए की जाएगी :

परन्तु यह और भी कि कोयले के सकल ऊष्मीय मान का मापन तृतीय पक्षकार नमूने द्वारा किया जाएगा तथा तृतीय पक्षकार नमूने की प्रक्रिया से संबंधित व्ययों की प्रतिपूर्ति हितग्राहियों द्वारा की जाएगी।

45. परिवहन तथा हथालन हानियां :

45.1 कोयले हेतु, परिवहन तथा हथालन हानियां निम्न मानदण्डों के अनुसार होंगी :

ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र	परिवहन तथा हथालन हानि (%)
खदान मुख (पिट हैड)	0.20%
गैर–खदान मुख (नॉन पिट हैड)	0.80%

परंतु खदान मुख केन्द्रों के प्रकरण में यदि कोयले की अधिप्राप्ति अन्य स्त्रोतों से की जाए, जो खदान मुख खदानों से अन्य हो, जिसका परिवहन विद्युत उत्पादन केन्द्र को रेल के माध्यम से किया जाए, वहां गैर–खदान मुख केन्द्र हेतु प्रयोज्य परिवहन तथा हथालन हानियां लागू होंगी :

परन्तु यह और कि आयातित कोयला के प्रकरण में, खदान मुख हेतु प्रयोज्य परिवहन तथा हथालन हानियां लागू होंगी।

46. अभिकर्मक (रिएजेन्ट) की आगमित लागत :

46.1 जहां विशिष्ट अभिकर्मक (रिएजेन्ट) जैसे कि चूना पत्थर (लाईमस्टोन), धावन सोड़ा (सोडियम बाई कार्बोनेट), यूरिया अथवा निर्जल (एहायड्रस) अमोनिया का उपयोग पुनरीक्षित उत्सर्जन मानकों की पूर्ति हेतु उत्सर्जन नियंत्रण अभिक्रिया के संचालन के लिये किया जाता हो वहां ऐसे अभिकर्मकों की आगमित लागत का अवधारण अभिकर्मक की मानदण्डीय खपत तथा क्रय मूल्य के आधार पर प्रतिस्पर्धात्मक बोली, लागू सांविधिक प्रभारों तथा परिवहन लागत के माध्यम से किया जाएगा।

46.2 पुनरीक्षित उत्सर्जन मानकों की पूर्ति हेतु स्थापित की गई विभिन्न प्रौद्योगिकियों हेतु विशिष्ट अभिकर्मक की मानदण्डीय खपत पर विचार केन्द्रीय आयोग द्वारा पृथक से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार किया जाएगा।

46.3 आयोग विद्युत–दर (टैरिफ) अवधि के प्रारंभ में प्रत्येक विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु जारी किये जाने वाले विशिष्ट विद्युत–दर आदेशों के माध्यम से ऊर्जा प्रभार दर का अनुमोदन करेगा। इस प्रकार अनुमोदित की गयी ऊर्जा प्रभार दर विद्युत–दर (टैरिफ) अवधि के

प्रथम वर्ष हेतु आधार ऊर्जा प्रभार दर होगी। अनुवर्ती वर्षों हेतु आधार ऊर्जा प्रभार दर वह दर होगी जिसकी गणना भुगतान के प्रयोजन से आधार ऊर्जा प्रभार में वृद्धि करने के उपरान्त वृद्धि दरों के रूप में केन्द्रीय आयोग द्वारा समय–समय पर अधिसूचित प्रतिस्पर्धात्मक बोली दिशा–निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

47. जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु क्षमता प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार की संगणना तथा भुगतान :

47.1 किसी जल–विद्युत उत्पादन केन्द्र की स्थाई लागत की गणना इन विनियमों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मानदण्डों के आधार पर की जाएगी तथा इसकी वसूली मासिक आधार पर क्षमता प्रभार (प्रोत्साहन को सम्मिलित करते हुए) तथा ऊर्जा प्रभारों के अन्तर्गत की जाएगी जिसका भुगतान हितग्राहियों द्वारा विद्युत उत्पादन केन्द्र की विक्रययोग्य क्षमता में उनके तत्संबंधी आवंटन के अनुपात में, अर्थात्, क्षमता अनुसार गृह राज्य को निःशुल्क विद्युत प्रदाय को छोड़कर किया जाएगा :

परन्तु विद्युत उत्पादन केन्द्र की प्रथम इकाई की वाणिज्यिक प्रचालन तारीख तथा विद्युत उत्पादन केन्द्र की वाणिज्यिक प्रचालन तारीख के मध्य की अवधि के दौरान क्षमता प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों के भुगतान के अवधारण हेतु वार्षिक स्थाई लागत की गणना विद्युत उत्पादन केन्द्र के कार्य पूर्ण किये जाने संबंधी अन्तिम प्राक्कलन के आधार पर प्रावधिक तौर पर की जाएगी।

47.2 किसी कलेण्डर माह हेतु किसी जल विद्युत उत्पादन केन्द्र को भुगतानयोग्य क्षमता प्रभार (प्रोत्साहन को सम्मिलित करते हुए) निम्नानुसार होगा :

AFC x 0.5 x NDM / NDY x (PAFM / NAPAF) (रूपये में)

जहां,

AFC = वर्ष हेतु निर्दिष्ट वार्षिक स्थाई लागत, रूपयों में
NAPAF = मानदण्डीय संयंत्र उपलब्धता कारक, प्रतिशत में
NDM = माह के दौरान दिवस संख्या
NDY = वर्ष के दौरान दिवस संख्या
PAFM = माह के दौरान प्राप्त किया गया संयंत्र उपलब्धता कारक, प्रतिशत में

47.3 मासिक संयंत्र उपलब्धता कारक (PAFM) की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी:

$$PAFM = 10000 \times \sum_{i=1}^{N} DCi / \{ N \times IC \times (100 - AUX) \} \%$$

जहां,

AUX = मानदण्डीय सहायक ऊर्जा खपत, प्रतिशत में

DCi = माह के iवें दिवस हेतु घोषित क्षमता (एक्स–बस मेगावाट में) जो केन्द्र (स्टेशन)

को न्यूनतम 3 (तीन) घंटे की अवधि में प्रदान करने में सक्षम हो, जैसा कि इसे समन्वयन भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दिवस की समाप्ति पर सत्यापित किया जाए

IC = सम्पूर्ण विद्युत उत्पादन केन्द्र (स्टेशनों) की स्थापित क्षमता (मेगावाट में)

N = माह के दौरान दिवस संख्या

47.4 ऊर्जा प्रभार का भुगतान प्रत्येक हितग्राहियों द्वारा, माह के दौरान कुल अनुसूचित प्रदाययोग्य ऊर्जा हेतु, निःशुल्क ऊर्जा को घटाकर, यदि कोई हो, एक्स पावर संयंत्र आधार पर, गणना की गई, ऊर्जा प्रभार दर पर किया जाएगा। विद्युत उत्पादन कम्पनी को माह के दौरान कुल भुगतानयोग्य ऊर्जा प्रभार निम्नानुसार होंगे :

(ऊर्जा प्रभार दर रू. प्रति किलोवाट ऑवर में) x {माह हेतु अनुसूचित ऊर्जा (एक्स–बस) किलोवॉट ऑवर में) x (100 – FEHS) / 100

47.5 किसी जल–विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु ऊर्जा प्रभार दर का अवधारण रू. प्रति किलोवाट ऑवर में, एक्स पॉवर प्लांट आधार पर, तीन दशमलव बिन्दुओं तक निम्न सूत्र के आधार पर इन विनियमों के विनियम 47.7 के उपबन्धों के अध्यधीन किया जाएगा :

ECR = AFC x 0.5 x 10 / { DE x (100 – AUX) x (100 – FEHS)}

जहां,

DE = जल विद्युत उत्पादन स्टेशन हेतु वार्षिक रूपांकित ऊर्जा, मेगावाट ऑवर में, निम्न दर्शाये विनियम 47.6 के उपबंधों के अध्यधीन होगी

FEHS = गृह राज्य हेतु निःशुल्क ऊर्जा, प्रतिशत में, जैसा कि इसे इन विनियमों के विनियम 53 में परिभाषित किया गया है

47.6 यदि किसी जल विद्युत उत्पादन केन्द्र की वर्ष के दौरान विक्रय अनुसूचित ऊर्जा (एक्स–बस) विक्रययोग्य रूपांकित ऊर्जा (एक्स–बस) से कम विद्युत उत्पादन केन्द्र के नियंत्रण से परे कतिपय कारणों से हो तो ऐसी दशा में विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा दाखिल किये गये आवेदन का संव्यवहार इन विनियमों के विनियम 47.7 के अनुसार किया जाएगा।

47.7 वार्षिक स्थाई लागत के पचास प्रतिशत की तुलना में ऊर्जा प्रभारों में किसी कमी की वसूली छः समतुल्य मासिक किस्तों में अनुज्ञेय की जाएगी :

परन्तु ऐसे प्रकरण में, जहां जल विद्युत उत्पादन केन्द्र से वास्तविक विद्युत उत्पादन रूपांकित ऊर्जा से निरन्तर 4 वर्षों की अवधि हेतु जल वैज्ञानिक (हायड्रोलोजी) कारक के कारण कम रही हो, वहां विद्युत उत्पादन केन्द्र द्वारा

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से सुसंबद्ध आंकड़ों के साथ केन्द्र की रूपांकित ऊर्जा के पुनरीक्षण हेतु सम्पर्क किया जाएगा।

47.8 विद्युत–दर (टैरिफ) अवधि 2014–19 के दौरान विक्रययोग्य अनुसूचित ऊर्जा (एक्स बस) के कारण ऊर्जा प्रभारों में किसी कमी के बारे में जिसकी विक्रययोग्य रूपांकित ऊर्जा (एक्स बस) से कम होने तथा जो विद्युत उत्पादन केन्द्र के नियंत्रण से बाहर परिस्थिति के कारण जिसकी कथित विद्युत–दर (टैरिफ) अवधि में वसूली नहीं हो पाई हो, की वसूली इन विनियमों के विनियम 47.7 के अनुसार की जाएगी।

47.9 यदि किसी जल–विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु ऊर्जा प्रभार दर (ECR) जैसा कि इसकी गणना इन विनियमों के विनियम 47.5 में की गई है, **एक सौ बीस पैसे प्रति किलोवाट ऑवर** से अधिक हो तथा वर्ष के दौरान वास्तविक विक्रय योग्य ऊर्जा {DE x (100 – AUX) x (100 – FEHS)/10000} मेगावाट ऑवर से अधिक हो तो ऊर्जा हेतु ऊर्जा प्रभार की बिलिंग उपरोक्त से अधिक हेतु, केवल **एक सौ बीस पैसे प्रति किलोवाट ऑवर** की दर से की जाएगी।

47.10 संबंधित भार प्रेषण केन्द्र हितग्राहियों से परामर्श कर जल–विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु घोषित की गई उपलब्ध समस्त ऊर्जा की अनुकूलतम उपयोगिता हेतु अनुसूचियों को अन्तिम रूप देगा जिसे समस्त हितग्राहियों हेतु विद्युत उत्पादन केन्द्र के तत्संबंधी आवंटन के समानुपात में अनुसूचीबद्ध किया जाएगा।

48. **विचलन प्रभार :**

48.1 विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु वास्तविक शुद्ध अन्तःक्षेपण तथा अनुसूचित शुद्ध अन्तःक्षेपण अंतरों तथा हितग्राहियों हेतु वास्तविक शुद्ध आहरण और अनुसूचित शुद्ध आहरण अंतरों को उनका तत्संबंधी विचलन माना जाएगा तथा ऐसे विचलनों को केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित "Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related matters) Regulations, 2014, समय–समय पर यथासंशोधित या इसके किसी अनुवर्ती अधिनियम द्वारा अधिशासित किया जाएगा।

48.2 प्रत्येक विद्युत उत्पादन केन्द्र तथा हितग्राही के वास्तविक शुद्ध विचलन को उसकी परिधि पर राज्य पारेषण इकाई द्वारा स्थापित विशेष ऊर्जा मापयंत्रों के माध्यम से मीटरीकृत किया जाएगा तथा संबद्ध भार प्रेषण केन्द्र द्वारा इसकी गणना प्रत्येक 15–मिनट के समय–खण्ड हेतु मेगावाट ऑवर में की जाएगी।

अध्याय–9

प्रचालन के मानदण्ड

49. ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु प्रचालन के मानदण्ड :

49.1 विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा क्षमता प्रभार, ऊर्जा प्रभार की वसूली तथा प्रोत्साहन इन विनियमों में निर्दिष्ट किये गये मानदण्डों की उपलब्धि पर आधारित होंगे।

49.2 ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु निम्न दर्शाये गये प्रचालन मानदण्ड ऐसे विद्यमान ताप विद्युत केन्द्रों को लागू होंगे जिनके द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2012 को अथवा उससे पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन तारीख प्राप्त की गई हो :

(क) मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (NAPAF) :

विद्युत उत्पादन केन्द्र का नाम	यूनिट (मेगावाट में)	क्षमता (मेगावाट में)	वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2023–24
सतपुड़ा ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र सारनी पीएच 2	200+210	410.0	70.00%
सतपुड़ा ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र सारनी पीएच 3	2 X 210	420.0	70.00%
सतपुड़ा ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र (पीएच 2 तथा पीएच3)		**830.0**	**70.00%**
अमरकंटक ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र पीएच 3	**1 x 210**	**210.0**	**85.00%**
संजय गांधी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र पीएच 1	2 X 210	420.0	75.00%
संजय गांधी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र पीएच 2	2 X 210	420.0	75.00%
संजय गांधी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र (पीएच 1 तथा पीएच 2)		**840.0**	**75.00%**
संजय गांधी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र – (500 मेगावाट)	**1X500**	**500.0**	**85.00%**

(ख) सकल स्टेशन ऊष्मा दर (किलो कैलोरी/किलोवॉट ऑवर) :

विद्युत उत्पादन केन्द्र का नाम	यूनिट (मेगावाट में)	क्षमता (मेगावाट में)	वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2023–24
सतपुड़ा ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र सारनी पीएच 2	200+210	410.0	2850
सतपुड़ा ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र सारनी पीएच 3	2 X 210	420.0	2850
सतपुड़ा ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र (पीएच 2 तथा पीच 3)		**830.0**	**2850**
अमरकंटक ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र पीएच 3	**1 x 210**	**210.0**	**2450**
संजय गांधी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र पीएच 1	2 X 210	420.0	2700
संजय गांधी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र पीएच 2	2 X 210	420.0	2700
संजय गांधी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र (पीएच 1तथा पीएच 2)		**840.0**	**2700**
संजय गांधी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र – (500 मेगावाट)	**1X500**	**500.0**	**2390**

(ग) आपेक्षिक ईंधन खनिज तेल खपत (म लीटर//किलोवाट ऑवर)

विद्युत उत्पादन केन्द्र का नाम	यूनिट (मेगावाट में)	क्षमता (मेगावाट में)	वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2023–24
सतपुड़ा ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र सारनी पीएच 2	200+210	410.0	1.75
सतपुड़ा ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र सारनी पीएच 3	2 X 210	420.0	1.75
सतपुड़ा ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र (पीएच 2 तथा पीएच 3)		**830.0**	**1.75**
अमरकंटक ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र पीएच 3	**1 x 210**	**210.0**	**0.50**
संजय गांधी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र पीएच 1	2 X 210	420.0	1.30
संजय गांधी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र पीएच 2	2 X 210	420.0	1.00
संजय गांधी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र (पीएच 1 तथा पीएच 2)		**840.0**	**1.15**
संजय गांधी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र – (500 मेगावाट)	**1X500**	**500.0**	**0.50**

(घ) सहायक ऊर्जा खपत (%)

विद्युत उत्पादन केन्द्र का नाम	यूनिट (मेगावाट में)	क्षमता (मेगावाट में)	वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2023–24
सतपुड़ा ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र सारनी पीएच 2	200+210	410.0	10.00%
सतपुड़ा ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र सारनी पीएच 3	2 X 210	420.0	10.00%
सतपुड़ा ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र (पीएच 2 तथा पीएच 3)		**830.0**	**10.00%**
अमरकंटक ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र पीएच 3	**1 x 210**	**210.0**	**9.00%**
संजय गांधी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र पीएच 1	2 X 210	420.0	10.00%
संजय गांधी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र पीएच 2	2 X 210	420.0	10.00%
संजय गांधी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र (पीएच 1 तथा पीएच 2)		**840.0**	**10.00%**
संजय गांधी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र – (500 मेगावाट)	**1X500**	**500.0**	**5.75%**

(ङ) प्रोत्साहन हेतु मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र भारक कारक (NAPLF) (%)

विद्युत उत्पादन केन्द्र का नाम	यूनिट (मेगावाट में)	क्षमता (मेगावाट में)	वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2023–24
सतपुड़ा ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र सारनी पीएच 2	200+210	410.0	70.00%
सतपुड़ा ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र सारनी पीएच 3	2 X 210	420.0	70.00%
सतपुड़ा ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र (पीएच 2 तथा पीएच 3)		**830.0**	**70.00%**
अमरकंटक ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र पीएच 3	**1 X 210**	**210.0**	**85.00%**
संजय गांधी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र पीएच 1	2 X 210	420.0	75.00%
संजय गांधी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र पीएच 2	2 X 210	420.0	75.00%
संजय गांधी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र (पीएच1 तथा पीएच 2)		**840.0**	**75.00%**
संजय गांधी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र – (500 मेगावाट)	**1X500**	**500.0**	**85.00%**

49.3 दिनांक 1.4.2012 को अथवा तत्पश्चात् प्राप्त की गई वाणिज्यिक प्रचालन तारीख से जुड़ी समस्त क्षमताओं के संबंध में ताप विद्युत उत्पादन इकाईयों/केन्द्रों हेतु निम्न

मानदण्ड लागू होंगे :

क. **मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक : (NAPAF) : 85%**

ख. **मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र भार कारक (NAPLF) : 85%**

ग. **सकल स्टेशन ऊष्मा दर (Gross Station Heat Rate) :**

(एक) विद्यमान कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र जिनकी वाणिज्यिक प्रचालन तारीख 1.4.2012 को या तत्पश्चात् 31.3.2016 तक हो (उन्हें छोड़कर जिन्हें विनियम 49.2 के अंतर्गत शामिल किया गया है), आयोग द्वारा पूर्व ही से अनुमोदित स्टेशन ऊष्मा दर मानदण्ड लागू होंगे।

(दो) विद्यमान कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र जिनकी वाणिज्यिक प्रचालन तारीख 1.4.2016 को या तत्पश्चात् 31.3.2019 तक हो, वहां वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु नियंत्रण अवधि (कन्ट्रोल पीरियड) हेतु स्टेशन ऊष्मा दर (हीट रेट) का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा :

स्टेशन ऊष्मा दर = 1.05 x रूपांकन ऊष्मा दर (डिजाइन हीट रेट) किलो कैलोरी/किलोवाट ऑवर)

जहां किसी विद्युत उत्पादन इकाई की रूपांकन ऊष्मा दर से (डिजाइन हीट रेट) से अभिप्रेत है इकाई ऊष्मा दर (यूनिट हीट रेट) जिसे सामग्री प्रदायकर्ता द्वारा शत प्रतिशत निरंतर गुणवत्ता श्रेणी (MCR), शून्य प्रतिशत प्रतिपूर्ति, रूपांकन कोयला तथा रूपांकन शीतलन जल तापमान/पृष्ठ दबाव (बैक प्रेशर) जैसी शर्तों हेतु प्रत्याभूत किया गया है:

परन्तु यह कि रूपाकंन ऊष्मा दर उच्चतम इकाई (यूनिट) ऊष्मा दर से अधिक न होगी जो इकाईयों की दबाव तथा तापमान मूल्यांकन (प्रेशर एण्ड टेम्परेचर रेटिंग) पर निर्भर करेगा जैसा कि इसे मप्रविनिआ (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन एवं शर्तें) विनियम 2015 {आरजी–26 (III), वर्ष 2015} के विनियम 39(ग)(ख) के अंतर्गत निर्दिष्ट किया गया है :

परन्तु यह और कि यदि किसी इकाई के दबाव तथा तापमान मानदण्ड उपरोक्त दर्शाये गये मूल्यांकन से भिन्न हों तो ऐसी दशा में निकटतम श्रेणी की उच्चतम रूपांकन इकाई की ऊष्मा दर ली जाएगी :

परन्तु यह और भी कि जहां इकाई ऊष्मा दर प्रत्याभूत नहीं की गई हो परन्तु टरबाईन चक्र ऊष्मा दर तथा वाष्पयंत्र दक्षता उसी सामग्री प्रदायकर्ता अथवा भिन्न–भिन्न सामग्री प्रदायकर्ताओं द्वारा पृथक–पृथक प्रत्याभूत की गई हों तो ऐसी दशा में इकाई रूपांकन ऊष्मा दर की गणना प्रत्याभूत टरबाईन चक्र ऊष्मा दर तथा वाष्पयंत्र दक्षता के प्रयोग द्वारा की जाएगी :

परन्तु यह और भी यदि एक या एक से अधिक इकाईयां 1.4.2016 से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन हेतु घोषित की गई हों वहां इन इकाईयों हेतु ऊष्मा दर मानदण्ड तथा दिनांक 1.4.2016 को या तत्पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन हेतु घोषित की गई इकाईयों हेतु उपरोक्त क्रियाविधि के अनुसार प्राप्त किये गये ऊष्मा दर मानदण्डों में से जो भी कम हो, मान्य किया जाएगा।

टीप : ऐसी इकाईयों के बारे में जहां वाष्पयन्त्र पोषित पम्प (बीएफपी) विद्युत चालित हों वहां उच्चतम रूपांकन इकाई ऊष्मा दर टरबाईन चालित वाष्पयन्त्र पोषित पम्प के साथ निर्दिष्ट उच्चतम रूपांकन इकाई ऊष्मा दर से 40 किलो कैलोरी/किलोवाट ऑवर कम होगी।

(तीन) नवीन कोयला आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्र जो दिनांक 1.4.2019 को या तत्पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन तारीख की प्राप्ति करते हों :

स्टेशन ऊष्मा दर (स्टेशन हीट रेट) = 1.05 X रूपांकित ऊष्मा दर (किलो केलोरी/प्रति किलोवाट ऑर में)

जहां किसी विद्युत उत्पादन इकाई की रूपांकन ऊष्मा दर से (डिजाइन हीट रेट) से अभिप्रेत है इकाई ऊष्मा दर (यूनिट हीट रेट) जिसे सामग्री प्रदायकर्ता द्वारा शत प्रतिशत निरंतर गुणवत्ता श्रेणी (MCR), शून्य प्रतिशत प्रतिपूर्ति, रूपांकन कोयला तथा रूपांकन शीतलन जल तापमान/पृष्ठ दबाव (बैक प्रेशर) जैसी शर्तों हेतु प्रत्याभूत किया गया है :

परन्तु रूपांकन ऊष्मा दर इकाईयों की दबाव तथा तापमान गुणवत्ताओं पर निर्भर निम्न दर्शाई गई उच्चतम रूपांकन इकाई ऊष्मा दरों से अधिक न होंगी :

दबाव मूल्यांकन (प्रेशर रटिंग) (किलोग्राम/वर्ग सेंमी)	150	170	170	247
सुपर हीटर टेम्परेचर (तापमान)/रीहीटर टेम्परेचर (तापमान) (^{0}C)	535/535	537/537	537/565	537/565
वाष्पयंत्र पोषित पंप का प्रकार	विद्युत चालित	टरबाईन चालित	टरबाईन चालित	टरबाईन चालित
उच्चतम टरबाईन चक्र ऊष्मा दर (किलो कैलोरी/किलोवॉट ऑवर)	1955	1950	1935	1900
न्यूनतम वाष्पयंत्र दक्षता				
सब–बिटूमिनस भारतीय कोयला	0.86	0.86	0.86	0.86
बिटूमिनस आयातित कोयला	0.89	0.89	0.89	0.89
उच्चतम रूपांकन इकाई ऊष्मा दर (किलो कैलोरी/किलोवाट ऑवर)				
सब–बिटूमिनस भारतीय कोयला	2273	2267	2250	2222
बिटूमिनस आयातित कोयला	2197	2191	2174	2135

दबाव मूल्यांकन (किलोग्राम/वर्ग सेंमी)	247	270	270
सुपर हीटर टेम्परेचर (तापमान)/रीहीटर टेम्परेचर (तापमान) (^{0}C)	565/593	593/593	600/600
वाष्पयंत्र पोषित पंप का प्रकार	विद्युत चालित	टरबाईन चालित	टरबाईन चालित
उच्चतम टरबाईन चक्र दर ऊष्मा दर (किलो कैलोरी/किलोवॉट ऑवर)	1850	1810	1800
न्यूनतम वाष्पयंत्र दक्षता			
सब–बिटूमिनस भारतीय कोयला	0.86	0.865	0.865
बिटूमिनस आयातित कोयला	0.89	0.895	0.895
उच्चतम रूपांकन इकाई ऊष्मा दर (किलो कैलोरी/किलोवाट ऑवर)			
सब–बिटूमिनस भारतीय कोयला	2151	2105	2081
बिटूमिनस आयातित कोयला	2078	2034	2022

परन्तु यह और कि यदि किसी इकाई के दबाव तथा तापमान मानदण्ड उपरोक्त दर्शाये गये मूल्यांकन से भिन्न हों तो ऐसी दशा में निकटतम श्रेणी की उच्चतम रूपांकन इकाई की ऊष्मा दर ली जाएगी :

परन्तु यह और भी कि जहां इकाई ऊष्मा दर प्रत्याभूत नहीं की गई हो परन्तु टरबाईन चक्र ऊष्मा दर तथा वाष्पयंत्र दक्षता उसी सामग्री प्रदायकर्ता अथवा भिन्न–भिन्न सामग्री प्रदायकर्ताओं द्वारा पृथक–पृथक प्रत्याभूत की गई हों तो ऐसी दशा में इकाई रूपांकन ऊष्मा दर की गणना प्रत्याभूत टरबाईन चक्र ऊष्मा दर तथा वाष्पयंत्र दक्षता के प्रयोग द्वारा की जाएगी :

परन्तु आगे यह और भी कि जहां सब–बिटूमिनस भारतीय कोयले हेतु वाष्पयंत्र दक्षता 86 प्रतिशत से कम तथा बिटूमिनस आयातित कोयले हेतु 89 प्रतिशत से

कम हो वहां इन्हें स्टेशन ऊष्मा दर (हीट रेट) की गणना हेतु सब बिटूमिनस कोयले तथा बिटूमिनस आयातित कोयले हेतु क्रमशः 86 तथा 89 प्रतिशत ही माना जाएगा :

परन्तु यह और भी कि यदि एक या एक से अधिक इकाईयां दिनांक 1.4.2019 से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन के अंतर्गत घोषित की गई हों तो ऐसी दशा में इन इकाईयों हेतु तथा इनके साथ–साथ दिनांक 1.4.2019 को तथा तत्पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन के अंतर्गत घोषित ऊष्मा दर मानदण्ड जिनकी गणना उपरोक्त विधि द्वारा की जाएगी या फिर आयोग द्वारा विद्युत–दर (टैरिफ) अवधि वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु आयोग द्वारा विचार किया जाए इनमें से जो भी कम हो, मानी जाएगी :

परन्तु यह और भी कि कोयला अस्वीकरणों (कोल रिजेक्ट्स) पर आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु आयोग द्वारा प्रकरण–दर–प्रकरण उनकी स्वीकार्यता के आधार पर अनुमोदित किया जाएगा।

टीप : ऐसी इकाईयों के संबंध में जहां वाष्पयंत्र पोषित पम्प विद्युत चालित हों, उनमें उच्चतम रूपांकन इकाई ऊष्मा दर ऊष्मा दर टरबाईन वाष्पयन्त्र पोषित पम्प हेतु विनिर्दिष्ट की गई उच्चतम रूपांकन इकाई ऊष्मा दर से 40 किलो कैलोरी/किलोवाट ऑवर कम होगी।

घ. आपेक्षिक ईंधन तेल खपत :

(i) कोयला आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु : 0.5 मि.ली./किलोवाट ऑवर

(ii) कोयला अस्वीकरणों पर आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु : 2.0 मि.ली./किलोवाट ऑवर

ङ. सहायक ऊर्जा खपत :

स.क्रं.	विद्युत केन्द्र (पावर स्टेशन)	मय नैसर्गिक ड्राफ्ट शीतलीकरण के या शीतलीकरण ऑवर के बगैर भी
(1)	200 मेगावाट श्रृंखला	8.50%
(2)	300 मेगावाट तथा इससे अधिक	
	वाष्प चालित वाष्पयंत्र पोषित पम्प	5.75%
	विद्युत चालित वाष्पयंत्र पोषित पम्प	8.00%
(3)	45 मेगावाट श्रृंखला	10.00%

परंतु ड्राफ्ट उत्सर्जित शीतलीकरण टावरों वाले विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु मानदण्डों में आगे 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि की जाएगी :

परन्तु यह और कि निम्नानुसार दर्शाई गयी अतिरिक्त सहायक ऊर्जा खपत शुष्क शीतलन प्रणालियों से युक्त संयंत्रों हेतु अनुज्ञेय की जा सकेगी :

शुष्क शीतलन का प्रकार	सकल विद्युत उत्पादन के प्रतिशत के रूप में
प्रत्यक्ष, शीतलन वायु शीतिति संघनित्र, मय यांत्रिक कर्षण पंखों के	1.00%
अप्रत्यक्ष, शीतलन प्रणाली जिनमें जेट संघनित्र नियोजित किये जाते हों, मय दबाब प्रतिप्राप्ति टरबाईन तथा नैसर्गिक कर्षण टावर के	0.50%

50. ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु प्रचालन के मानदण्ड :

50.1 जल–विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु प्रचालन के मानदण्ड निम्नानुसार होंगे, अर्थात् :

(1) **मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक** (NAPAF)

आयोग द्वारा जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु मानदण्डीय वार्षिक संयन्त्र उपलब्धता कारक का अवधारण निम्न मानपदण्डों के अनुसार किया जाएगा :

(एक) जल संग्रहण तथा जलाशय प्रकार के संयंत्र जिनका शीर्ष अन्तर पूर्ण जलाशय स्तर तथा जलाशय में न्यूनतम गिरावट (एमडीडीएल) के स्तर में अन्तर 8 प्रतिशत तक का हो, तथा जहां संयंत्र उपलब्धता गाद (सिल्ट) से प्रभावित न हो: 90 प्रतिशत

(दो) जल संग्रहण तथा जलाशय प्रकार के संयंत्र जिनका शीर्ष अन्तर पूर्ण जलाशय स्तर तथा जलाशय में न्यूनतम गिरावट के स्तर में अन्तर 8 प्रतिशत से अधिक का हो व जहां संयंत्र उपलब्धता गाद (सिल्ट) से प्रभावित न हो : माहवार शीर्ष क्षमता जैसा कि परियोजना प्राधिकारियों द्वारा इसे विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में प्रदान किया गया हो, {केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित} 'NAPAF' के निर्धारण का आधार बनेगा।

(तीन) जलाशय (पॉण्डेज) प्रकार के संयंत्र, जहां संयंत्र की उपलब्धता उल्लेखनीय रूप से गाद (सिल्ट) द्वारा प्रभावित होती हो : 85 प्रतिशत

(चार) नदी–बहाव प्रकार के संयंत्र : मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (NAPAF) का अवधारण दस–दिवस रूपांकन ऊर्जा आंकड़ों पर आधारित संयंत्रवार किया जाएगा जिसे पूर्व के अनुभव के आधार पर, उसके उपलब्ध/ युक्तियुक्त होने की दशा में, संयत किया जाएगा।

50.2 आयोग द्वारा मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (NAPAF) के अवधारण में

अतिरिक्त रियायत (अलाऊँस) प्रदान की जा सकेगी, उदाहरण के तौर पर, असामान्य गाद (सिल्ट) की समस्या अथवा अन्य प्रचालन शर्तें तथा संयंत्र की विदित परिसीमाएं।

50.3 उपरोक्त विवरण के आधार पर, क्षमता प्रभारों की वसूली हेतु वर्तमान में प्रचालित किये जा रहे जल–विद्युत उत्पादन केन्द्रों के मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (NAPAF) निम्नानुसार होंगे :–

केन्द्र (स्टेशन)	संयंत्र का प्रकार	संयंत्र क्षमता (मेगावाट में)	मनदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (NAPAF)
गांधी सागर	संग्रहण	57.5	85.00%
पेंच	संग्रहण	106.7	85.00%
राजघाट	संग्रहण	26.86	60.00%
बरगी	संग्रहण	90.0	85.00%
बाणसागर संकुल (सिलपारा को छोड़कर)	संग्रहण	395.0	85.00%
सिलपारा	नदी बहाव आधारित मय जलाशय (पॉण्डेज)	30.0	85.00%
बिरसिंहपुर	संग्रहण	20.0	85.00%
मढ़ीखेड़ा	संग्रहण	60.0	85.00%

(2) सहायक ऊर्जा खपत :

(क) सतह पर स्थापित जल–विद्युत उत्पादन केन्द्र जिनमें उत्पादक शाफ्ट पर घूर्णन संदीपक (रोटेटिंग एक्साईटर) स्थापित है – उत्पादित ऊर्जा का 0.7 प्रतिशत

(ख) सतह पर स्थापित जल–विद्युत उत्पादन केन्द्र जिसमें स्थैतिक संदीपन (स्टैटिक एक्साईटेशन) प्रणाली स्थापित है – उत्पादित ऊर्जा का 1.20 प्रतिशत

(ग) भूमिगत स्थापित जल–विद्युत उत्पादन केन्द्र जिनमें उत्पादक शाफ्ट पर घूर्णन संदीपक (रोटेटिंग एक्साईटर) स्थापित है – उत्पादित ऊर्जा का 0.9 प्रतिशत

(घ) भूमिगत स्थापित जल–विद्युत उत्पादन केन्द्र जिनमें स्थैतिक संदीपन (स्टैटिक एक्साईटेशन) प्रणाली स्थापित है – उत्पादित ऊर्जा का 1.30 प्रतिशत

अध्याय – 10

अनुसूचीकरण, लेखांकन तथा बिलिंग

51. अनुसूचीकरण :

51.1 किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु अनुसूचीकरण बावत कार्यविधि आयोग द्वारा अनुमोदित ग्रिड संहिता (या फिर अन्य कोई संहिता या विनियम) में विनिर्दिष्ट अनुसार होगी जैसा कि इसे आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाए।

52. मापन पद्धति (मीटरिंग) तथा लेखांकन :

52.1 मापन पद्धति (मीटरिंग) तथा लेखांकन हेतु मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता (या फिर अन्य कोई संहिता या विनियम) के उपबन्ध प्रयोज्य होंगे।

53. प्रभारों की बिलिंग तथा भुगतान :

53.1 विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा इन विनियमों के अनुसार क्षमता प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों हेतु देयक (बिल) मासिक आधार पर प्रस्तुत किये जाएंगे तथा हितग्राहियों द्वारा प्रयोज्य भुगतान सीधे विद्युत उत्पादन कम्पनी को किये जाएंगे :

परन्तु हितग्राही द्वारा द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के कार्यालय में मूल देयक की भौतिक प्रतिलिपि और/अथवा विद्युत उत्पादन कम्पनी के प्राधिकृत व्यक्ति के अधिकारिक ई–मेल आईडी के माध्यम से प्रेषित किये गये मूल देयक के प्रतिरूपण (स्कैन की गई प्रतिलिपि) द्वारा बिल की प्रस्तुति को वैध माना जाएगाः

परन्तु यह और कि कम्पनी के प्रबंध संचालक अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरकर्ता अथवा हस्ताक्षरकर्ताओं (केवल अधिकारी पदनाम के रूप में) को अग्रिम रूप से अधिसूचित किया जाएगा तथा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची या प्रयोजन में किसी परिवर्तन को इसी विधि के अनुसार सम्प्रेषित किया जाएगा।

53.2 किसी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के संबंध में क्षमता प्रभार का भुगतान विद्युत उत्पादन केन्द्र के हितग्राहियों द्वारा किसी माह हेतु विद्युत उत्पादन केन्द्र की स्थापित क्षमता में उनके प्रतिशत अंशदान के अनुसार (अनावंटित क्षमता में से किये गये किसी आवंटन को सम्मिलित करते हुए) परस्पर वितरित किया जाएगा। किसी जल–विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में क्षमता प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों का भुगतान विद्युत उत्पादन केन्द्र के हितग्राहियों द्वारा परस्पर वितरित विक्रय–योग्य क्षमता (जिसका अवधारण उनके गृह

राज्य को निःशुल्क ऊर्जा के तत्संबंधी क्षमता को घटाने के पश्चात् किया जाएगा) विद्युत उत्पादन केन्द्र के अंशदान के अनुपात में (अनावंटित क्षमता में किये गये किसी आवंटन को सम्मिलित कर) हितग्राहियों द्वारा निम्न दर्शाई गई टीप 3 के अनुसार किया जाएगा।

टीप 1 :

राज्य क्षेत्र के विद्युत उत्पादन केन्द्रों की कुल क्षमता में प्रत्येक हितग्राही के अंशदान/आवंटन का अवधारण राज्य शासन द्वारा अनावंटित क्षमता में से किये गये किसी आवंटन को सम्मिलित कर किया जाएगा। ये अंशदान स्टेशन क्षमता के प्रतिशत के रूप में प्रयोज्य होंगे तथा किसी माह के दौरान स्थिर रहेंगे। किसी हितग्राही का कुल क्षमता अंशदान, उसके क्षमता अंशदान तथा अनावंटित भाग में से किये गये किसी आवंटन का योग होगा। राज्य शासन द्वारा अनावंटित ऊर्जा में से की गई किसी विशिष्ट आवंटन की अनुपस्थिति में, अनावंटित ऊर्जा को आवंटित क्षमता में आवंटित अंशदान के अनुपात के अनुरूप जोड़ दिया जाएगा।

टीप 2 :

हितग्राही उनके आवंटित स्थायी अंशदान के अंश को अन्य हितग्राहियों को समर्पित किया जाना प्रस्तावित कर सकेंगे। ऐसे प्रकरणों में, ऊर्जा के अन्तरण की तकनीकी व्यवहार्यता पर निर्भर तथा विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा अन्य राज्यों के साथ निष्पादित किए गए विशिष्ट अनुबंधों के आधार पर जो इस प्रकार के अन्तरणों हेतु क्षेत्र के आन्तरिक/बाह्य रूप से किए जाएंगे, हितग्राहियों के अंशदान प्रत्याशित रूप से राज्य शासन द्वारा किसी कलेण्डर माह के प्रारंभ से किसी विशिष्ट अवधि हेतु (पूर्ण माह संख्या में) पुनर्आवंटित किये जा सकेंगे। जब भी इस प्रकार के पुनर्आवंटन किये जाते हैं तो हितग्राही जो अपने अंशदान को समर्पित करते हों, उन्हें समर्पित किये गये अंशदान हेतु क्षमता प्रभारों के भुगतान की बाध्यता नहीं होगी। उपरोक्तानुसार समर्पित की गई तथा पुनर्आवंटित की गई क्षमता की अवधि हेतु, क्षमता प्रभारों का भुगतान ऐसे राज्यों/हितग्राही द्वारा किया जाएगा जिन्हें/जिसे समर्पित क्षमता आवंटित की जाती है। उपरोक्तानुसार क्षमता के पुनर्आवंटन की अवधि को छोड़कर, विद्युत उत्पादन केन्द्र के हितग्राहियों द्वारा पूर्ण क्षमता प्रभारों का भुगतान अंशदान की आवंटित क्षमता के अनुसार जारी रखा जाएगा। समुचित प्राधिकारी द्वारा ऐसे पुनर्आवंटन तथा प्रत्यावर्तन को समस्त संबंधितों को अग्रिम तौर इस प्रकार के पुनर्आवंटन तथा प्रत्यावर्तन के प्रभावशील होने के न्यूनतम तीन दिवस पूर्व सम्प्रेषित किया जाएगा।

टीप 3 :

FEHS = गृह राज्य हेतु निःशुल्क ऊर्जा को प्रतिशत के रूप में 13 प्रतिशत अथवा वास्तविक, इनमें से जो भी कम हो, माना जाएगा (यह प्रावधान मध्यप्रदेश पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड

के विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु लागू नहीं होगा) :

परंतु ऐसे प्रकरणों में जहां किसी जल विद्युत परियोजना का कार्यस्थल किसी विकासक (जो राज्य द्वारा नियंत्रित अथवा स्वामित्व वाली कम्पनी नहीं होगी) को बोली की द्विस्तरीय पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा प्रदान किया जाता है, वहां "निःशुल्क ऊर्जा" 13 प्रतिशत मानी जाएगी जिसमें विद्युत की 100 यूनिटों से तत्संबंधी ऊर्जा भी सम्मिलित होगी जो परियोजना से प्रभावित प्रत्येक परिवार को 10 वर्ष की अवधि हेतु उत्पादन केन्द्र की वाणिज्यिक प्रचालन तारीख से प्रदान की जाएगी :

परन्तु यह और कि विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन तारीख से 10 वर्षों की अवधि हेतु परियोजना से प्रभावित प्रत्येक परिवार को प्रति माह 100 यूनिट निःशुल्क विद्युत से तत्संबंधी मात्रा के प्रावधान का विवरण भी प्रदान किया जायेगा।

54. छूट :

54.1 विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा प्रस्तुत देयकों का भुगतान साखपत्र (लैटर ऑफ क्रेडिट) या राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अन्तरण (NEFT)/क्षेत्रीय लेन–देन सकल व्यवस्थापन (RTGS) के माध्यम से बिल प्रस्तुति के 5 दिवस के भीतर किए जाने पर कम्पनी द्वारा 1.5% की छूट प्रदान की जाएगी।

व्याख्या : 5 दिवस की गणना करते समय, दिवस संख्या की गणना निरन्तर किसी अवकाश पर विचार किये बगैर की जाएगी। तथापि, यदि अन्तिम दिवस या पाचवां दिवस आधिकारिक अवकाश हो तो छूट के प्रयोजन से पांचवे दिवस को निकटतम अनुवर्ती कार्यकारी दिवस माना जाएगा (आधिकारिक राज्य शासकीय कलेण्डर के अनुसार जहां प्राधिकृत हस्ताक्षकर्ता का कार्यालय या हितग्राही के प्रतिनिधि का कार्यालय बिल की प्राप्ति या अभिस्वीकृति के प्रयोजन से अवस्थित है)।

54.2 विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा देयकों की प्रस्तुति के 5 दिवस पश्चात् तथा 30 दिवस के भीतर किये जाने पर विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा एक प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

55. विलंब भुगतान अधिभार :

55.1 जहां इन विनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत देय प्रभारों के किसी देयक के भुगतान में देयकों के प्रस्तुतिकरण की तारीख से 45 दिवस से अधिक अवधि का विलंब किया जाता हो अथवा विद्युत क्रय अनुबंध के अनुसार देयकों के प्रस्तुतीकरण की तारीख , जो भी पहले हो, वहां विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा 1.25 प्रतिशत प्रति माह की दर से विलंब भुगतान अधिभार अधिरोपित किया जाएगा।

अध्याय – 11

प्रलाभों का सहभाजन

56. मानदण्डों में परिवर्तन के कारण लाभों का सहभाजन (शेयरिंग) :

56.1 विद्युत उत्पादन कंपनी प्रयोज्य नियंत्रणीय मानदण्डों के वास्तविक निष्पादन के आधार पर प्राप्त किये गये लाभों की गणना निम्नानुसार करेगी :

(एक) स्टेशन ऊष्मा दर

(दो) द्वितीय ईंधन तेल खपत : तथा

(तीन) सहायक ऊर्जा खपत

56.2 विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा नियन्त्रणीय कारकों के कारण अर्जित किये गये वित्तीय लाभों का राहभाजन विद्युत उत्पादन कम्पनी तथा हितग्राहिगों के मध्य वार्षिक आधार पर किया जाएगा। विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में, जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों को छोड़कर, परिचालन मानदंडों के कारण जैसा कि इसे इस विनियमों के विनियम 56.1 में दर्शाया गया है वित्तीय लाभों को निम्न सूत्र के अनुसार परिकलित करते हुए इन्हें विद्युत उत्पादन केन्द्रों तथा हितग्राहियों के मध्य 50 : 50 के अनुपात में सहभाजित किया जाएगा।

शुद्ध लाभ (नेट गेन) = $(ECR_N - ECR_A) \times$ अनुसूचित विद्युत उत्पादन

जहां,

ECR_N = मानदण्डीय ऊर्जा प्रभार दर, जिसकी गणना स्टेशन ऊष्मा दर, सहायक ऊर्जा खपत तथा द्वितीयक ईंधन तेल खपत हेतु निर्दिष्ट मानदण्डों के आधार पर की जाएगी।

ECR_A = वास्तविक ऊर्जा प्रभार दर जिसकी गणना माह हेतु वास्तविक स्टेशन ऊष्मा दर, सहायक ऊर्जा खपत तथा द्वितीयक ईंधन तेल खपत के आधार पर की जाएगी :

परन्तु जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों के प्रकरण में, शुद्ध लाभ के वास्तविक सहायक ऊर्जा खपत के मानदण्डीय सहायक ऊर्जा खपत से कम होने के कारण गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी बशर्ते विक्रययोग्य अनुसूचित विद्युत उत्पादन विक्रययोग्य रूपांकन ऊर्जा से अधिक हो तथा तद्नुसार विद्युत उत्पादन केन्द्र तथा हितग्राहियों के मध्य इसका सहभाजन 50 : 50 के अनुपात में किया जाएगा :

(एक) जब विक्रययोग्य अनुसूचित विद्युत उत्पादन, मानदण्डीय सहायक ऊर्जा खपत के आधार

पर विक्रययोग्य रूपांकन ऊर्जा से कम हो तथा वास्तविक सहायक ऊर्जा खपत के आधार पर विक्रययोग्य रूपांकन ऊर्जा से कम या समतुल्य हो तो :

शुद्ध लाभ (मिलियन रूपयों में) = [(विक्रययोग्य अनुसूचित विद्युत उत्पादन मिलियन यूनिटों में)–(मानदण्डीय सहायक ऊर्जा खपत के आधार पर विक्रययोग्य रूपांकित ऊर्जा मिलियन यूनिटों में)] x [1.20 या ECR, इनमें से जो भी कम हो]।

(दो) जब विक्रययोग्य अनुसूचित विद्युत उत्पादन वास्तविक सहायक ऊर्जा खपत के आधार पर विक्रययोग्य रूपांकित ऊर्जा से अधिक हो तो :

शुद्ध लाभ (मिलियन रूपयों में) = {विक्रययोग्य अनुसूचित विद्युत उत्पादन मिलियन यूनिटों में)–[(विक्रययोग्य अनुसूचित विद्युत उत्पादन मिलियन यूनिटों में) x (100–मानदण्डीय सहायक ऊर्जा खपत प्रतिशत में)/(100–वास्तविक सहायक ऊर्जा खपत प्रतिशत में)} x [1.20 या ECR, इनमें से जो भी कम हो]।

57. ऋण के पुनर्वित्तीय प्रबंधन या पुनर्संरचना के कारण ब्याज की बचत का सहभाजन :

57.1 यदि विद्युत उत्पादन कम्पनी को ऋण के पुनर्वित्तीय प्रबंधन या पुनर्संरचना के फलस्वरूप ऐसे पुनर्वित्तीय प्रबंधन अथवा पुनर्संरचना से संबद्ध लागत के लेखांकन के पश्चात् ब्याज दर शुद्ध बचत प्राप्त हो तो इसे हितग्राहियों तथा विद्युत उत्पादन कम्पनी के मध्य 50 : 50 के अनुपात में सहभाजित किया जाएगा।

57.2 किसी विवाद के प्रकरण में, पक्षकारों में से कोई भी एक अपना आवेदन मप्रविनिआ (कार्य संचालन) विनियम, 2004 (समय–समय पर यथासंशोधित) के अनुसार प्रस्तुत कर सकेगा :

परंतु हितग्राही द्वारा ऋण के पुनर्वित्तीय प्रबंधन से उठने वाले किसी विवाद के विचाराधीन रहते हुए, विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा ब्याज के कारण किये गये किसी दावे के भुगतान को रोका नहीं जाएगा।

58. गैर–विद्युत दर (टैरिफ) आय का सहभाजन :

58.1 विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में निम्न के कारण गैर–विद्युत दर (टैरिफ) शुद्ध आय का सहभाजन हितग्राहियों तथा विद्युत उत्पादन कम्पनी के मध्य 50 : 50 के अनुपात में वार्षिक आधार पर किया जाएगा :

(क) भूमि या भवनों के भाड़े से प्राप्त आय ;

(ख) रद्दी माल (स्क्रैप) के विक्रय से प्राप्त आय ;

(ग) राखड़ (फ्लाई–ऐश) के विक्रय से प्राप्त आय ;

(घ) सामग्री प्रदायकों या ठेकेदारों को प्रदत्त अग्रिम राशियों पर प्राप्त ब्याज राशि ;

(ङ) कर्मचारी आवास–गृहों से प्राप्त भाड़ा राशि ;

(च) ठेकेदारों से प्राप्त भाड़ा राशि ;

(छ) विज्ञापनों से प्राप्त आय ;

(ज) पूंजी निवेश राशियों तथा बैंक शेष राशियों पर प्राप्त ब्याज राशि :

परन्तु विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा संचालित व्यवसाय से सुसंबद्ध पूंजी पर प्रतिलाभ में से किये गये पूंजी निवेश से अर्जित ब्याज या लाभांश राशि को गैर–विद्युत दर (टैरिफ) आय में शामिल नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि विद्युत उत्पादन कम्पनी आयोग को अपनी गैर–विद्युत दर (टैरिफ) आय के पूर्वानुमान के पूर्ण विवरण प्रस्तुत करेगी। अंकेक्षित लेखों के आधार पर गैर–विद्युत दर आय का भी सत्यापन किराया जाएगा।

59. स्वच्छ विकास क्रियाविधि के प्रलाभों का सहभाजन :

59.1 स्वच्छ विकास क्रियाविधि के अन्तर्गत अनुमोदित उत्सर्जन न्यूनीकरण परियोजनाओं से कार्बन आकलन की प्राप्तियों का परस्पर सहभाजन निम्न विधि द्वारा किया जाएगा :

(क) स्वच्छ विकास क्रियाविधि के कारण सकल प्राप्तियों की शत–प्रतिशत राशि परियोजना के विकास द्वारा विद्युत उत्पादन केन्द्र की वाणिज्यिक प्रचालन तारीख के प्रथम वर्ष में स्वयं के पास धारित रखी जाएगी ; और

(ख) द्वितीय वर्ष में हितग्राहियों का अंशदान 10 प्रतिशत होगा जिसमें उत्तरोत्तर प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि की जाएगी जिसके 50 प्रतिशत तक पहुंचने के उपरान्त प्राप्तियों का सहभाजन विद्युत उत्पादन कम्पनी तथा हितग्राहियों के मध्य समान अनुपात में किया जाएगा।.

अध्याय – 12

विविध प्रावधान

60. परिचालन मानदण्डों का उच्चतम सीमा होना :

60.1 इन विनियमों में विनिर्दिष्ट किये गये विनियम उच्चतम मानदण्ड हैं तथा विद्युत उत्पादन कम्पनी तथा हितग्राहियों को समुन्नत मानदण्डों के प्रति सहमत होने से प्रतिबंधित नहीं करेंगे तथा यदि समुन्नत मापदण्डों के प्रति सहमति बनती हो तो ऐसे मानदण्ड विद्युत–दर के अवधारण हेतु लागू किये जा सकेंगे।

61. उच्चतम विद्युत–दर से विचलन :

61.1 अवधारित की गई विद्युत–दर उच्चतम सीमा होगी। विद्युत उत्पादन कम्पनी तथा हितग्राही परस्पर निम्नतर विद्युत–दर (टैरिफ) प्रभारित करने हेतु भी सहमत हो सकते हैं।

61.2 विद्युत उत्पादन कम्पनी अदायगी की आवश्कयता के आधार पर न्यून अवमूल्यन/अवक्षयण के कारण इन विनियमों की वैधता के भीतर रहते हुए निम्न विद्युत–दर प्रभारित करने बाबत विकल्प का चयन कर सकेगी। ऐसे प्रकरण में उपयोगी जीवनकाल के दौरान विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा अवमूल्यन/अवक्षयण में कमी के कारण प्रतिप्राप्त न किये अवमूल्यन की वसूली इन विनियमों में उपयोगी जीवनकाल के बाद की जा सकेगी।

61.3 विद्युत उत्पादन कम्पनी इन विनियमों की वैधता के भीतर रहते हुए परिचालन मापदण्डों से विचलन के बारे में प्रचालन एवं संधारण व्ययों को कम करने, पूंजी पर घटे हुए प्रतिलाभ तथा इन विनियमों में निर्दिष्ट प्रोत्साहन के बारे में सहमति व्यक्त करते हुए निम्न विद्युत–दर प्रभारित करने बाबत विकल्प का चयन कर सकेगी।

61.4 आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट उच्चतम विद्युत–दर में विचलन विद्युत उत्पादन कम्पनी तथा हितग्राहियों के मध्य सम्मत तारीख से प्रभावशील होगी।

61.5 विद्युत उत्पादन कम्पनी तथा विद्युत उत्पादन केन्द्र के हितग्राहियों को उपरोक्त विनियमों 61.1 से 61.3 के अनुसार निम्नतर विद्युत–दर प्रभारित करने हेतु आयोग से सम्पर्क करना होगा। लेखे के विवरण तथा विनियम 61.1 से 61.3 के अन्तर्गत वास्तविक रूप से प्रभारित की गई विद्युत–दर को सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

62. आय पर कर :

62.1 विद्युत उत्पादन कम्पनी के आय स्त्रोतों पर अधिरोपित कर की वसूली पृथक् से हितग्राहियों से नहीं की जाएगी।

63. विदेशी विनिमय दर परिवर्तन का समायोजन :

63.1 विद्युत उत्पादन कंपनी विदेशी विनिमय की अनावृत्ति को विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु विदेशी मुद्रा में प्राप्त किये गये ऋण पर ब्याज तथा विदेशी ऋण के पुनर्भुगतान के संबंध में समायोजन आंशिक अथवा पूर्ण रूप से जो विद्युत उत्पादन कंपनी की स्वेच्छानुसार होगा, कर सकेगी।

63.2 जब कभी भी विद्युत उत्पादन कम्पनी उसके द्वारा अनुमोदित समायोजन नीति के अंतर्गत किसी समायोजन संबंधी क्रिया को निष्पादित करता हो तो विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा संबद्ध हितग्राहियों को तीस दिवस के भीतर ऐसी व्यवस्थाओं के निष्पादन बाबत अवगत कराया जाएगा।

63.3 प्रत्येक विद्युत उत्पादन कम्पनी मानदण्डीय विदेशी ऋण से तत्संबंधी विदेशी विनिमय दर परिवर्तन से संरक्षण की लागत की वसूली, सुसंगत वर्ष में, वर्ष–दर–वर्ष आधार पर उक्त अवधि के दौरान जबकि वह व्यय के रूप में उद्‌भूत हो, करेगी तथा इस प्रकार विदेशी विनिमय दर परिवर्तन से तत्संबंधी अतिरिक्त रूपयों के भुगतान के दायित्व को, समायोजित किये गये विदेशी ऋण के विरूद्ध अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा।

63.4 उक्त सीमा, जहां तक विद्युत उत्पादन कंपनी विदेशी विनिमय अनावृत्ति का समायोजित करने में असमर्थ रहे, अतिरिक्त रूपयों में भुगतान के दायित्व हेतु ब्याज का भुगतान तथा ऋण की अदायगी जो मानदण्डीय विदेशी मुद्रा ऋण के सुसंगत वर्ष से तत्संबंधी हो, को अनुज्ञेय किया जाएगा बशर्ते यह विद्युत उत्पादन कंपनी अथवा उसके सामग्री प्रदायकर्ता अथवा ठेकेदारों के कारण उद्‌भूत न हो।

64. लागत समायोजन अथवा विदेशी विनिमय दर परिवर्तन की वसूली :

64.1 प्रत्येक विद्युत उत्पादन कंपनी समायोजन संबंधी लागत तथा विदेशी विनिमय दर परिवर्तन को आय या व्यय के रूप में उक्त अवधि के दौरान, जब वह उद्‌भूत हो, वर्ष–दर–वर्ष आधार पर वसूल करेगी।

64.2 विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा लागत के समायोजन या विदेशी विनिमय दर परिवर्तन की वसूली हितग्राहियों से प्रत्यक्ष रूप से आयोग को आवेदन प्रस्तुत किये बगैर की जा सकेगी :

परन्तु लागत समायोजन अथवा विदेशी विनिमय दर परिवर्तन के कारण दावा की गयी राशियों के बारे में हितग्राहियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के निराकरण हेतु विद्युत उत्पादन कंपनी आयोग के समक्ष अपना आवेदन उसके निर्णयार्थ प्रस्तुत कर सकेगी।

65. आवेदन शुल्क, प्रकाशन व्यय तथा अन्य सांविधिक प्रभार :

65.1 हितग्राही द्वारा निम्न शुल्कों, प्रभारों तथा व्ययों का प्रत्यर्पण प्रत्यक्ष रूप से नीचे दर्शाई गयी विधि अनुसार किया जाएगा :

(एक) आवेदन दायर किये जाने संबंधी शुल्क तथा विद्युत–दर (टैरिफ) के अनुमोदन हेतु आवेदन संबंधी सूचना के प्रकाशन बावत व्ययों की वसूली आयोग के विवेकानुसार, विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा हितग्राहियों से प्रत्यक्ष रूप से की जा सकेगी।

(दो) आयोग किसी शुल्क अथवा व्ययों के प्रत्यर्पण बावत अनुमति जैसा कि उसके द्वारा उचित समझा जाए, प्रभावित पक्षकारों की सुनवाई पश्चात् तथा लिखित कारणों के अभिलेखन पश्चात् प्रदान कर सकेगा।

(तीन) आयोग द्वारा अवधारित किये गये राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभारों तथा पारेषण प्रभारों को व्यय माना जाएगा यदि वे विद्युत उत्पादन केन्द्र द्वारा भुगतानयोग्य हों।

(चार) क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र/राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र प्रभार, जैसा कि वे केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अवधारित किये गये हों, को भी व्यय माना जाएगा यदि वे विद्युत उत्पादन केन्द्र द्वारा भुगतानयोग्य हों।

65.2 विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा विद्युत उत्पादन केन्द्रों से राज्य सरकार को विद्युत उत्पादन के प्रयोजन से विद्युत शुल्क, उपकर तथा जल प्रभार, यदि भुगतानयोग्य हों तो आयोग द्वारा इन्हें पृथक से अनुज्ञेय इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्डीय मापदण्डों पर विचार करते हुए किया जाएगा तथा इन्हें वास्तविक आंकड़ों के आधार पर सत्यापित किया जाएगा :

परन्तु यदि विद्युत शुल्क को सहायक खपत दर पर लागू किया जाता है तो विद्युत शुल्क की ऐसी राशि को विद्युत उत्पादन केन्द्र की मानदण्डीय सहायक खपत पर लागू किया जाएगा (कालोनी की खपत को छोड़कर) तथा इसे प्रत्येक हितग्राही हेतु माह के दौरान उनके अनुसूचित प्रेषण के अनुपात में संविभाजित किया जाएगा।

66. शिथिल करने संबंधी शक्ति :

66.1 आयोग लिखित कारणों के अभिलेखन पश्चात् इन विनियमों से संबंधित कतिपय प्रावधानों को स्वप्रेरणा से या हित रखने वाले किसी पक्षकार द्वारा उसके समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर शिथिल कर सकेगा।

67. कठिनाईयां दूर करने की शक्ति :

67.1 यदि इन विनियमों के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो आयोग आदेश द्वारा, अधिनियम अथवा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य विनिमयों के उपबंधों से अन्असंगत ऐसे उपबंध कर सकेगा जो इन विनियमों के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने में आने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों।

68. निरसन तथा व्यावृत्ति :

68.1 विनियम अर्थात् "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2015 {आरजी–26 (III), वर्ष 2015}" जो राजपत्र की अधिसूचना दिनांक 01.01.2016 द्वारा संशोधनों के साथ सहपठित है, जैसा कि वह इस विनियम की विषयवस्तु के साथ प्रयोज्य है, को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

68.2 इन विनियमों की कोई भी बात आयोग को ऐसे किसी आदेश को पारित करने हेतु अर्न्तनिहित शक्तियों को सीमित अथवा प्रभावित नहीं करेगी जो न्याय के उद्देश्य प्राप्त करने अथवा आयोग की प्रक्रिया के दुरूपयोग रोकने के उद्देश्य से आवश्यक हो।

68.3 इन विनियमों में की गई कोई भी बात आयोग को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूपता के मामलों में व्यवहार करने के लिए एक ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगी, जो यद्यपि इन विनियमों के प्रावधानों से भिन्न हो, लेकिन जिसे आयोग मामले या मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में और इसके कारणों को अभिलेखित करते हुए, आवश्यक या समीचीन समझता हो।

68.4 इन विनियमों में की गई कोई भी बात स्पष्टतया या परोक्ष रूप से आयोग को अधिनियम के अधीन किसी ऐसे मामले में कार्यवाही करने से या शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोकेगी, जिसके लिये कोई संहिता निर्मित न की गई हो और आयोग इस तरह के मामलों में ऐसी कार्यवाही कर सकेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग या ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगा जिन्हें आयोग उचित समझे।

टीप : इस मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2020" के हिन्दी रूपांतरण की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति

में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जावेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा ।

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के आदेशानुसार

शैलेन्द्र सक्सेना,
सचिव

परिशिष्ट–1

अवमूल्यन अनुसूची

सरल क्रमांक	परिसम्पत्ति का विवरण	अवमूल्यन दर (उपादेय मूल्य = 10%)
		नियत किस्त पद्धति द्वारा
ए	संपूर्ण स्वामित्व के अन्तर्गत भूमि	0.00%
बी	पट्टे के अंतर्गत भूमि	
(क)	भूमि में निवेश हेतु	3.34%
(ख)	स्थल की सफाई हेतु लागत के लिये	3.34%
(ग)	जल–विद्युत परियोजना के प्रकरण में जलाशय हेतु भूमि	3.34%
सी	नवीन क्रय की गई परिसम्पत्तियां	
(क)	उत्पादन विद्युत केन्द्रों पर संयंत्र तथा मशीनरी	
(i)	जल–विद्युत	5.28%
(ii)	वाष्प विद्युत एनएचआरबी तथा वेस्ट हीट रिकवरी वाष्पयंत्र	5.28%
(iii)	डीजल, विद्युत तथा गैस संयंत्र	5.28%
(ख)	कूलिंग टावर तथा परिचालित जल प्रणालियां	5.28%
(ग)	द्रव चालित कार्य जो निम्न द्रवप्रणालियों के भाग हैं	
(i)	बांध, स्पिलवे, वीयर, नहरें, लौहयुक्त, कांक्रीट फ्लूम्स तथा सायफन	5.28%
(ii)	लौहयुक्त कांक्रीट पाईप लाईनों तथा सर्ज टैंक, इस्पात पाईपलाईन, स्लूसगेट, इस्पात सर्ज टैंक, द्रवचालित नियंत्रण वाल्व तथा द्रवचालित कार्य	5.28%
(घ)	भवन निर्माण तथा सिविल अभियांत्रिकी कार्य	
(i)	कार्यालय तथा शोरूम	3.34%
(ii)	ताप–ऊर्जा–विद्युत उत्पादक संयंत्र युक्त	3.34%
(iii)	जल–विद्युत उत्पादक संयंत्र से युक्त	3.34%
(iv)	अस्थाई निर्माण कार्य जैसे काष्ठ संरचनाएं	100%
(v)	कच्ची सड़कों के अतिरिक्त अन्य सड़कें	3.34%
(vi)	अन्य	3.34%
(ङ)	ट्रांसफार्मर गुमटियां, उपकेन्द्र उपकरण तथा अन्य स्थाई यंत्र	
(i)	ट्रांसफार्मर, नींव सम्मिलित कर जिनकी क्षमता 100 केवीए या इससे अधिक हो	5.28%
(ii)	अन्य	5.28%
(f)	स्विचगियर, केबल कनेक्शन सम्मिलित करते हुए	5.28%
(g)	तड़ित चालक	
(i)	विद्युत केन्द्र (स्टेशन) प्रकार	5.28%
(ii)	पोल प्रकार	5.28%
(iii)	सिन्क्रोनस कन्डेन्सर	5.28%
(ज)	बैटरियां	5.28%
(i)	भूमिगत केबल, संयुक्त बाक्स तथा विच्छेदित बाक्स सम्मिलित कर	5.28%
(ii)	केबल डक्ट प्रणाली	5.28%
(झ)	शिरोपरि तन्तुपथ, केबल टेकों को सम्मिलित कर	

(i)	फेब्रिकेटेड स्टील पर तन्तुपथ, जो 66 केवी से अधिक की टर्मिनल वोल्टेज पर परिचालित हैं	5.28%
(ii)	इस्पात टेकों पर तन्तुपथ जो 132 केवी से अधिक तथा 66 केवी से कम वोल्टेज पर परिचालित है	5.28%
(iii)	इस्पात अथवा लौहयुक्त कांक्रीट टेकों पर तन्तुपथ	5.28%
(iv)	उपचारित काष्ठ टेका पर तन्तुपथ	5.28%
(ञ)	मापयंत्र (मीटर)	5.28%
(त)	स्वचालित वाहन	9.50%
(थ)	वातानुकूलित संयंत्र	
(i)	स्थिर	5.28%
(ii)	वहनीय	9.50%
(द) (i)	कार्यालयीन फर्नीचर तथा फर्निशिंग	6.33%
(ii)	कार्यालयीन उपकरण	6.33%
(iii)	आन्तरिक वायरिंग, फिटिंग्स तथा उपस्कर को सम्मिलित करते हुए	6.33%
(iv)	पथ–प्रकाश के जुड़नार (फिटिंग्स)	5.28%
(घ)	भाड़े पर प्रदाय किये गये उपस्कर	
(i)	मोटरों को छोड़कर	9.50%
(ii)	मोटरें	6.33%
(न)	संचार उपकरण	
(i)	रेडियो तथा उच्च आवृत्ति संवाहक प्रणाली	6.33%
(ii)	दूरभाष लाइनें तथा दूरभाष	6.33%
(iii)	फायबर आप्टिक	6.33%
(प)	संसूचना प्रौद्योगिकी उपकरण, सॉफ्टवेयर को सम्मिलित करते हुए	15.00%
(फ)	ऐसी समस्त परिसंपत्तियां जो उपरोक्त के अंतर्गत सम्मिलित नहीं की गई हैं	5.28%

टीप : जहां किसी विशिष्ट सम्पत्ति का जीवनकाल परियोजना के उपयोगी जीवनकाल से कम अवधि का हो वहां ऐसी विशिष्ट परिसम्पत्ति का जीवनकाल कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा तत्संबंधी जारी अनुवर्ती संशेधनों के प्रावधानों के अनुसार होंगे।